हम अपना शासन कैसे चलाते हैं

सातवीं कक्षा के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक

हम शासन कैसे चलाते हैं

सातवीं कक्षा के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक

दि.सी. मुले
अ.च. शर्मा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

जून 1987
ज्येष्ठ 1909
P.D. 75 T—RNB

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1987

सर्वाधिकार सुरक्षित

- ☐ प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- ☐ इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय, या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- ☐ इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

प्रकाशन सहयोग

सम्पादन
प्रभाकर द्विवेदी : मुख्य सम्पादक
दिनेश सक्सेना : सम्पादक
रामनिवास भारद्वाज : सम्पादन सहायक

उत्पादन
सी.एन. राव : मुख्य उत्पादन अधिकारी
सुरेन्द्र कान्त शर्मा : उत्पादन अधिकारी
टी.टी. श्रीनिवासन : सहायक उत्पादन अधिकारी
राजेन्द्र चौहान : उत्पादन सहायक

चित्र एवं सज्जा
सुधीर राय

मूल्य : रु. 4.75

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा प्रिंट ऐड फोटो सैटर द्वारा फोटो सैट होकर, राकेश प्रेस, ए-7, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ II, नई दिल्ली 110 028 में मुद्रित।

विषय-सूची

याद करें पिछले साल की बातें

1. उद्योग
2. कसेरा: एक दस्तकार
3. बीड़ी और बीड़ी बनाने वाले
4. चमड़ा कमाने का काम : बड़ा कारखाना
5. चमड़ा कमाने का छोटा कारखाना
6. भारत में कपड़ा उद्योग का इतिहास
7. कोर्ट, कचहरी और न्याय
8. बिन पैसों का लेन देन और पैसे की शुरूआत
9. पढ़ो और समझो
10. देश और प्रान्त
11. सरकार

नागरिक शास्त्र

याद करें पिछले साल की बातें

खाली स्थान भरो:

पिछले साल हम ने खेती, किसानों और खेतिहर मज़दूरों के बारे में पढ़ा। तरह-तरह के किसानों से हमारी पहचान हुई। ——— (छोटे किसान/बड़े किसान) स्वयं या अपने परिवार वालों की मेहनत से खेती करते हैं जबकि ———— (छोटे किसान/बड़े किसान) मज़दूरों से काम करवाते हैं।

गांव और शहरों में सुविधाओं के प्रबन्ध के बारे में भी हमने जाना। ———— (पंचायत/नगरपालिका) गांव की समस्याओं की देख-रेख करती है। यदि वह ठीक से काम न करे तो ———— (मुख्यमंत्री/सरपंच/पंचायत इंस्पेक्टर) को शिकायत की जा सकती है। छोटे नगरों में सुविधाओं का प्रबन्ध ————— (नगर पालिका/नगर निगम/पंचायत) करती है और बड़े नगरों में ———— (नगर पालिका/नगर निगम/पंचायत) सुविधाओं का प्रबन्ध करती है।

जिले में काम करने वाले पुलिस विभाग, —— विभाग, ———— विभाग— ————— विभाग होते हैं। पूरे जिले की देख रेख ——— करता है।

खेती की उपज और उसकी बिक्री के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। गेहूं, धान, चना, सोयाबीन और ऐसी बहुत सी फसलें थोक में —— (हाट/मण्डी) में बेची जाती हैं। फुटकर में कृषि उपज —— में बिकती है। खेती की उपज के अलावा हाट में तुमने ——— (कारीगर, मज़दूर, कर्मचारी) द्वारा बनाई गई चीज़ें और —— —— (घर पर, बाज़ार में, कारखाने में) बनी चीज़ें भी बिकती देखीं।

1. उद्योग

हमारे देश में बहुत सारे लोग खेती का काम करते हैं। 100 में से 60-65 लोग खेती के काम में ही लगे हैं। खेती के अलावा और भी कई काम हैं जो लोग अपनी जीविका के लिए करते हैं। खेती में चीज़ें ऊगाई जाती हैं, बनाई नहीं जाती हैं। पर हमारे काम की बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरी चीज़ों से बनाई जाती हैं।

नीचे दी गई वस्तुओं में से ऐसी वस्तुएं छांटो जो खेतों से प्राप्त नहीं होती हैं पर किसी और वस्तु से बनाई जाती है–

गेहूं, जूते-चप्पल, किताब, मटके, धनिया, ज्वार, शक्कर, सेब, साइकिल, गन्ना, आम, कपड़ा, चश्मा, कुर्सी, मोटर, तेल, हल-बखर, कड़ाई, आलू, टोकरी, सूपा, प्याज।

जैसे फसल उगाना खेती का काम है, चीज़ें बनाने का काम उद्योग का काम है। जो चीज़ें उद्योग में बनती हैं, उन्हें उद्योग के उत्पादन (यानी उद्योग में बनाई जाने वाली वस्तुएं) कहते हैं। जो चीज़ें तुमने दी गई सूची में से छांटी, वे सब उद्योग के उत्पादन हैं।

इन चीज़ों के अलावा उद्योग के उत्पादनों की जितनी लम्बी सूची तुम बता सकते हो बनाओ–

कच्चा माल

उद्योग में बनने वाली चीज़ें किसी और चीज़ से बनती हैं। जैसे कपड़ा कपास से बनता है, कागज़ लकड़ी से बनता है, आदि। जिस चीज़ से उद्योग में कोई और चीज़ तैयार होती है, उसे तैयार वस्तु का कच्चा माल कहते हैं। कपास, कपड़े का कच्चा माल है, लकड़ी कागज़ का कच्चा माल है और कागज़ किताब का कच्चा माल है।

पहले दी गई सूची में तुमने जो उद्योग की वस्तुएं छांटी थीं उनका कच्चा माल नीचे की तालिका को कापी में उतारकर भरो।

	तैयार वस्तु	कच्चा माल
1.	कपड़ा	कपास
2.	किताब	कागज़
3.		
4.		
5.		

(एक उद्योग में एक से अधिक कच्चा माल भी हो सकता है जैसे साइकिल या मोटर में)

जिस तरह खेती में कई लोग काम करते हैं, उसी तरह उद्योग में भी कई सारे लोग काम करते हैं। पर भारत में खेती की तुलना में उद्योग में कम लोग काम करते हैं। यहां पर 100 काम करने वाले लोगों में से 10 लोग ही उद्योग का काम करते हैं। 100 में से बाकी 25 लोग अन्य काम करते हैं- जैसे ट्रक चलाना, इलाज करना, व्यापार आदि।

उद्योग में तरह-तरह की चीज़ें बनती हैं और उनमें तरह-तरह के लोग भी काम करते हैं।

आगे कुछ चित्र दिए हुए हैं। कौन से चित्र उद्योग का काम करने वाले लोगों के हैं? ये लोग क्या बना रहे हैं?

उद्योग में उत्पादन कई तरह से होता है। बेचने के लिए कोई वस्तु बनाना, यही हर उद्योग का काम है, चाहे उत्पादन बनाने वाले के घर पर हो रहा हो या कारखाने में। स्वयं या घर के लिए कोई चीज़ बनाना उद्योग का काम

नहीं कहलाता। अगले पाठों में हम कुछ अलग-अलग तरह के उद्योगों की सैर करेंगे और समझेंगे कि वहां काम कैसे होता है? कौन-कौन काम करते हैं इनमें? क्या-क्या अंतर हैं इन उद्योगों में।

उद्योग से संबंधित कई सारे शब्द हैं। कुछ तो उद्योग में काम कर रहे लोगों के नाम हैं, जैसे– मालिक, मज़दूर, कारीगर, सुपरवाईज़र, मैनेजर, दलाल, परमानेन्ट और टेम्परेरी मज़दूर। ये नाम तुमने सुने भी होंगे। फिर उद्योग के काम से संबंधित कई शब्द हैं - कच्चा माल, औज़ार, प्रक्रिया, कारखाना, प्रदूषण, रसायन, मशीन, शेड .... इन शब्दों का क्या मतलब है यह भी आगे के पाठों को पढ़कर कुछ समझ में आयेगा।

2. कसेरा : एक दस्तकार

(या कारीगर)

शाम का समय है। ठक-ठक-ठक-ठक दूर से ही आवाज़ गूंज रही है। कसेरे मोहल्ले की गली में खड़े हो तो बात करना मुश्किल हो जाता है।

पर ये ठक-ठक की आवाज़ है किसकी? इन 8-10 घरों के सामने बैठ कर कसेरे लोहे और लकड़ी के हथोड़ों से पीतल की चादर पीट रहे हैं। कोई बटलोई (पीतल का घड़ा) का पेंदा मोड़ रहा है, तो कोई ऊपर का भाग। कोई कुड़ा बना रहा है तो कोई बनी हुई बटलोई पर सुन्दरता के लिए मुठार चढ़ा रहा है। इसी से ठक-ठक की आवाज़ सुनाई दे रही है।

दस्तकार कैसे काम करते हैं- चलो यह पता करने के लिए कसेरों के बारे में जानें।

परिवार ने मिलकर घर पर बर्तन बनाए

बंसीलाल और उसका परिवार भी कसेरा मोहल्ले में रहते हैं। बंसीलाल बटलोई, कुड़ा (अनाज का नाप) तपेले (पतीली) आदि बनाता है। उसके साथ उसका भाई और दो लड़के भी काम करते हैं।

घर पर ही बर्तन बनाने का काम सुबह 6 या 6.30 बजे से शुरू हो जाता है। काम की जगह घर के सामने वाले भाग में है। बल्ला-बल्ली, मोगरी, लोन्री कई सारे छोटे-छोटे औज़ार लेकर वे अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कठेलना (लोहे का एक गोल सा रिंग) तो वहीं जमीन में गढ़ा हुआ है। बर्तन रखकर ठोकने के लिए छोटे-बड़े सरिए भी जमीन में गढ़े हुए हैं। इन्हीं के पास बैठकर काम होता है। अंगारों की भी दो जगहें हैं जिन पर झलाई (पीतल के दो भागों को जोड़ने) का काम होता है।

बंसीलाल, उसका भाई मन्नूलाल और दोनों बेटे रामेश्वर और अर्जुन चाय पीकर, अपने औजार लेकर काम की जगह पर बैठ गए। आज वे लोग बटलोई बना रहे हैं। बटलोई तीन भागों में होती है। नीचे का पेंदा, बीच का भाग और फिर बटलोई का मुंह। तुम्हारे घर पर बटलोई हो तो उसे ध्यान से देखना।

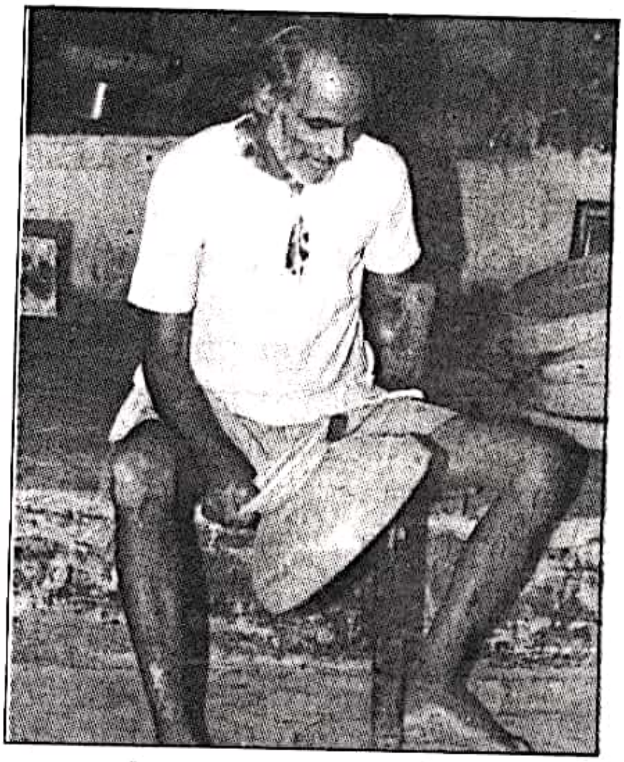

चित्र 1. कसेरे के काम करने की जगह

रामेश्वर और अर्जुन बटलोई के पेंदे के भाग को पीट-पीट कर बड़ा कर रहे हैं। यह भाग पीतल की गोल चादर को मशीन से दबाकर बनाया जाता है। बंसीलाल और मन्नूलाल बटलोई के बीच के भाग को ठोंक-ठोंक कर मोड़ रहे हैं। यह भाग पीतल की गोल चादर को ही पीटकर बनाया जाता है।

बंसीलाल, मन्नूलाल और बंसीलाल के दो बेटे मिलकर एक दिन में 8-10 बटलोई के पैंदे और बीच के भाग

पीतल की चादर को ठोंक पीटकर तैयार करते हैं। फिर ऊपर के भाग में एक गोल छेद किया जाता है, जिसमें मुंह बिठाया जाएगा।

बटलोई के मुंह को ध्यान से देखो। क्या यह भी पीतल की चादर को ठोंक पीट कर बनाया गया लगता है? नहीं! बटलोई के मुंह बंसीलाल और मन्नूलाल और उनके जैसे कसेरे नहीं बनाते। ये मुंह पीतल को पिघला कर और ढाल कर बनाए जाते हैं। ढलाई का काम मोहल्ले में केवल एक ही घर में होता है।

अगले दिन झलने का काम होना है। सुबह से ही अंगारे तैयार करने का काम शुरू हुआ। पहले बीच के भाग में जो छेद काटा गया था, उसमें मुंह बिठाकर झाला गया। ये काम मन्नूलाल और बंसीलाल कर रहे थे। दूसरे अंगारे पर रामेश्वर और अर्जुन बैठे थे। उन्हें बंसीलाल और मन्नूलाल बीच का भाग देते जाते (जिसमें मुंह झाला हुआ था) और वे दोनों बीच और नीचे के भाग को आपस में झल देते।

केवल ग़लत वाक्यों को सुधारकर लिखो।
क) बंसीलाल ने काम के लिए मज़दूर रखे।
ख) बंसीलाल उधार से औज़ार लाने के लिए व्यापारी के पास गया।
ग) कसेरा अपने घर पर काम करता है।

चित्र 2. कसेरे के अपने औज़ार

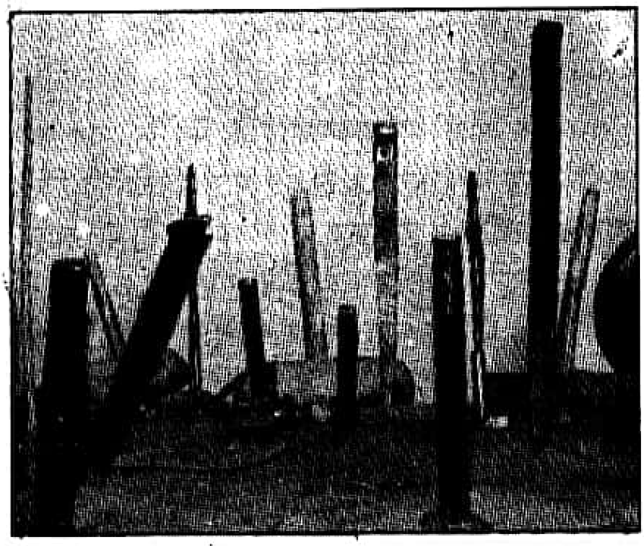

बटलोई के तीन भाग कौन से होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है?

बटलोई के तीनों भाग झाल दिए गए हैं। अब बटलोई चमकाई जाएगी। बटलोई को चमकाने के लिए उसे राल से खरात पर चिपका कर घुमाते हैं। खरात के साथ-साथ बटलोई भी घूमती है। बटलोई घूमती जाती है और ये लोग लोनी और चमक के रुंदे से उसकी छिलाई करते हैं। देखते ही देखते बटलोई चमक उठती है।

चाहे पीतल की चादर मोड़ने का काम हो, चाहे झलने का, चाहे चमकाने का- ये लोग सुबह छः बजे से जो लगते हैं रात को नौ बजे से पहले फ़ुरसत नहीं पाते। बस 10-11 बजे भोजन करने के लिए घंटे दो घंटे के लिए काम छोड़ते हैं और थोड़ी देर शाम को नाश्ते के लिए। 40 किलो, यानी 10 बटलोई, वे दो दिन मे तैयार कर लेते हैं।

चित्र 3. बटलोई के बीच का भाग मोड़ते हुए

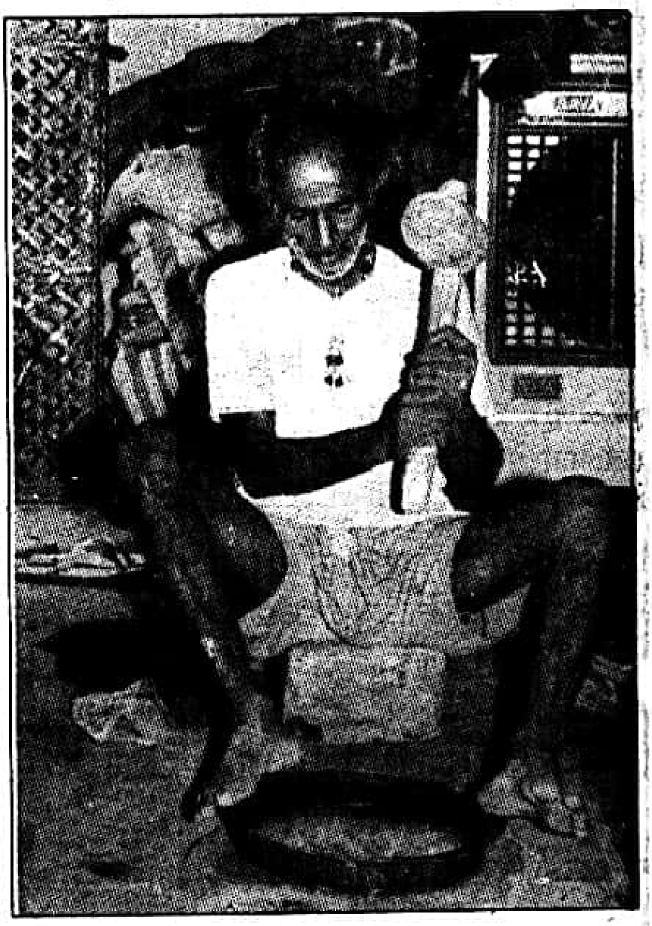

कसेरे के बटलोई बनाने के काम को क्रम से जमाओ

1) बटलोई के पेंदे को झलना

2) पेंदे को तैयार करना

3) बीच के भाग को तैयार करना

4) चमकाना

5) मुंह बिठाकर झलना

बंसीलाल का परिवार बटलोई का एक हिस्सा बनाने के लिए दूसरे परिवार पर निर्भर है। वह कौन सा हिस्सा है?

गुरुजी से चर्चा करो कि 'पिघलाकर ढालने' और 'पीट-पीटकर बड़ा करने' मे क्या अंतर है।

बंसीलाल के भाई ने बर्तन बेचे

8 दिनों में काफी सारा माल तैयार हो गया। बटलोई, कुड़े, तपेले। अब मन्नूलाल सब माल लेकर शहर के एक व्यापारी के यहां गया। व्यापारी ने क्या उससे पूरा माल नगद में खरीदा? नहीं - नए बर्तनों के बदले में कुछ पुराना पीतल दिया और कुछ पैसे दिए। पहले तो उसने हर एक चीज़ तौली-बटलोई अलग, तपेले अलग और कुड़े अलग। जितना पीतल का वजन था उतना ही पुराना पीतल व्यापारी ने तौल कर मन्नूलाल को दिया।

यह पुराना पीतल व्यापारी के पास आया कहां से? जो लोग व्यापारी के पास पीतल के नए बर्तन खरीदने आते हैं, वे घर पर पड़े पुराने टूटे-फूटे पीतल के बर्तन व्यापारी को देते हैं। व्यापारी इस से कुछ कम वज़न के नए पीतल के बर्तन खरीददार को देता है, और बनवाई के पैसे अलग लेता है।

तुम्हारे गाँव या शहर में पीतल के बर्तन बेचने की दुकान हो तो वहाँ जाकर पता करना कि पुराने पीतल के बर्तन के बदले में नया पीतल किस प्रकार बिकता है।

व्यापारी ने तो हर चीज़ अलग-अलग तौली थी। ऐसा क्यों? उसने मन्नूलाल को सिर्फ पुराना पीतल ही नहीं दिया, वस्तु की बनवाई के पैसे भी दिए। बनवाई के पैसे हर वस्तु के लिए अलग-अलग होते हैं।

1994 में कसेरे को मिलने वाले बनवाई के पैसे

वस्तु	बनवाई के पैसे
बटलोई	30 रु. किलो
कुड़ा	35 रु. किलो
तपेला	30 रु. किलो

छोटी-बड़ी बटलोई मिलाकर मन्नूलाल12 बटलोई बेचने ले गया था। कुल वज़न 72 किलो था तो मन्नूलाल को 72 किलो पुराना पीतल और बटलोई की बनवाई 72 X 30 = 2160 रु. मिले। पैसे और पीतल लेकर मन्नूलाल घर पहुंचा। तब उसके घर पर काम चालू था। बंसीलाल और उसके लड़के काम कर रहे थे।

उसने अपने भाई बंसीलाल के साथ बैठकर हिसाब किया। बर्तनों के लिए मिले पैसों में से कुछ रुपये बंसीलाल ने पीतल की नई चादर लेने के लिए अपने पास रख लिए। मन्नूलाल ने 72 किलो का माल बेचा था और 72 किलो पुराना पीतल लेकर आया था। 18 किलो पीतल बटलोई के मुंह ढलवाने के लिए उसने अपने पास रख लिया। बाकी पीतल नई चादरों के लिए बंसीलाल को दिया।

चित्र 4. बीच और नीचे के भाग की झलाई

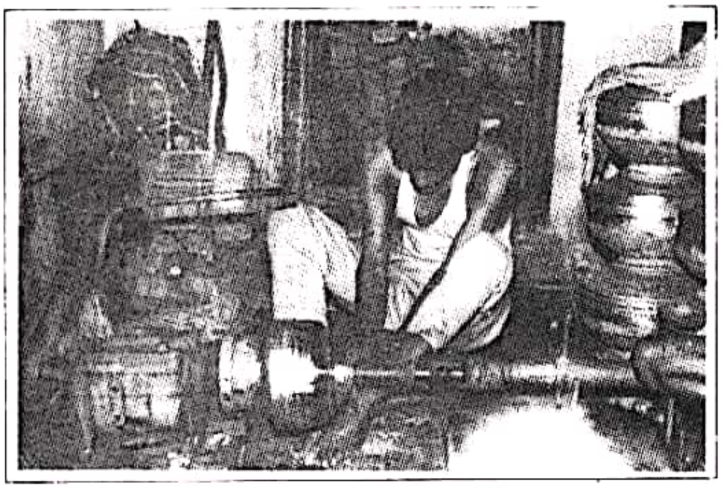

चित्र 5. बटलोई को खराद पर चमकाया जा रहा है

व्यापारी के पास पुराना पीतल कहां से आता है?

कसेरे के पास पुराना पीतल कहां से आता है?

कसेरा पुराने पीतल का क्या करता है?

बंसीलाल पीतल की चादरें खरीदने गया

बंसीलाल 2 दिन बाद पीतल की चादर लेने चीचली गया। ट्रक में लादकर अपने साथ पुराना पीतल ले गया। ट्रक वाले को 50 रु. दिए। चीचली में पीतल की गोल चादर बनाने और इन चादरों को दबाकर बटलोई के पैंदे बनाने के कारखाने भी हैं। इन कारखानों में पुराना पीतल लिया जाता है। पैंदे की चादर मशीन से दबा कर गहरी भी की जाती है।

कारखाने के एक शेड में पुराना पीतल तौला जा रहा है। दूर-दूर से कई कसेरे पीतल लेकर आए हैं। जितना भी पीतल तुलता है, उसी वज़न के पीतल की नई चादरें तौल कर कसेरे को दी जाती हैं। चादरें अलग-अलग मोटाई (जिसे गेज कहते हैं) की होती हैं। जिसे जिस मोटाई की चादर चाहिए, वह छांट कर तुलवा लेता है।

पीतल की नई चादर के लिए पुराने पीतल के अलावा कसेरे को कुल 12 रु. प्रति किलो के हिसाब से नई चादर की बनवाई के लिए पैसे भी देने होते हैं। बंसीलाल ने 100 किलो की छोटी-बड़ी चादरें लीं। उसे इन चादरों के लिये 1200 रुपये देने पड़े।

ये चादरें ट्रक पर लदवाकर वह वापस घर पहुँचा। ट्रक वाले को भी 50 रुपये सामान लाने का भाड़ा दिया। इस बीच उसके घर पर उसके लड़के और मन्नूलाल बटलोई, तपेला बनाने का काम कर रहे थे।

पुराना पीतल जो बाकी बचा था, मन्नूलाल ने छगन कसेरे को बटलोई के मुंह ढलवाई के लिए दिया। छगन और उसका भाई लल्लन, मन्नूलाल के घर के सामने रहते हैं और ढलाई का ही काम करते हैं। ये लोग बटलोई, तपेला नहीं बनाते।

इस तरह मन्नूलाल और बंसीलाल के यहां बर्तन बनाने का सामान फिर से इकट्ठा हो गया- पीतल की चादर, बटलोई के पैंदे और बटलोई के मुंह। अब वह इन चीज़ों से नए बर्तन बनाएगा और फिर यह चक्र शुरू होगा: जैसे कि तुम अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में देख सकते हो।

चित्र मे तीन खाली स्थान हैं। चक्र को समझते हुए इन्हें भरो।

नीचे इस चक्र का वर्णन दिया है। परन्तु इस चक्र में कुछ चीज़ें छूट गई हैं- सही विकल्प चुनकर खाली स्थान में भरो।

(पीतल की चादर, कुड़ा, तपेला, बटलोई, व्यापारी, पीतल के कारखाने, पुराना पीतल, बटलोई के मुंह।)

एक हफ्ते या दस दिन में नए बर्तन तैयार करके मन्नूलाल इन्हें ---- के पास बेचने जाएगा। उसके यहां से वह ------- लाएगा। इसे बंसीलाल ---------- ले जाएगा। वहां से ---------- ले कर आएगा।

मन्नूलाल छगन को पुराना पीतल देकर---------- बनवाएगा। फिर इन सब चीज़ों से बंसीलाल और मन्नूलाल का परिवार ---------- और ---------- बनाएगा।

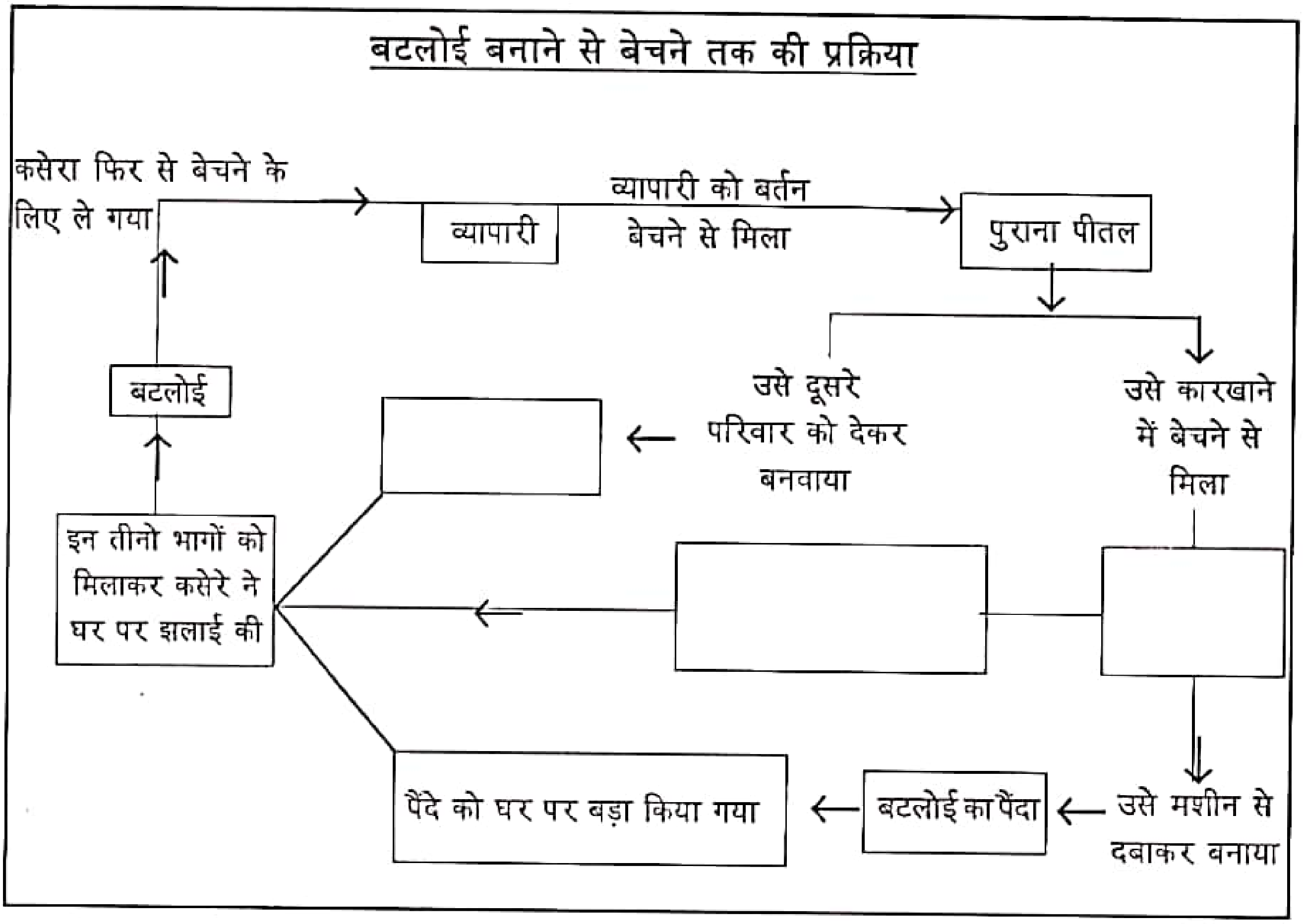

आमदनी और खर्च

तुमने देखा था कि मन्नूलाल और बंसीलाल के परिवार में 4 लोग कसेरे का काम करते हैं। जो बर्तन मन्नूलाल बेचने गया था, वे उसके परिवार ने मिलकर 5 दिन में बनाए थे।

व्यापारी से जो पैसे मिले उन पैसों से बंसीलाल और मन्नूलाल के घर का खर्च चलता है। कभी-कभी कुछ बचत भी हो जाती है। उनके घर पर कुल12 सदस्य हैं।

परन्तु हमेशा कसेरों की आमदनी एक सी नहीं होती है। मन्नूलाल और बंसीलाल का परिवार दो दिनों में करीब 40 किलो पीतल के बर्तन तो बना सकता है, पर हमेशा इतने बर्तन बिकते नहीं है। कभी हफ्ते भर में व्यापारी 100 किलो का माल ही लेता है, तो कभी महीने भर में 200 किलो का। यह बात जुड़ी हुई है खेती से। जब फसल अच्छी होती है तब कसेरों का धंधा भी अच्छा चलता है। फसल खराब होती है तो मंदा पड़ जाता है। इसी तरह शादी और त्यौहार के मौसम में और जब फसल कटती है, तब कसेरों का काम भी बढ़ जाता है।

कौन-कौन से महीनों में कसेरों का काम ज़्यादा होगा और कब कम होगा? आपस में चर्चा करके बताओ।

कसेरे क्यों कम हो गए?

कसेरे मोहल्ले में बात चल रही थी। आज से 50-60 साल पहले मन्नूलाल के कस्बे मे करीब 100 घर कसेरों के थे। रात भर ठक-ठक की आवाज़ से आकाश गूंजता था। अब तो शाम को ही काम बंद हो जाता है। और कसेरों के 7-8 घर ही बचे हैं।

ऐसा क्यों हुआ? मुख्य रूप से स्टील एवं अल्यूमिनियम के बर्तनों का असर कसेरों के धंधे पर पड़ा है। पीतल के

चित्र 6. दुकान पर पीतल के बर्तन तौले जा रहे हैं

बर्तनों को चमकाने और कलई करने में बहुत मेहनत लगती है। स्टील तो फट से साफ हो जाता है। इसलिए लोग अब स्टील के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं।

एक और कारण से कसेरे यह काम छोड़ रहे हैं। इसमें मेहनत बहुत लगती है। सुबह से शाम तक बैठ कर पीतल पर हथोड़े मारते रहो, छिलाई करते रहो। थक जाते हैं बहुत। बदन दुखने लगता है। कम शारीरिक मेहनत वाले धंधों में भी तो आजकल पैसा मिल जाता है। कई कसेरों ने यह काम छोड़ कर बर्तन या कपड़ों की दुकान लगा ली है। कई पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे हैं।

ये है इन कसेरों की जिन्दगी और काम। घर पर ही सुबह से शाम दिन भर मेहनत करना। स्वयं कच्चा माल लाना और तैयार बर्तन बेचना। इसी माईने में कसेरा एक दस्तकार है।

दस्तकारों के और उदाहरण

कुम्हार नदी पर से मिट्टी लाता है। उसे छानता है, गूंधता है। दो एक दिन में मिट्टी तैयार होती है। जब मिट्टी खत्म होने को होती है तभी वह जाकर और मिट्टी ले आता है।

वह चाक पर मिट्टी को घुमाता है। उसे बढ़ाकर मटके बनाता है। मिट्टी को ऊपर लकड़ी के गुटकों से थपथपाता है, ताकि मटके का रूप बनता जाए। इन मटकों को सुखाकर उन्हें भट्टी में पकाता है। भट्टी के लिए लकड़ी खरीदता है।

मटके बन जाने पर उन्हें स्वयं गांव-गांव ले जाकर या पास के बाज़ार में बेचता है। गर्मी के दिनों में उसका काम बढ़ जाता है और बिक्री भी बढ़ जाती है। कुम्हार भी एक दस्तकार है।

इस प्रकार अन्य दस्तकार हैं - जुलाहा, कपड़े पर छपाई करनेवाला, बसोड़, चर्मकार, रंगरेज़ आदि।

दस्तकार का काम

दस्तकार के काम की कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात, वह अपने घर पर काम करता है। वहां उसके अपने औज़ार होते हैं और वह अपना काम करने का समय खुद तय करता है। यानी कोई दूसरा व्यक्ति उसके काम करने का समय तय नहीं करता।

एक शिक्षक, आफिस का बाबू या बैंक कर्मचारी अपने घर पर काम नहीं करते। उनके काम का स्थान अलग है। उसी प्रकार कारखाने में काम करने वाले मज़दूर व अफसर अपना काम कारखाने में ही करते हैं। इनकी तुलना में दस्तकार अपने घर पर ही काम करता है।

इनमें से कौन अपना काम करने का समय खुद तय नहीं करते हैं?

कुम्हार, बसोड़, सरकारी बाबू, शिक्षक, कारखाने का मज़दूर, बैंक मैनेजर।

यह भी बताओ कि इनके काम करने के समय कौन तय करता है?

दस्तकार के काम की दूसरी विशेषता है कि उसके परिवार के लोग मिलकर वह चीज़ बनाते हैं। आमतौर

पर वे मज़दूर नही लगाते है।

दस्तकार के काम की तीसरी विशेषता है कि वह स्वयं कच्चा माल खरीदता है और सामान बनाकर उसे बेचने की व्यवस्था करता है। यानी या तो वह खुद लोगों को बेचता है या फिर किसी व्यापारी द्वारा बेचता है। इनकी तुलना एक दर्ज़ी से करो जो दूसरों को कपड़े सिल कर देता है पर वे कपड़े उसके नहीं होते। यदि कोई दर्ज़ी खुद कपड़ा खरीदकर उसे सिले और फिर उसे बेचे तो वह दस्तकार माना जाएग। आगे के पाठ मे यह अंतर और स्पष्ट हो जाएगा।

अभ्यास के प्रश्न

1. बंसीलाल और मन्नूलाल जैसे कसेरे क्या बनाते हैं? इन चीज़ों का वे क्या करते हैं?
2. उनके काम के लिए कच्चा माल क्या है, ये कच्चा माल वे कैसे प्राप्त करते हैं?
3. कसेरों को अपने माल के बदले में क्या मिलता है?
4. कसेरों के कुछ औज़ारों के नाम बताओ। उनके चित्र भी अपनी कॉपी में बनाओ।
5. कसेरे कहां पर और कब काम करते हैं?
6. धंधा अच्छा चले तो एक हफ्ते में बंसीलाल के परिवार की लगभग कितनी कमाई हो जाती है?
7. कसेरा बटलोइ कैसे बनाता है, समझाओ।
8. कसेरा बटलोइ बनाने के प्रक्रिया मे किन कामों के लिए दूसरों पर निर्भर है? सूची बनाओ
9. व्यापारी को पुराना पीतल कैसे प्राप्त होता है और वह उसका क्या करता है?
10. नीचे कुछ दस्तकारों के बारे मे तालिका दी गई है। इसे पूरा करो।

दस्तकार	क्या बनाता है	कच्चा माल	कच्चा माल कैसे प्राप्त करता है
कुम्हार			
बसोड़			
जुलाहा			

11. पृष्ठ 196 पर कुम्हार के काम के बारे में तुमने पढ़ा। इस के आधार पर कुम्हार के काम को समझाने के लिए एक रेखा-चित्र बनाओ।
12. कसेरे का धंधा क्यों कम हुआ है?
13. क्या ऐसे सभी व्यक्ति जो घर पर उत्पादन करते हैं, उन्हें दस्तकार कहा जाएगा? समझाओ।

3. बीड़ी और बीड़ी बनाने वाले

(ठेकेदारी प्रथा से काम)

समीना बीड़ी बनाने के पैसे लेने गई

आज सट्टेदार सद्दू मियां के यहां बहुत से लोग जमा हैं। ये लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। वे सद्दू मियां के घर से तेन्दू पत्ते की गड्डियां, तम्बाकू और धागा ले जाते हैं। फिर बीड़ी बनाकर सद्दू मियां को देते हैं।

सब लोग हफ्ते में निश्चित दिन अपने पैसे लेने आते हैं। रोज़ बनी हुई बीड़ियां देने आते हैं। साथ ही वे और बीड़ियां बनाने के लिए पत्ते, तम्बाकू, धागा ले जाते हैं। सद्दू मियां के घर पर लंबी कतार लगी है। वहां आदमी, औरत, लड़के, लड़कियां सभी हैं।

हर परिवार के एक व्यक्ति के नाम से सद्दू मियां के पास एक खाता है। सद्दू मियां अलग-अलग खातों में हर परिवार द्वारा जमा बीड़ियां लिख देता है, और हफ्ते के हिसाब से बीड़ी बनाने का पैसा दे देता है।

समीना भी उस कतार में खड़ी है। वह और उसकी अम्मा अमीना बी, बीड़ी बनाते हैं। समीना की उम्र 12 वर्ष है। खाता तो उसकी मां के नाम से है परन्तु आज समीना ही पैसे लेने आई है। समीना की मां बीमार है। इसीलिए समीना बीड़ियां भी नहीं ला पाई है। बीमार मां और छोटे भाई साजिद (जो सिर्फ 3 वर्ष का है) की देखभाल करने वाली वह अकेली है। उसी को खाना बनाना पड़ता है और घर की देखभाल भी करनी पड़ती है। वह मुश्किल से सब काम संभाल पाई है। ऐसे में बीड़ी बनाने की फुरसत कहां से मिलती?

जब समीना का नंबर आया तो उसने सद्दू मियां को अपनी मां का कार्ड बताया। सद्दू मियां ने पूछा "क्यों री! आज बीड़ी नहीं लाई? और तेरी अम्मा कहां है?" समीना ने कहा "3-4 दिनों से वह बुखार में पड़ी है। तभी तो मैं भी बीड़ियां नहीं बना पाई। आप इस हफ्ते के पैसे दे दीजिए। अम्मा ने 3 से 5 तारीख तक बीड़ियां जमा की थीं।" सद्दू मियां ने अमीना बी का खाता खोलकर देखा। छंटाई की बीड़ियां काटकर 2500 बीड़ियों का हिसाब बना। छंटाई की बीड़ियां काटने के बाद सट्टेदार 1000 बीड़ी बनाने के 22 रुपए 50 पैसे देता है। (मई 1994 में)

समीना को सद्दू मियां ने कितने पैसे दिए?

सद्दू मियां ने कहा "500 बीड़ी के पत्ते और तम्बाकू तुम्हारी अम्मा के पास हैं। जल्दी से बीड़ी बनाकर ले आना नहीं तो पत्ते तम्बाकू लौटा देना।"

समीना घर पहुंची तो देखा कि मां का बुखार कुछ कम हो गया है। पर बदन में दर्द अभी भी था। फिर भी वह

चित्र 1. सट्टेदार के घर पर

खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। समीना ने उन्हें मना किया और खुद आटा सान कर रोटी बनाने लगी।

शाम तक अमीना बी की तबियत कुछ और अच्छी हो गई। तब समीना ने कुछ पत्ते भिगो दिए। सोचा कल वह कुछ बीड़ियां बना लेगी। गीले पत्तों की ही बीड़ियां बनती हैं। सूखे पत्तों को मोड़ने पर वे टूट जाते हैं।

समीना के पिताजी भी बीड़ी बनाया करते थे। वे 5-6 घंटों में 1000 बीड़ी बना लेते थे। तब समीना छोटी थी। उसके पिताजी और मां बीड़ी बनाते थे। एक दिन में 1500 बीड़ी बन जाती थीं। तीन साल हुए उसके पिताजी को खांसी और दमे की शिकायत शुरू हुई। बीड़ी बनाने की रफ्तार कम होती गई। फिर खांसी में खून जाने लगा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक की बीमारी है जो अक्सर बीड़ी बनाने वालों को हो जाती है। बहुत इलाज किया, पर समीना के अब्बा बच नहीं पाए। दो साल पहले उनकी मौत हो गई। तब से अमीना बी ही बीड़ी बनाती हैं और अब समीना भी उनका हाथ बंटाती है।

समीना ने बीड़ियां बनाईं

अगले दिन समीना और उसकी मां फरमा रख कर कैंची से पत्ते काटने बैठ गए। दोनों ने एक घंटे काम करके 300 पत्ते काटे। काटे हुए पत्ते गीली बोरी में रख दिए। समीना ने अपनी मां से कहा कि अब वह आराम करें। उसने खाना खाया और फिर खुद सूपा लेकर बीड़ी बनाने बैठ गई। सूपे के बीच में तम्बाकू रखी थी और एक तरफ गीली बोरी में लिपटे हुए कटे पत्ते। सूपे के उठे हुए हिस्से में एक तार लगा था जिस पर धागे की गिट्टी फंसी थी। सूपा, फर्मा, कैंची, चाकू सब अमीना के अपने ही हैं।

क्या ये सब चीज़ें तुम्हें चित्र 4 में दिख रही हैं?

बीड़ी किन चीज़ों से बनती है? यानी बीड़ी बनाने का कच्चा माल क्या है?

बीड़ी बनाने के लिए किन औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है? ये औज़ार किस के हैं?

चित्र 2. पत्ते काटती समीना

समीना पत्ते का एक टुकड़ा उठाती, चाकू से उसका डंठल साफ करती और उसमें चुटकी भर तम्बाकू रखती। फिर वो पत्ते को गोल-गोल पुंगी की तरह मोड़ती। तम्बाकू को ध्यान से पत्ते पर फैलाना पड़ता–न ज़्यादा ठूंस-ठूंस कर और न ही ज़्यादा खाली।

फिर वह बीड़ी के पीने वाले सिरे पर धागा लपेटती। उसे उल्टा करके जलाने वाले सिरे को एक सलाई से टोंक देती। बीड़ी बनाकर सूपे में रखती जाती। कोई पत्ता टूट जाता या बीड़ी मुड़ जाती तो उसे अलग रख देती। जब 25 बीड़ी बन जातीं तो उनका एक बंडल बांध कर ज़मीन पर रख देती। उसके छोटे-छोटे हाथ तेज़ी से पत्ते लपेटते जा रहे थे। बीच-बीच में उसे मां को भी देखना पड़ता था। वह एक घंटे में करीब 50 बीड़ियां ही बना पाती थी। बीड़ी बनाते-बनाते समीना अपना जी हल्का करने के लिए गाना

चित्र 3. बीड़ी बनाती समीना

गुनगुना रही थी–

"पत्ते को उठाया
ज़र्दे से भरा
उसको लपेटा
पीछे से बांधा
आगे से टोंका
सूपे में रखा
चुटकी की बीड़ी सलाई की बीड़ी
बन गई रे बन गई
सारी की सारी, बीड़ी हमारी।"

सूपे में तम्बाकू खत्म हो जाता तो सूपे के नीचे रखे डिब्बे से थोड़ा और ले लेती। बहुत संभाल कर उसे तंबाकू का उपयोग करना पड़ता था। सट्टेदार नापतौल कर 1000 बीड़ियों के लिए 300 ग्राम तम्बाकू ही देता है। यदि तम्बाकू कम पड़ गई तो पैसे काट लेता है। पत्ते के टुकड़े यदि सूपे में खत्म हो जाएं तो पास में बोरी में लिपटे पत्तों में से और ले लेती।

समीना शाम तक बैठी बीड़ियां बनाती रही, तब कहीं जाकर 300 बीड़ियां बनीं। शाम को बाकी पत्ते भिगो दिए।

दूसरे दिन समीना ने 300 बीड़ियां सद्दू मियां को दीं और एक हज़ार बीड़ियों के लिए पत्ते, तम्बाकू और धागा ले आई। अब तो उसकी अम्मी की तबियत कुछ ठीक थी तो वे दोनों मिलकर एक दिन में 800 बीड़ियां बना सकती हैं।

बीड़ी किस तरह बनाई जाती है अपने शब्दों में लिखो।

यदि समीना और उसकी अम्मा मिलकर एक दिन में लगभग 800 बीड़ियां बना लेते हैं तो उन्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? यदि वे महीने में 22 दिन काम करें तो एक महीने में उनकी कितनी कमाई हो जाती है?

कसेरे के काम और बीड़ी बनाने के काम मे क्या अंतर हैं?

क्या समीना सद्दू मियां को बीड़ी बेचती है या देती है? इन दोनों बातों में क्या अंतर है?

बीड़ी बनाने वालों के अधिकार

करीब 100 परिवार सद्दू मियां के यहां बीड़ियां जमा करते हैं। दो प्रकार के बीड़ी बनाने वाले सद्दू मियां के यहां बीड़ियां जमा करते हैं। एक, जिनके पास कार्ड हैं और दूसरे जिनके पास कार्ड नहीं हैं। करीब 50-60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कार्ड हैं। कार्ड का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर इन बीड़ी बनाने वालों को बीड़ी मालिक का मज़दूर माना जाता है और फैक्ट्री कानून के अनुसार वे कई सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं। इसलिए सट्टेदार सारे मज़दूरों के बारे में जानकारी नहीं दर्शाता है। ये सुविधाएं इस प्रकार हैं -

1. हर तीन महीनों में हर 100 रुपए के काम पर 5 रु. ऊपर से यानी बोनस 5% मिलना चाहिए।

2. मज़दूर की आमदनी में से 6.25% (यानी हर 100 रु. पर 6 रु. 25 पैसे) काट कर बैंक में जमा किये जाने चाहिए। मालिक को भी इतने ही पैसे हर मज़दूर

बीड़ी बनाने वालों की बीमारियां

दिन भर बैठे एक टक काम करने से बहुत से बीड़ी बनाने वालों को तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। तम्बाकू के साथ काम करने से सिर भारी होने लगता है। आँखें दुखने लगती हैं। सांस लेने में तकलीफ भी होती है। फेफड़ों की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर भी अधिक होता है। और फिर इतनी तेज़ी से उंगलियों से काम करने पर उंगलियों में भी गांठें पड़ने लगती हैं। इन बीमारियों की वजह से काम करने की क्षमता कम हो जाती है और कमाई भी कम हो जाती है।

के बैंक खाते में अपनी तरफ से जमा करना चाहिए। इस खाते को 'प्रॉविडेन्ट फन्ड' कहते हैं। इस फन्ड का पैसा मज़दूर के उपयोग के लिए है। केवल कार्ड वालों को ही यह अधिकार है।

3. जिनके पास ये कार्ड हैं, वे जब भी काम चाहें, उन्हें मिल सकता है। यदि 2-3 दिन बीच में काम नहीं भी किया फिर से उन्हें जब भी काम लेने आना हो, उन्हें मना नहीं किया जा सकता।

4. जिनके भी नाम पर ये कार्ड हैं, उन्हें बिना शुल्क के इलाज, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति और घर बनाने के लिए बिना ब्याज के उधार मिल सकता है।

5. यदि उन्हें तपेदिक या कैंसर जैसी जान लेवा बीमारी होती है, तो मालिक को चाहिए कि उन्हें जीविका के लिए एक न्यूनतम आमदनी दे।

पहली तीन सुविधाएं तो आजकल कार्ड वालों को आम तौर से मिल रही हैं। परन्तु प्रॉविडेन्ट फण्ड का पुराना हिसाब-(1974-1985 तक का) अभी तक नहीं दिया गया है। चौथी और पांचवीं सुविधाएं भी आमतौर पर इन बीड़ी मज़दूरों को नहीं मिलतीं।

दूसरी बात यह कि अक्सर पूरा परिवार बीड़ी बनाने का काम करता है। परन्तु बीड़ियां जमा होती हैं परिवार के एक ही व्यक्ति के नाम पर। इसलिए सुविधाएं भी मिलती हैं एक ही व्यक्ति को, पूरे परिवार को नहीं।

कार्ड वाले मज़दूरों के अलावा अधिकांश बिना कार्ड वाले मज़दूर हैं। ये लोग भी बीड़ी बनाकर सट्टेदार के यहां जमा करते हैं। पर इन्हें ऊपर दी गई कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिनके नाम से बीड़ियां जमा की जाती हैं, हर दो-तीन महीनों में उनका नाम बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक महीने मल्लू के नाम से एक परिवार की बनाई गई बीड़ियां जमा की जा रही हैं तो अगले महीने उसके भाई सोहन के नाम से जमा की

चित्र 4. बीड़ियां बन रही हैं

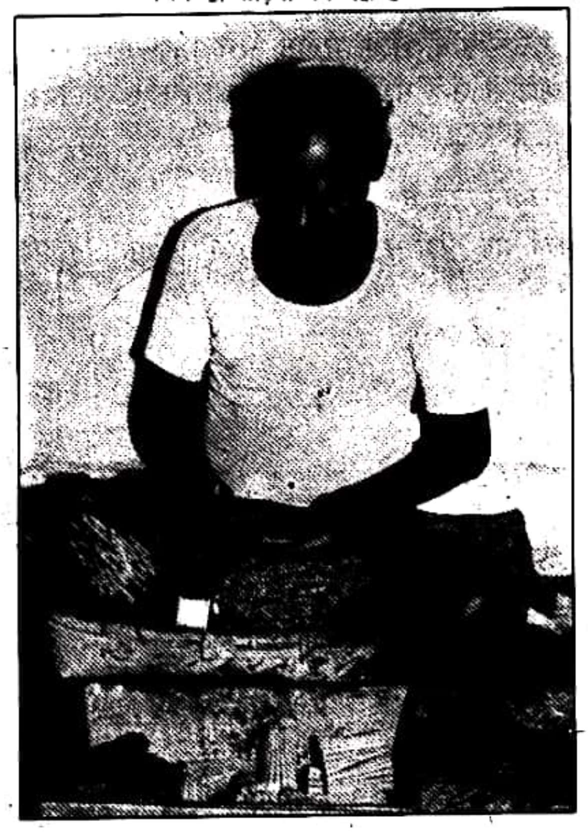

चित्र 5. समीना बीड़ियां जमा कर रही है

जाएंगी। फिर उसकी पत्नी का नाम डाला जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए कि कानून के हिसाब से यदि तीन महीनों से अधिक एक नाम से बीड़ियां जमा की जाती हैं, तो उन्हें कार्ड मिलना ज़रूरी है। कार्ड नहीं है तो उन्हें कभी भी काम देने से मना किया जा सकता है। कार्ड से उन्हें सभी सुविधाओं का हक हो जाता है।

गुरुजी से चर्चा करो कि कसेरे को क्या इस तरह की सुविधाएं मिल सकती है।

कार्ड वाले बीड़ी मज़दूरों को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और कौन सी मिलनी चाहिए?

सट्टेदार के खातों में बिना कार्ड वाले मज़दूरों के नाम क्यों बदले जाते हैं?

सट्टेदार का काम

सद्‌दू मियां के यहां उनके काम का ये सिलसिला चलता रहता है। बीड़ी बनाने वालों से रोज़ बीड़ी इकट्ठी करना। उन्हें तेंदूपत्ते और तम्बाकू देना। हर हफ्ते उनका हिसाब करना। कारखाने में ले जाकर बीड़ियां जमा करना। मालिक से हफ्ते का हिसाब करना और पत्ते, तम्बाकू लेकर आना। यही सब तो सट्टेदार का काम है।

सद्दू मियां के घर के लोग भी बीड़ियां बनाते हैं। पहले सद्दू मियां भी बीड़ियां बनाया करते थे पर उन्होंने अब यह काम छोड़ दिया है।

सद्‌दू मियां के यहां बीड़ी बनाने वालों ने बीड़ियां जमा कर दी थीं। रोज़ करीब एक लाख बीड़ियां सद्‌दू मियां के घर पर जमा की जाती हैं। सद्‌दू मियां और उसके बेटे रफीक ने बीड़ियां गिनीं। बीड़ियों की छंटाई की। फिर वे दोनों कारखाने में बीड़ियां जमा करने गए।

कारखाने के मालिक ने 22 रु. 50 पैसे प्रति हज़ार के हिसाब से बीड़ी बनाने के पैसे सद्‌दू मियां को दिए। उन्होंने पूरी बीड़ियों का हिसाब किया चूंकि खराब बीड़ियां सद्‌दू मियां ने पहले ही छांट ली थीं।

सद्‌दू मियां बीड़ी बनाने वालों को 1000 बीड़ियों के 22 रु. 50 पैसे देने के बजाए 1025 बीड़ियों के 22 रु. 50 पैसे देते हैं। वे 25 बीड़ियां अधिक इसलिए लेते हैं चूंकि कई बार बीड़ियां खराब निकल जाती हैं और उन्हें हटाना पड़ता है।

पर जितनी बीड़ियां सद्‌दू मियां छंटाई के लेता है, उतनी खराब नहीं निकलतीं। इसलिए सद्‌दू मियां को कुछ अधिक फायदा होता है। बीड़ियां जमा करने, पत्ते और तम्बाकू बांटने आदि कामों के लिए मालिक सद्‌दू मियां

चित्र 6. सट्टेदार के यहां पत्ते दिए जा रहे हैं

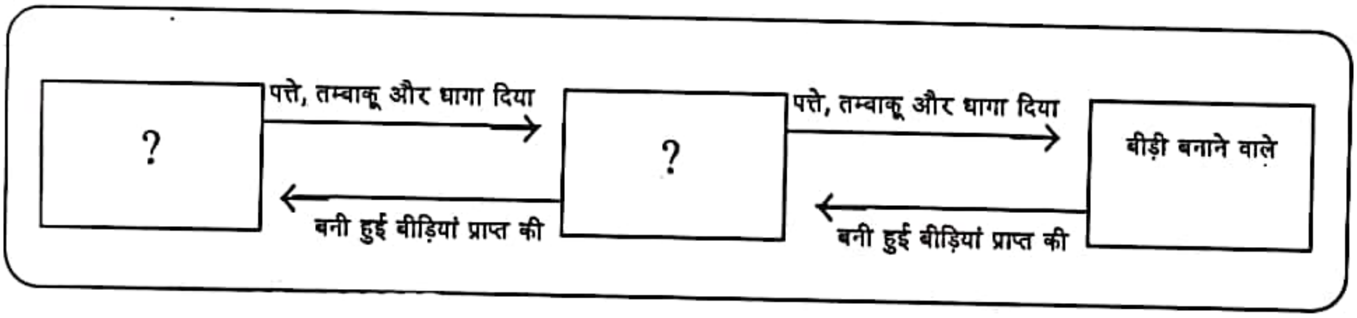

को हर 1000 बीड़ियों पर 50 पैसे कमीशन अलग से देता है। सद्दू मियां को 50 पैसे प्रति हज़ार के हिसाब से 1,00,000 बीड़ियों का रोज़ 50 रु. कमीशन मिल जाता है।

आजकल 1000 बीड़ी के लिए 22 रु. 50 पैसे बीड़ी बनाने की मज़दूरी का सरकारी रेट है। पर सभी जगह मालिक ये रेट नहीं देते हैं। कहीं पर 18 रु. देते हैं तो कहीं 20 रु. और फिर कई जगह सट्टेदार भी इसमें से कुछ पैसे रख लेते हैं। कहीं पर बीड़ी बनाने वालों को 15 रु. ही मिल पाते हैं तो कहीं पर 12 रु.।

समीना और उसके जैसे कई परिवार बीड़ी बनाते हैं और सट्टेदार के यहां जमा कर देते हैं। वे इन बीड़ियों को स्वयं बेच नहीं सकते। इन्हें सट्टेदार भी नहीं बेच सकता क्योंकि तेंदू पत्ते, तम्बाकू और धागा ये सब कच्चा माल सट्टेदार या बीड़ी बनाने वालों का नहीं, बीड़ी कारखाने के मालिक का है।

कारखाने का मालिक यह सब कच्चा माल सट्टेदार को दे देता है, बीड़ी बनाने वालों को देने के लिए। बीड़ी बनाने वाले मज़दूर बीड़ी बनाकर सट्टेदार को देते हैं। सट्टेदार इन बीड़ियों को बीड़ी कारखाने में जमा करता है।

ऊपर दिए गए रेखा चित्र को समझकर उसके खाली स्थान भरो।

कसेरा एवं बीड़ी बनाने वालों की तुलना करते हुए केवल ग़लत वाक्यों को सुधारो।

क) बीड़ी बनाने वाला खुद बीड़ी बेचता है।

ख) बर्तन बनाने वाला कसेरा खुद बर्तन बेचता है।

ग) बीड़ी बनाने वाला अपना कच्चा माल खुद खरीदता है।

घ) कसेरा अपना कच्चा माल सट्टेदार से लेता है।

ङ) बीड़ी बनाने की बीड़ी सट्टेदार की होती है।

च) कसेरे के बर्तन उसके अपने होते हैं।

बीड़ी का कारखाना और कारखाना मालिक

अब चलें तीर छाप बीड़ी के कारखाने में, जहां सद्दू मियां बीड़ियां जमा करता है। यह मनमोहन का कारखाना है। अप्रैल का महीना है तो तेन्दू पत्ते तुड़वाने वह जंगल गया है। उसका छोटा भाई आनंद कारखाने की देखरेख कर रहा है।

मनमोहन हर साल जंगल का ठेका लेता है। तेन्दू पत्ते तोड़ने के लिए जंगलों की नीलामी होती है। जो जंगल मिल

चित्र 6. सिकाई

बीड़ी बनाने वाले परिवार → बनी हुई बीड़ी → ? → बनी हुई बीड़ी → ? → सिकाई, पैकिंग के लिए → ? → बेचने के लिए → गांव शहरों के बाजार

जाए, उसमें ठेके से मज़दूर लगाए जाते हैं। तेन्दू के पेड़ों की छंटाई आदि के बाद फरवरी से जून के महीने तक पत्तों को तोड़ा जाता है। पत्तों को तुड़वाना, गड्डी बनवाना, उन्हें सुखाना और बोरों में भरकर ट्रक से कारखाने तक भेजना ये सब मनमोहन ही करवाता है। बोरियां उतरवा कर गोदाम में रखवाई जाती हैं। अब तम्बाकू भी खत्म होने को है। इसके लिए मनमोहन का मंझला भाई हैदराबाद गया हुआ है। आनंद ने बंबई से धागा मंगवाने के लिए फोन लगाया है। इस प्रकार यहां मालिक ही कच्चा माल इकट्ठा करने का काम करता है।

सद्दू मियां बीड़ियां लेकर आए है। मुंशीजी उसका हिसाब कर रहे है। छंटी हुई बीड़ियां तंदूर में सिकने जाती है जैसा कि तुम चित्र-10 मे देख सकते हो। मज़दूर छंटे हुए बंडल ट्रे में जमाते है। तंदूर मे सिकाई के समय बीच-बीच में बण्डलों को पलटना पड़ता है ताकि वे चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए। सिकाई में कई बार कुछ बीड़ियां टेढ़ी हो जाती हैं। कोई बीड़ी अधिक सिक जाती है तो कोई कम। इनको सिकाई के बाद अच्छी बीड़ियों से अलग किया जाता है यानी फिर से छंटाई का काम। सिकी हुई बीड़ियों को पैकिंग के लिए दूसरे कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में कागज़, लेई और लेबल लेकर मज़दूर बीड़ियों के बण्डलों की पैकिंग कर रहे है।

चित्र 7. पैकिंग

कारखाने में सिकाई, छंटाई और पैकिंग करने वाले मज़दूरों को प्रति दिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती हैं। इन्हें **फैक्ट्री कानून** के अंतर्गत वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कार्ड वाले बीड़ी मज़दूरों को मिलती है। मज़दूरों से बात करने पर उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में कुछ सुविधाएं जैसे, छुट्टियों के पैसे, बोनस आदि का लाभ मिला है। परन्तु इलाज, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, गंभीर बीमारी में मुआवज़ा आदि का लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है।

बीड़ियां बनकर पैक हो गईं। मनमोहन के कारखाने में रोज़ लगभग एक लाख बीड़ियां तैयार होकर पैक होती हैं। ये बीड़ियां आस-पास के गांवों और शहरों में बिकती हैं। इस बिक्री से कारखाने के मालिक को काफी फायदा होता है।

तुमने देखा कि समीना और अन्य लोगों के घरों पर बनायी बीड़ियां लेकर सद्दू मियां कारखाने में आए थे' शेष काम कारखाने में हुआ और यहीं से पैक किए हुए बीड़ी के बण्डल बाज़ार मे बिकने के लिए चले जाते हैं क्या बाज़ार में बेचने का काम सद्दू मियां करते हैं? नहीं बेचने का काम कारखाने के मालिक ही, करते हैं।

ऊपर दिए रेखा-चित्र को समझते हुए, खाली स्थान भरो।

कारखाने का मालिक बीड़ी का कच्चा माल कैसे इकट्ठा करता है?

बीड़ी के कारखाने में क्या-क्या होता है, अपने शब्दों में लिखो?

रोज़ के हिसाब से मज़दूरी और नग के हिसाब से मज़दूरी मिलने में क्या अंतर है?

यदि कारखाने का मालिक सट्टेदार से बनी हुई बीड़ी खरीदता तो उसे कौन से काम नहीं करने पड़ते?

ठेकेदारी प्रथा से काम

ठेकेदारी (या सट्टेदारी) प्रथा के कारण काम आसानी से बांटा जा सकता है। कुछ खास और बड़े काम जैसे तेंदू पत्ते का ठेका, बीड़ियों की सिकाई, बीड़ी बेचने की व्यवस्था आदि मालिक खुद करता है। दूसरे काम वह ठेके पर दे देता है।

जहां उत्पादन का कार्य कोई कारखाने का मालिक करवाता है वहां उसे कई प्रकार के काम करना होते हैं। ठेकेदारी प्रथा में इन बातों की जवाबदारी जैसे व्यवस्था करना, काम करवाना, मज़दूरों को पैसे देना, आदि ठेकेदार (या सट्टेदार) की होती है। मालिक इन सब कामों से मुक्त हो जाता है। ठेकेदार के मज़दूरों को कारखाने के मज़दूर नहीं माना जाता। अधिकांश यह पाया गया है कि इन मज़दूरों को कम पैसों में काम करना पड़ता है और फैक्ट्री कानून के सरकारी नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं भी नहीं मिल पातीं।

बीड़ी मज़दूरों ने कानूनी लड़ाई लड़कर परिवार में काम कर रहे लोगों को सुविधाएं मिलने का हक़ दिलवाया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सट्टेदार जिन परिवारों द्वारा काम करवाता है वे वास्तव में किसी कारखाने के मालिक के मज़दूर के रूप में काम रहे हैं। तभी से ऐसे लोगों को पहचान के लिए कार्ड देने की व्यवस्था शुरू की गई। कार्ड वाले लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए इसके बारे में भी तुमने पढ़ा।

तुमने बीड़ी बनाने वालों के काम में एवं कसेरे जैसे दस्तकार, के काम में कई अंतर स्पष्ट देखे होंगे। दस्तकार सामान किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। बीड़ी जैसी ठेकेदारी व्यवस्था में बनाने वाले परिवार को बीड़ी उसी कारखाने के मालिक के पास पहुंचानी होती है जिससे उसे धागा, तम्बाकू और पत्ते मिले थे। कच्चा माल देने के कारण मालिक निश्चित कर पाता है कि उसी को बना हुआ माल प्राप्त होगा। अतः ठेकेदारी प्रथा में अपने हिसाब से सामान बेचने की छूट नहीं होती है और इस कारण बहुत बार सामान का वाजिब दाम नहीं मिलता है।

सामान बनाने वाले को अच्छे दाम मिल जाएं इस हेतु, कहीं-कहीं लोगों ने एक रास्ता निकाला है। उन्होंने आपस में मिलकर एक सहकारी सोसाइटी बनाई है जिसका मुख्य काम उत्पादन की बिक्री करना होता है।

अपने गुरुजी के साथ चर्चा करो कि सहकारी समिति द्वारा बिक्री करने से उत्पादक को क्या लाभ हो सकता है?

मध्यप्रदेश में ही बीड़ी बनाने के करीब 300 कारखाने हैं। लगभग पंद्रह लाख लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। हमने जो तीर छाप बीड़ी का कारखाना देखा, वह तो एक छोटा कारखाना है। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में रोज लगभग बीस करोड़ बीड़ियां बनती हैं। सागर और जबलपुर में लाखों लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। भोपाल में ही करीब 10,000 लोग बीड़ी बनाते हैं।

बीड़ी के समान कई उद्योग हैं जहां ठेकेदारी प्रथा से घर पर उत्पादन किया जाता है। हाथ करघे पर बना कपड़ा, रस्सी बनाना, गलीचा बनाना आदि ऐसे कुछ उद्योगों के उदाहरण हैं।

तुमने अपने आस-पास बहुत लोगों को बीड़ी पीते देखा होगा। दिन भर में एक दो बण्डल पी जाते हैं। बीड़ी पीने से तपेदिक, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। बीड़ी पीने से पैसा खर्च होता है, परिवार दुखी रहता है और सेहत पर भी विपरीत असर पड़ता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. बीड़ी का कच्चा माल क्या-क्या है? इसकी व्यवस्था कौन करता है?
2. पृष्ठ 198 पर बने चित्र (चित्र-1) को देखकर बताओ कि वहां क्या हो रहा है? इस चित्र से सट्टेदार के काम के बारे मे क्या पता चलता है?
3. समीना ने बीड़ी किस प्रकार बनाई 6-8 वाक्यों में लिखो।
4. बीड़ी बनाने वालों को किस तरह की बीमारियां होती हैं?
5. बीड़ी किस प्रकार बनती है? नीचे दिए कथनों को क्रम से जमाते हुए, रेखा-चित्र बनाओ।
    1. घर में लोगों ने बीड़ी बनाकर सट्टेदार को दीं।
    2. सट्टेदार ने तेंदु पत्ते, तंबाकू और धागा बीड़ी बनाने वालों को बांटे।
    3. सट्टेदार ने 1000 बीड़ी के 22 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बीड़ी बनाने वालों को पैसे दिए।
    4. सट्टेदार ने मालिक तक बीड़ियां पहुंचाईं और अपने पैसे ले लिए।
    5. मालिक ने तंदूर में उन्हें सिकवाया और छंटाई करवाई।
    6. तेंदू पत्ते, तम्बाकू और धागा मालिक ने सट्टेदार को दिया।
    7. बीड़ी के बंडल पानवालों और दुकानदारों तक पहुंचे।
    8. मालिक ने बंडल पर अपना लेबल चिपकवाया।
    9. मालिक ने तंबाकू, धागा और तेंदु पत्ते का इंतज़ाम किया।
6. कसेरे की तरह, बीड़ी बनाने वाला बीड़ी क्यों नहीं बेचता है?
7. सद्दू मियां का काम एक ठेकेदार का है-इस वाक्य को समझाओ।
8. यदि कसेरे के काम में एक सट्टेदार हो तो उसका काम कैसे बदल जाएगा? कच्चा माल, बनवाई, बर्तन बेचना.. इन बातों को ध्यान में रखते हुए लिखो।
9. बीड़ी बनाने का काम कारखाने में भी हो सकता है, फिर इसे ठेकेदारों द्वारा घर पर क्यों करवाया जाता है?
10. कार्ड वाले बीड़ी मज़दूर और बिना कार्ड वाले मज़दूर में क्या अन्तर है - समझाओ।

4. चमड़ा कमाने का काम: बड़े कारखाने में उत्पादन की प्रक्रिया

कारखाने में उत्पादन और घर पर उत्पादन में क्या अंतर है- इस पाठ के चित्रों को देखकर अंदाज़ लगाओ।

तुमने एक दस्तकार का काम देखा। कसेरा कैसे अपने घर पर काम करता है और सभी प्रकार का काम, यानी कच्चा माल लाने से बेचने तक वही करता है। इसकी तुलना में बीड़ी बनाने वाला परिवार, घर पर काम ज़रूर करता है परन्तु ठेके पर। उसे केवल बीड़ी बनाकर देनी है पर और कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इनकी तुलना में कारखाने का काम घर पर नहीं, एक निश्चित जगह पर होता है।

यहां काम किस प्रकार किया जाता है और उसकी व्यवस्था कौन करता है, इस पाठ में पढ़ोगे। यह एक बड़े कारखाने का उदाहरण है ताकि कारखाने में काम करने का रूप तुम्हारे सामने उभरकर आए। आजकल दैनिक उपयोग में लाया जा रहा बहुत सा सामान इस प्रकार के कारखानों में बनता है। कारखाने छोटे बड़े हो सकते हैं। छोटे कारखाने का उदाहरण तुम अगले पाठ मे पढ़ोगे।

हम चमड़े का बड़ा कारखाना देखने के लिए निकले। टेम्पो में बैठ कर शहर से कुछ दूर गए। एक-एक रुपया किराया लगा। कारखाने की छत दूर से दिख गई। जब टेम्पो

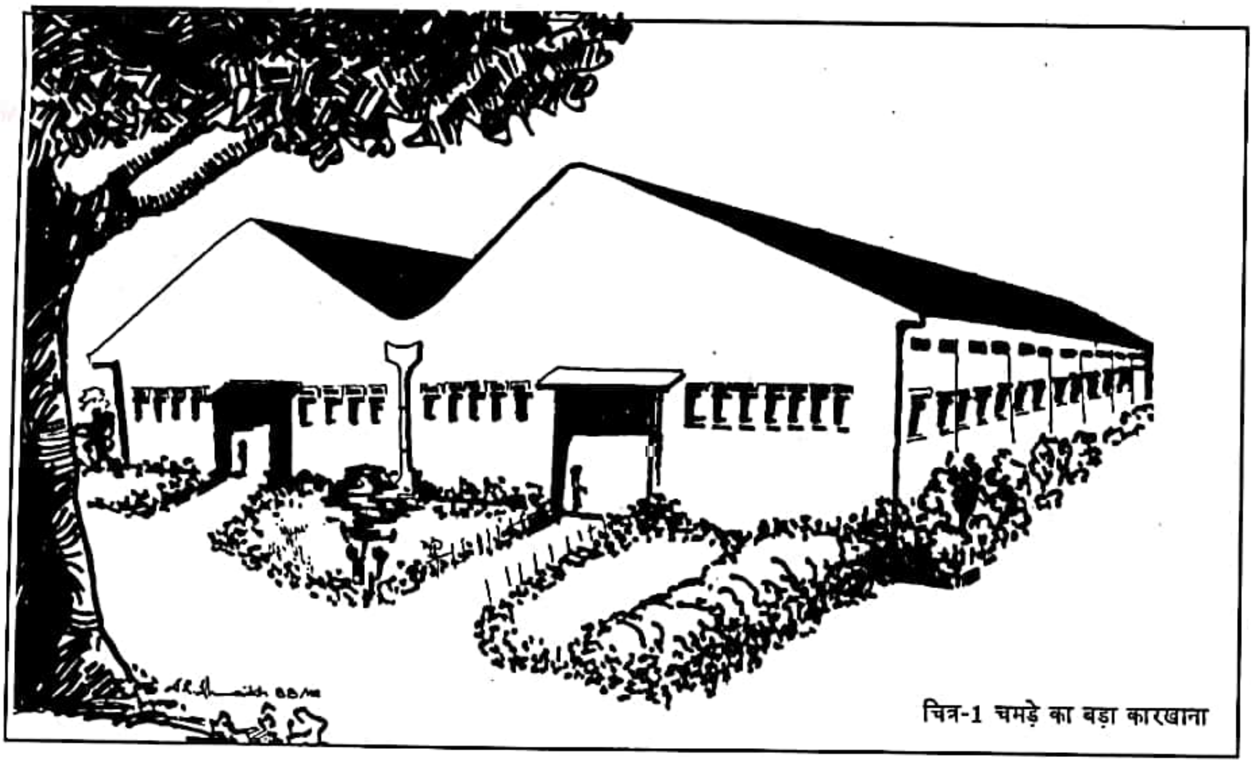

चित्र-1 चमड़े का बड़ा कारखाना

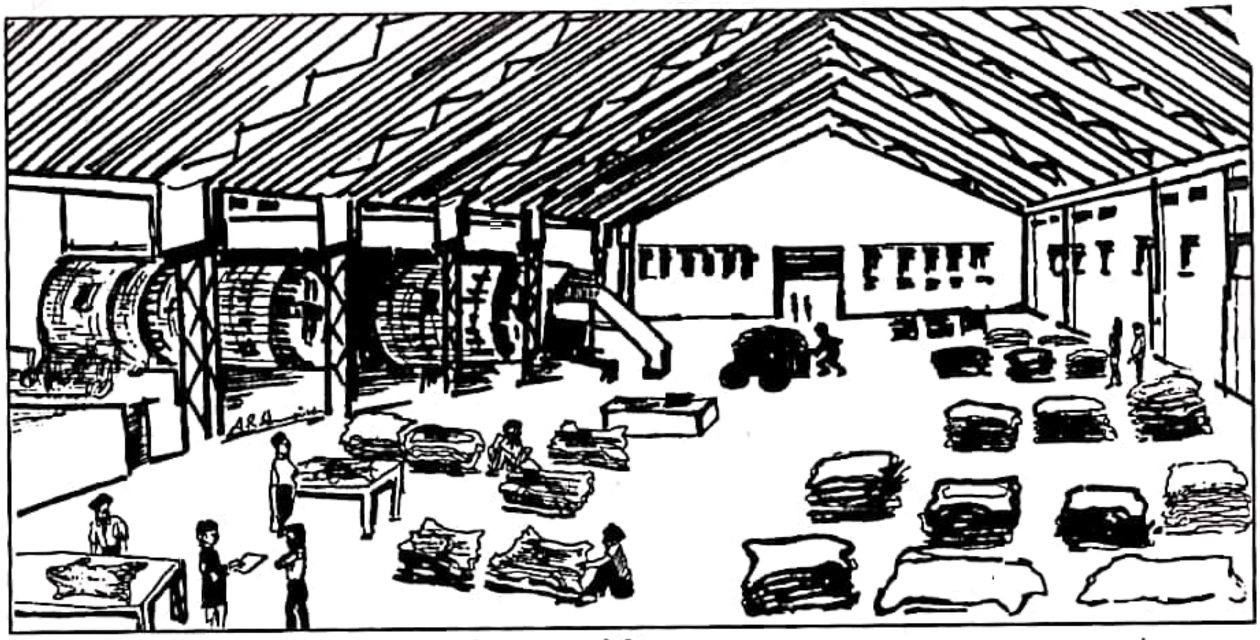

चित्र-2 कारखाने के अंदर का नज़ारा

से उतर कर कारखाने की तरफ गए तो दो शेड सामने दिखाई दिए।

सामने एक बड़ा सा फाटक था और फाटक के पास ही एक कमरा था। वहां पर चौकीदार ने हम से गेट पास के लिए फारम भरवाए। पास देते हुए उसने कहा "गेट पास संभाल कर रखिए। जिन से मिलने जा रहे हैं, उन से साईन करा कर वापसी में यहीं लौटा दीजिएगा।"

कारखाने में पास बनवाने की क्या आवश्यकता होती है?

इस कारखाने में चमड़ा कमाया जाता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की खालों से चमड़ा तैयार करने के तरीके को 'कमाना' कहते हैं। खालें सड़ जाती हैं जबकि कमाया हुआ चमड़ा खराब नहीं होता। आओ देखें कि कारखाने में चमड़े को कमाने के लिए क्या-क्या किया जाता है।

जैसा कि तुम चित्र में देख सकते हो शेड के आगे दो छोटे-छोटे बगीचे थे। शेड की छत काफी ऊंची थी, और टीन की चादर की बनी थी। शेड के अन्दर कारखाना बहुत बड़ा लगा। एक तरफ कई ड्रम दिखाई दिए। एक मज़दूर तीन पहिए वाले हाथ-ठेले में कुछ ले जा रहा था।

शेड के अन्दर दोनों तरफ चमड़ों के ढेर दिख रहे थे। एक तरफ कुछ मज़दूर कमाने के लिए खालें तैयार कर रहे थे। वे खालों पर नमक लगा रहे थे। साथ ही साथ दूसरे मज़दूर इन खालों को नाप के हिसाब से अलग-अलग ढेरियों में जमा रहे थे। नाप के हिसाब से बनाई गई ढेरी 'बैच' या 'खेप' कहलाती है। दूसरी तरफ कुछ मज़दूर कमाए हुए तैयार चमड़े का हिसाब कर रहे थे।

पृष्ठ 191 पर बने चित्र और इस चित्र की तुलना करके बताओ कि दोनों मे क्या-क्या अंतर हैं?

चमड़ा कमाने की प्रक्रिया

चमड़ा कमाने के लिए उसे पांच प्रक्रियाओं से गुज़ारना पड़ता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे।

1. सफाई: एक हौद में साबुन के पानी में खालों को धोया जाता है। हौद में मथनी जैसा लकड़ी का यंत्र है। इसे 'पैडल' कहते हैं। (चित्र 3) 'पैडल' के द्वारा खालों को आसानी से पलट दिया जाता है। हमने हौद के पास जाकर देखा तो हमें अन्दर खालें नज़र आईं। खालें अपने आप उलट-पलट हो रही थीं, तभी किसी ने बटन दबा कर मशीन बन्द कर दी। एक घंटे में बस 5-10 मिनट तक मशीन चलाते हैं।

2. बाल निकालना: चूने और सोडियम सल्फाईड (एक रसायन) का लेप खालों के नीचे की तरफ लगा दिया जाता है। इस से बालों की जड़े ढीली पड़ जाती हैं और वे मशीन से आसानी से उखड़ आते हैं।

हमने देखा (चित्र-4) कि एक व्यक्ति बाल निकालने की मशीन पर दो रोलर के बीच खाल को रखता जा रहा है। मशीन चालू करने पर दोनों रोलर मिलते हैं और गियर की तरफ घूमते हैं। रोलर पर तेज़ धार होती है जिससे बाल कट कर दूसरी तरफ गिर जाते हैं। जिस मशीन पर बाल निकाले जाते हैं, उसे बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। रोलर के बीच हाथ आ गया तो उसका पता ही नहीं चलेगा। मशीन पर दो व्यक्ति काम कर रहे थे। एक मशीन चलाने वाला आपरेटर और दूसरा उसे मदद करने वाला, यानी हेल्पर। इस मशीन पर बाल निकालने के बाद भी कभी-कभी थोड़े बहुत बाल चमड़े से लगे रह जाते हैं। बचे-कुचे बाल और मांस निकालने के लिए खालों को चूने के पानी के हौद में 15 घंटे भिगो कर रखा जाता है।

क्या तुम्हें कसेरे के काम और बीड़ी बनाने के काम में मशीन का उपयोग नज़र आया? मशीन के उपयोग से क्या फ़र्क पड़ता है समझाओ।

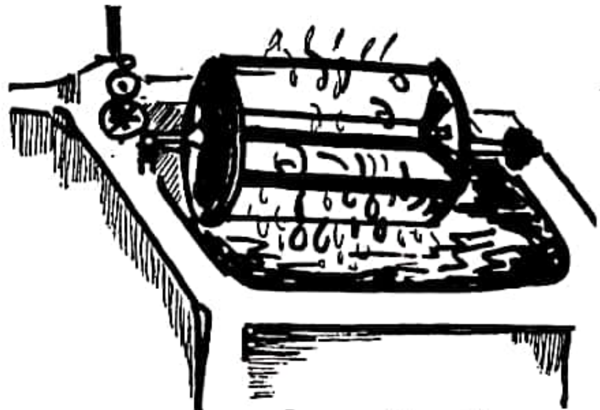

चित्र-3 मथनी वाला हौद

3. चूना काटना: चूने का असर कम करने के लिए अम्ल के घोल में खालों को धोया जाता है। यह काम भी मथनी वाले हौदों में होता है।

4. कमाना: अब हम ड्रमों के सामने पहुंचे। ड्रमों के अंदर खालें डाल दी गई थीं। ड्रम धीरे-धीरे घूमते थे। ड्रम में कई रसायन थे जिन्हें खालें सोख लेती थीं। वहां एक सुपरवाईज़र ने समझाया, "चमड़ा कमाने के दो तरीके हैं । वनस्पति द्वारा कमाना एक तरीका है। उसमें बबूल की छाल, हरड़ा के बीज आदि वनस्पतियों का उपयोग होता है। दूसरा है क्रोम टैनिंग जहां रासायनिक क्रियाओं का

चित्र-4 बाल निकालने की मशीन

उपयोग होता है। इस कारखाने में हम क्रोम से ही चमड़ा कमाते हैं। यहां कमाने की प्रक्रिया को दो हिस्सों में करते हैं। पहले खालों को अम्ल के घोल में डाला जाता है। फिर उन्हें 'क्रोमियम सल्फेट' और अन्य रसायनों के घोल में कमाया जाता है। इसी रसायन के नाम से यह प्रक्रिया जानी जाती है– 'क्रोम टैनिंग' या "क्रोम से कमाना"।

हम एक ड्रम की तरफ गए जिसकी खिड़की खुली हुई थी और वह धीरे-धीरे घूम रहा था। जब खिड़की नीचे आती तब चमड़ा बाहर फिका जाता था। दो मज़दूर इन्हें जमा कर के तख्तियों पर रख रहे थे।

5. मुलायम और लचीला बनाना: इन्हीं धीरे-धीरे घूमने वाले ड्रमों में, कई तरह के तेल पिलाकर, चमड़े को मुलायम और लचीला बनाया जाता है।

कारखाने में बहुत लोग काम करते हैं। क्या हरेक व्यक्ति एक-एक खाल से चमड़ा कमाने का काम खुद पूरा करता है? यदि नहीं तो यह पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? समझाओ।

बीड़ी बनाने की प्रक्रिया और चमड़ा कमाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है?

'बैच' या खेप में काम

ड्रमों को देखते-देखते हम शेड के दूसरे कोने तक पहुंच गए हैं। तभी एक ट्रक आया। "बैच नंबर 5125, 5126 और 5127 को लोड करना है," सुपरवाईज़र ने मज़दूरों से कहा। तख्तियों पर रखे कमाए हुए चमड़े को उठा-उठा कर मज़दूर ट्रक में भरने लगे।

"बैच नंबर क्या होता है?" हमने पूछा, "बैच नंबर का अर्थ है खेप नंबर। तुमने देखा था कि खालों की धुलाई से पहले ही, उन्हें नाप के हिसाब से ढेरियों में रखा जा रहा था। इनकी एक ढेरी सभी प्रक्रियाओं से गुज़रती है। इस ढेरी या खेप को ही बैच कहते हैं और हर बैच को नंबर दिए जाते हैं। एक खेप या बैच में 200-300 खालें होती हैं।"

ये खेप या बैच बनाने से क्या फायदा है? एक तो काम बांटने में आसानी होती है। किसी खेप की खालों की सफाई हो रही है तो उसी समय दूसरे खेप की खालों के बाल निकाले जा रहे हैं। किसी और खेप की खालों को कमाया जा रहा है।

इस कारखाने में 16 हौद हैं। अगर सभी हौदों में खाल साफ करने का काम हो तो बाल निकालने का काम रुक जाएगा। इसलिए कुछ हौदों में बाल निकालते हैं, कुछ में सफाई करते हैं और कुछ हौदों में चूना काटने का काम होता है। उदाहरण के लिए जैसे ही सफाई वाले हौद में एक खेप का काम खत्म होता है, तो दूसरा खेप हौद में उसकी जगह ले लेता है। इस तरह सभी यंत्रों का उपयोग लगातार होता रहता है और काम भी क्रम से लगातार चलता रहता है।

यह सोचकर बताओ कि दो या पांच खालों की खेप क्यों नहीं बनाई जाती?

यदि कोई एक मशीन दिनभर के लिए खराब हो जाती है तो दूसरी मशीनों पर चलने वाले काम पर क्या असर पड़ेगा?

तीन पाली लगातार काम

कारखाने को 24 घंटे चालू रखने के लिए एक दिन में 8-8 घंटों की तीन पालियां काम करती हैं। पहली पाली के मज़दूर सुबह साढ़े सात (7.30) बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं। बीच में 12 बजे उनकी खाने की छुट्टी होती है। शाम 4 बजे पहली पाली के मज़दूर घर जाते हैं और दूसरी पाली के मज़दूर रात के 12 बजे तक काम करते हैं। शाम को 7.30 बजे उनके खाने की छुट्टी होती है। रात 12 बजे फिर पाली बदलती है और तीसरी पाली के मज़दूर काम पर आते हैं। तीसरी पाली रात की पाली या 'नाईट शिफ्ट' कहलाती है।

जब भी पाली बदलती है या खाने की छुट्टी होती है तब भोंपू बजता है। एक मज़दूर हमेशा एक ही पाली पर काम नहीं करता। किसी हफ्ते उसे सुबह की पाली में जाना

पड़ता है, तो किसी हफ्ते शाम की या रात की पाली में। पहली पाली 'मेन शिफ्ट' कहलाती है और कारखाने के अधिकारी लोग इसी पाली में काम करते हैं। कोई भी बड़ा कारखाना, जहां दिन भर और रात भर काम होता है, उसमें मज़दूर पालियों में ही काम करते हैं।

चौबीस घंटे कारखाने चलाने की क्या आवश्यकता है?

बीड़ी बनाने वालों और कसेरों के काम का समय, कारखाने के मज़दूरों की तरह आठ घंटे के लिए तय क्यों नहीं है?

एक ही मज़दूर की 15-15 दिनों बाद पाली बदलती है। इससे उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? चर्चा करो।

कारखाने में कच्चा माल कहां से आता है और तैयार माल कहां जाता है?

कारखाने मे चमड़ा कमाने की पूरी प्रक्रिया तुमने समझी है। नीचे दिए गए रेखाचित्र को देखकर समझ सकते हो कि कच्चा माल कहां से आता है और कहां जाता है।

भारत में चमड़े के व्यापार के प्रमुख स्थान हैं- कानपुर, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। इन जगहों पर कई व्यापारी हर किस्म का चमड़ा और चमड़े से बनी चीज़ें खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं। वे ये चीज़ें बाहर के देशों में भी भेजते हैं।

कारखाने में काम करने वालों का वेतन

"आप को कितना वेतन मिलता है?" हम ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुपरवाईज़र ने मुस्कुराते हुए कहा "3000 रु. प्रति महीने। मुझे इस कारखाने में काम करते हुए 10 साल हो गये हैं।" वे समझ गए थे कि हम कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों के वेतन के बारे में जानना चाहते हैं। वे अपने आप ही बताने लगे, "टैम्पोररी मज़दूर को 39 रु. दिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है। जब काम नहीं होता तो उन्हें मना कर देते हैं। इसलिए उन्हें दिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है, महीने के हिसाब से नहीं। सभी हेल्पर, झाड़ू लगाने वाले, खालों को यहां से वहां ले जाने वाले, टम्पोररी मज़दूर हैं।"

"परमानेन्ट मज़दूर को हर माह 1800 रु. से 2000 रु. के बीच मिल जाता है। मशीन पर काम करने वाले सभी आपरेटर परमानेन्ट हैं। फिर मेरे जैसे सुपरवाईज़र हैं जिनको 3000 रु. महीना तक मिलता है। जिनका अनुभव कम हैं, उन्हें कम पैसे मिलते हैं। परमानेन्ट मज़दूर और सुपरवाईज़र को प्राविडेन्ट फण्ड (भविष्य निधि), बोनस, छुट्टियां आदि सुविधाएं भी मिलती हैं।

"फिर मैनेजर या अधिकारी लोग हैं। हमारे कारखाने के प्रमुख अधिकारी को 35000 रु. प्रति माह वेतन मिलता है। वेतन के अलावा फ्री घर, गाड़ी, छुट्टी में घर जाने का भत्ता आदि सुविधाएं भी मिलती हैं।"

रेखाचित्र

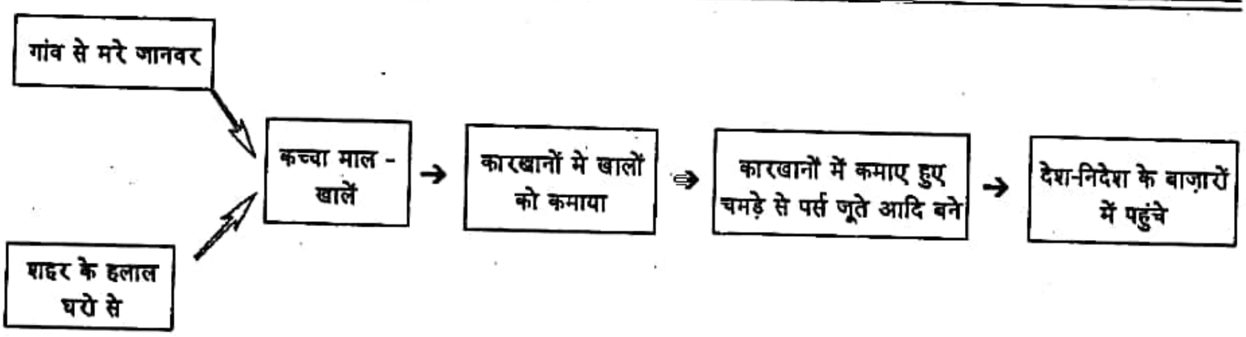

कारखाने के मालिक

हमने पूछा "मालिक को कितना मिलता है?" "इस कारखाने का कोई एक मालिक नहीं है। कुछ लोगों ने मिल कर एक कंपनी बनाई है और यह कारखाना चलाते हैं। ये लोग मैनेजर, इंजीनीयर जैसे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं जो कि कारखाने के काम का संचालन करते हैं और उसकी देख-रेख करते हैं। अधिकारियों और मज़दूरों को वेतन मिलता है। पर मालिकों को वेतन नहीं मिलता। वेतन और सभी दूसरे खर्च निकालने के बाद जो मुनाफा बचता है मालिक लोग उसे आपस मे बांट लेते हैं। मुनाफा अधिक हुआ तो मालिकों को अधिक मिलता है, कम हुआ तो कम मिलता है। मुनाफे में से कुछ पैसे बचा कर, वे कारखाने को बढ़ाने के खर्चों में भी लगा देते हैं।"

कारखाने के एक टेंपोरेरी मज़दूर और एक पर्मनेंट मज़दूर में क्या अंतर है?

कारखाने के मज़दूरों एवं बीड़ी मज़दूरों के बीच, मज़दूरी के पैसों के भुगतान करने के तरीके में क्या अंतर है?

रसायनिक प्रदूषण (गंदगी)

कारखाने का गंदा पानी और उसकी सफाई

जब हम कारखाने के पीछे गए तो तेज़ बदबू आने लगी। वहां एक हौद में गंदा काले रंग का पानी दिखा। उसे मथनी द्वारा घुमाया जा रहा था। पता चला कि इस प्रक्रिया को एरिएशन कहते हैं। यह पानी कारखाने में चमड़ा धोने, चूने का घोल बनाने, अम्ल का घोल बनाने, कमाने आदि के लिए उपयोग में लिया जा चुका था। इस पानी में तरह-तरह के रसायन थे– चूना, गंधक का अम्ल, सोडियम सल्फाइड, क्रोमियम सल्फेट आदि। इस कारखाने में एक दिन में लगभग एक लाख गैलन (यानी लगभग 22 लाख लीटर) पानी खर्च किया जाता है। एक बार उपयोग में आने के बाद यह पानी बहुत गंदा हो जाता है और उपयोग के लायक नहीं रहता।

कई कारखाने इस गंदे पानी को किसी नाले में बहा देते हैं। कानपुर और आगरा के चमड़े के कारखाने तो इस पानी को सीधे गंगा या यमुना में छोड़ देते हैं। इस गंदे पानी को बाहर नदी नालों में छोड़ने से इन नदी-नालों का पानी भी 'प्रदूषित' (गंदा) हो जाता है। इस पानी से नहाने या इसे पीने से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। नदी नालों की मछलियां भी मर जाती हैं। इसीलिए सरकार ने अब यह कानून बना दिया है कि ये कारखाने पानी बाहर छोड़ने से पहले, उसे साफ करने का प्रबन्ध करें।

बाहर का मथनी वाला हौद इस गंदे पानी को साफ करने के लिए ही है। इस कारखाने में एक और तालाब भी है जिसमें फिटकरी जैसे रसायन डाल कर नीचे से हवा डाली जाती है। इससे कुछ गंदगी उठकर ऊपर आ जाती है और उसे अलग किया जाता है। फिर यह पानी मथनी वाली हौद में डाला जाता है। पानी में हवा पम्प की जाती है। इन दोनों यंत्रों से कुछ हद तक पानी साफ होता है, पर पूरी तरह नहीं।

अब हम पूरा कारखाना देख चुके थे। हमने सुपरवाईज़र से गेट पास पर साईन कराया। फिर हम लोग चौकीदार को पास लौटा कर कारखाने से बाहर आ गए। अब भी कारखाने की बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी।

बड़े कारखाने मे उत्पादन की प्रक्रिया

कारखाने की उत्पादन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस चमड़े के कारखाने में प्रतिदिन बकरी या भेड़ के 7,000 चमड़े कमाए जाते हैं। इससे भी बड़े कारखाने होते हैं। यहां उत्पादन में मशीन एवं रासायनिक क्रियाओं का उपयोग किया गया है। आगे के पाठ में इस कारखाने की तुलना एक छोटे कारखाने से करोगे, जहां यही काम बिना मशीनों व रासायनिक क्रिया से किया जाता है। इस कारण उसकी उत्पादन क्षमता भी कम है।

बड़े कारखानों में उत्पादन को बनाए रखने के लिए

एक खास प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तुमने पढ़ा कि यह कारखाना 24 घण्टे चलता है ताकि उत्पादन करने की क्षमता का पूरा उपयोग हो। इस कारण मज़दूर तीन पाली में काम करते हैं। काम को इस हिसाब से बांटा गया है कि कभी भी कोई मशीन या मज़दूर खाली नहीं बैठे। एक का काम होने पर दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को और यह क्रम बिना टूटे चलता रहता है। कारखाने चलाने के लिए मैनेजर, इंजीनियर जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये लोग कारखाने की व्यवस्था देखते हैं। ऐसे कारखाने लगाने मे बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। जिस कारखाने में हम गए उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए (हज़ार लाख) है।

यदि बीड़ी बनाने का सारा काम एक बड़े कारखाने के हिसाब से किया जाए तो उसमें क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं? समझाओ।

अभ्यास के प्रश्न

1. केवल गलत वाक्यों को सुधार कर लिखो-
   क. सभी कारखानों के मज़दूर 4-5 घंटे से अधिक काम नहीं करते
   ख. चमड़ा कमाने के बाद चूना काटा जाता है
   ग. इस कारखाने का कच्चा माल दूसरे कारखानों से आता है
   घ. पानी के उपयोग के कारण इस कारखाने में प्रदूषण की समस्या हुई है।
2. टेम्पोररी, मशीन, ऑपरेटर, रसायनिक, पानी, बैच, हेल्पर, परमानेन्ट, उत्पादन, सुपरवाईज़र, प्रदूषण, प्रक्रिया- तुमने गुरुजी के साथ इन शब्दों पर चर्चा की है। अब इन शब्दों से वाक्य बनाओ। हर शब्द के लिए अलग वाक्य बनाना है और यह वाक्य पाठ का नहीं होना चाहिए।
3. चमड़ा कमाने की प्रक्रिया को अपने शब्दों मे समझाओ।
4. खालों की खेप बनाने से क्या लाभ होता है?
5. घर पर उत्पादन करना और कारखाने में उत्पादन करने में क्या-क्या अंतर हैं?
6. कारखाने मे काम को बांटकर क्रम से किया जाता है। क्या तुमने चमड़े के इस कारखाने में यह बात देखी? समझाओ।
7. मानो किसी कारखाने में बाल निकालने का काम हाथ से किया जाता है यानी मशीन नहीं है पर चमड़े का उत्पादन कम नहीं हुआ है। यह कैसे सम्भव है, समझाओ।
8. कारखाने में पाली के हिसाब से काम करने की क्या आवश्यकता है?
9. मानो कुछ लोग मिल कर शक्कर का बड़ा कारखाना डालना चाहते हैं। उसके लिए क्या-क्या करना होगा समझाओ।
10. मानो तुम्हारे गांव के पास एक रसायनिक कारखाना खुलता है। उसका गंदा पानी एक नाले में बहाया जाने लगा है जो आगे जाकर नदी में मिलता है। इस कारखाने में तेजाब का बहुत इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। अपने ज़िला मुख्यालय के प्रदूषण बोर्ड के आधिकारी को एक पत्र लिखो जिसमें कारखाने द्वारा किए जा रहे प्रदूषण और उससे होने वाले नुकसान की जानकारी हो।

5. चमड़ा कमाने का छोटा कारखाना

छोटे और बड़े कारखानों में क्या अंतर हो सकते हैं, चर्चा करो।

तुमने चमड़ा कमाने का बड़ा कारखाना देखा। हमने पता किया कि कई जगहों पर चमड़ा कमाने के छोटे कारखाने भी हैं। हमारे मित्र बक्कू मोची ने हमे काका से मिलवाया। काका बहुत सालों से चमड़े के एक छोटे कारखाने में काम कर रहे हैं। वे हमें अपने कारखाने ले गये। एक मोहल्ले की गली के अन्दर, कारखाना इस प्रकार बना था कि बाहर से पता ही नहीं चलता था। कारखाने का नाम सुनकर हमने सोचा था कि बड़ा सा गेट होगा और बिल्डिंग होगी। पर यह तो मोहल्ले के एक बड़े घर जैसा ही था। पहले तो ऐसा लगा कि यह कोई अस्पताल या कांजी हाउस है। एक तरफ हौद, पुराने खालों के ढेर और सामने एक-दो कमरे का कच्चा पक्का मकान।

पिछले पाठ के आधार पर क्या तुम कच्ची खाल से चमड़ा कमाए जाने की 5 प्रक्रियाएं बता सकते हो?

छोटे कारखाने में कच्ची खाल से चमड़ा निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है-

1. सफाई

यह काम हौद में होता है। कच्ची खाल पर मिट्टी, खून आदि लगा रहता है। एक खेप की खालों को साबुन के पानी में भिगो दिया जाता है। फिर हाथ से उनको पलटी करते हैं।

2. बाल निकालना

इस कारखाने में चार हौद हैं। खालों को साफ करने के बाद, दूसरे हौद में डाल दिया जाता है। इस हौद में चूने का पानी रहता है। खाल चूना सोखकर कुछ फूल जाती है और बालों की जड़ें भी ढीली हो जाती हैं। भिगोने के 3-4 दिन बाद छिलाई की जाती है। एक छोटे से फावड़े से बाल निकाले जाते हैं। यह सब करते-करते 6 दिन गुज़र जाते हैं।

3. चूना काटना

खालों के कमाने के लिए यह ज़रूरी है कि उसमें चूना न रहे। चूने का असर निकालने के लिये खालों को अम्ल से धोया जाता है। यह काम भी हौद में होता है। अम्ल का घोल बना लिया जाता है। फिर खालों को इसमें डाल देते हैं। बीच-बीच में उन्हें पलटते हैं। अम्ल का घोल सोख लेने पर चूने का असर खत्म हो जाता है।

4. कमाना

यह सब से महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कमाने से खाल लचीली, मज़बूत और टिकाऊ बनती है। तब यह चमड़ा कहलाता है। कमाने के लिये बबूल की छाल या घटबोर, ऐसे कुछ वनस्पति को पीस लिया जाता है। फिर इनका घोल बनाते हैं। घोल बनाकर खालों की खेप को हौद में भिगो देते हैं। हर तीन दिन बाद इनको पलटते हैं।

हमारे सामने, काका हौद में उतर कर, नीचे की खालों को ऊपर रखते जा रहे थे। खालों को पलटना बहुत ज़रूरी है नहीं तो इसका रस पूरी तरह और बराबर नहीं फैलेगा। 15 दिन तक खालों को इस घोल में रखा जाता है। बीच में एक बार पूरे घोल को बदल देते हैं।

इस कारखाने में कमाने के लिए वनस्पति का उपयोग होता है। इसलिये इस प्रक्रिया को "वनस्पति द्वारा कमाना" कहते हैं।

5. मुलायम और लचीला बनाना

जब खालों में कड़ापन आ जाये तो समझो कमाना पूरा हुआ। अब उनको धोकर सुखाया जाता है। मुलायम और लचीला बनाने के लिए तेल, पानी और गुड़ पिलाया जाता है। कंजी या अरन्डी का तेल उपयोग करते हैं।

इस सारी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 30 दिन लगते हैं। यानी खालों की एक खेप को सभी प्रक्रियाओं से गुज़रने में 30 दिन लगते हैं। काका ने कहा "रोज़ का हिसाब लगाएं तो 20-25 खालों का चमड़ा तैयार हो जाता है। सभी काम मज़दूर हाथ से करते हैं। यदि हमारे पास काम बहुत हो तो 50 खाल दिन भर में कमा सकते हैं। आजकल काम अधिक नहीं मिलता। जब मांग कम होती है तो खाली भी बैठना पड़ता है। उस समय मज़दूरों को छोड़ देते हैं।"

छोटे कारखाने के दो ऐसे उदाहरण दो जहां बड़े कारखाने की तुलना में मशीन से काम न होकर हाथ से काम होता है।

दोनों कारखानों में बाल निकालने की प्रक्रिया एक बार फिर से पढ़ो, इन दोनों में क्या फर्क है?

सोडियम सल्फाइड रसायन का उपयोग करने से क्या लाभ होता है?

छोटे-बड़े कारखाने में चमड़ा कमाने की प्रक्रिया मे अंतर

बड़े कारखाने में अधिक उत्पादन होता है। हमने जो कारखाना देखा, उसमें प्रतिदिन 7,000 बकरियों भेड़ों का चमड़ा कमाया जाता है। काका के छोटे कारखाने में बहुत कम चमड़ा तैयार होता है। महीने भर मे 40-60 गाय व भैंस की खालों का चमड़ा कमाया जाता है।

बड़े कारखाने में हौद, मथनी वाली मशीन, बाल काटने की मशीन और कई ड्रम होते हैं। छोटे कारखाने में केवल छोटे हौद होते हैं। बड़े कारखाने में मशीन और रासायनिक क्रियाओं का उपयोग होता है जबकि छोटे कारखाने मे वनस्पतियों का उपयोग होता है।

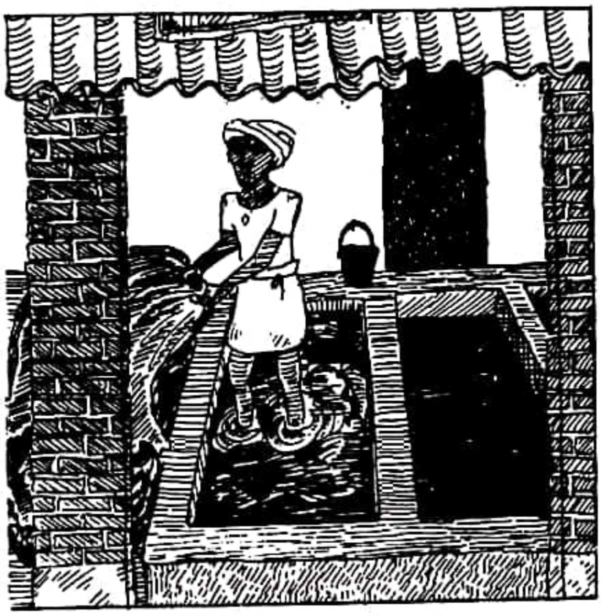

काका खालों को पलटते हुए

चमड़ा कमाते समय जो रसायन डाला जाता है, उसके कारण भी समय कम लगता है। साथ में यह भी है कि खालों को ड्रम में डालकर घुमाते हैं, जिससे खालें ठीक से रसायन सोख लेती हैं।

बबूल की छाल का उपयोग करें तो खालों को बहुत दिन हौद में रखना पड़ता है, बीच-बीच में उनको पलटना पड़ता है और एक बार घोल भी बदलना पड़ता है। हाथ से ये सब काम करने से समय भी अधिक खर्च होता है।

इसलिए यदि हम पूरी प्रक्रिया की तुलना करें तो एक बैच या खेप को छोटे कारखाने मे 25-30 दिन लग जाते हैं और बड़े कारखाने में 4-6 दिन ही लगते हैं।

कारखाने का सामान कहां जाता है

सामने दो व्यक्ति खालों को एक के ऊपर एक रखते जा रहे थे। खाल को सुरक्षित रखने के लिये खालों पर नमक छिड़कते और परतों में फैला देते। काका ने बताया, "यह सब माल कलकत्ता जाएगा। अच्छा माल है। मशीनों द्वारा कुछ विशेष रासायनिक क्रियाओं से तैयार किया जायेगा। इस कारखाने में तो हम थोड़ी खराब खाल का ही चमड़ा कमाते हैं। हमारे यहां मोची और कुछ छोटे

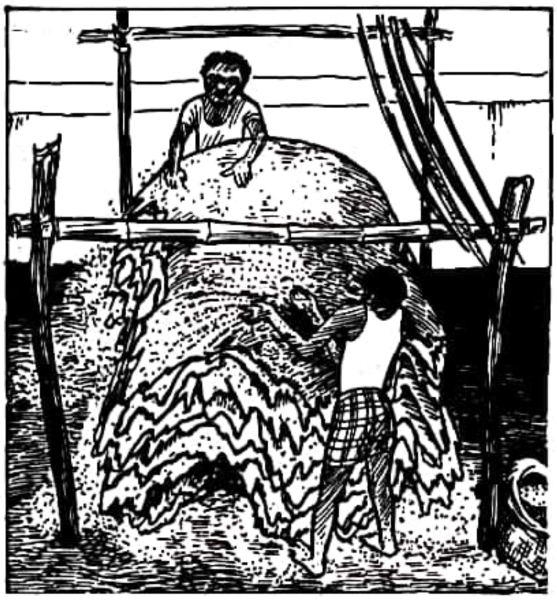

एक-एक परत पर नमक छिड़कते हुए मज़दूर

दुकानदार ही चमड़ा खरीदने आते हैं। उनके लिये ऐसे कमाया चमड़ा ठीक है।"

हमने काका से अपने बारे में और कारखाने में काम कर रहे अन्य मज़दूरों के बारे में भी बताने को कहा। काका शुरू हो गये, "हम कारखाने में सुबह 8.30 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे तक रहते हैं। हम दो मज़दूर हैं जो यहां रोज़ आते हैं। हमारा काम बंधा हुआ है। जैसे-जैसे चमड़ा कमाने का काम आता है दूसरे मज़दूर रखे जाते हैं। इन्हें दिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है। कुछ खास-खास काम हम दो ही करते हैं। हमें दूसरे मज़दूरों का काम देखना भी पड़ता है। ज़रूरत पड़े तो हम ही सभी काम कर लेते हैं।"

चमड़े के काम में काफी गंदगी में रहना पड़ता है। दिन भर गंदे पानी में खड़े रहना पड़ता है और साथ में बदबू भी सहनी पड़ती है। "इस परेशानी से बचने के लिए आप मालिक से हाथ में पहनने वाले दस्ताने और प्लास्टिक के जूते आदि की मांग क्यों नहीं करते?" हमने पूछा। हमारी बात को समझते हुए काका बोले "मालिक हमारी सुविधा का इतना ध्यान कहां रखते हैं? और हम मांग करें तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हमें 30 रुपए रोज़ मिल जाते हैं, यही बहुत है।"

छोटे और बड़े कारखानों के मज़दूरों में क्या अंतर है?

कारखाने में गंदगी

कारखाने में बहुत बदबू आ रही थी। जब कारखाने में उपयोग किया पानी बाहर निकाल देते हैं तो पूरे मोहल्ले भर में बदबू फैल जाती है। इस बात पर मालिक का नगर निगम के साथ केस चल रहा था।

नगर निगम का कहना था कि कारखाने को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। इसे घनी बस्ती में नहीं होना चाहिए। मालिक का कहना था कि बाहर ले जाने के लिए उसे सुविधाएं मिलनी चाहिए। 30 साल पहले कोई बस्ती नहीं थी। अब आस-पास बस्ती फैल गई है, तो उसका दोष नहीं है।

इस कारखाने का मालिक 30 साल पहले कानपुर से आया था। उसने अपने पिता के साथ यह काम शुरू किया था। उस समय इस शहर में एक-दो ही चमड़ा कमाने के कारखाने थे। धीरे-धीरे इस कारखाने के आस-पास बस्ती बन गई। कई सालों तक चमड़े की मांग बहुत थी। अब बड़े कारखानों में कमाया हुआ चमड़ा बाज़ार में छाया हुआ है और इस कारखाने पर मुश्किलें आ गयी हैं।

काका ने मुंह बनाते हुए कहा, "इस धंधे में कोई दम नहीं है।" और यह कहते कहते वे गुनगुनाने लगे-

"एक था चमड़ा
दो थे मोची
काटते-मारते
मोड़ते-जोड़ते
बनाते जाते
मजबूत जूते
ढोते-छीलते
ध्यान से कमाते
सारा काम
वे ही करते
आया प्लास्टिक,
कहता 'चल हट'

क्यों करता है तू
बेकार की खट-पट
छोड़ दे पकाना-कमाना
अब तो रबर-प्लास्टिक
रेगज़ीन का है ज़माना।"

काका ने कहा, "जब से चमड़े की चीज़ें बनाने वालों ने बड़े कारखानों में कमाया हुआ चमड़ा खरीदना शुरू किया है, तब से छोटे कारखानों में कमाए गए चमड़े की मांग कम हो गई है। प्लास्टिक के आने से मोची भी कम चमड़ा खरीदते हैं। छोटे कारखानों को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता।"

छोटा कारखाना बड़े से बहुत अलग है। इन छोटे कारखानों को लगातार काम नहीं मिलता। काका के छोटे कारखाने में महीने भर में कभी 40 खालें कमाते हैं तो कभी 60 खालें।

बड़े कारखानों के पास बहुत काम है। जूते बनाने वाले कारखाने, दुकानदार, विदेशी व्यापारी, ये सभी बड़े कारखानों से चमड़े खरीदते हैं। इसलिए ये कारखाने लगातार नियमित रूप से चल पाते हैं।

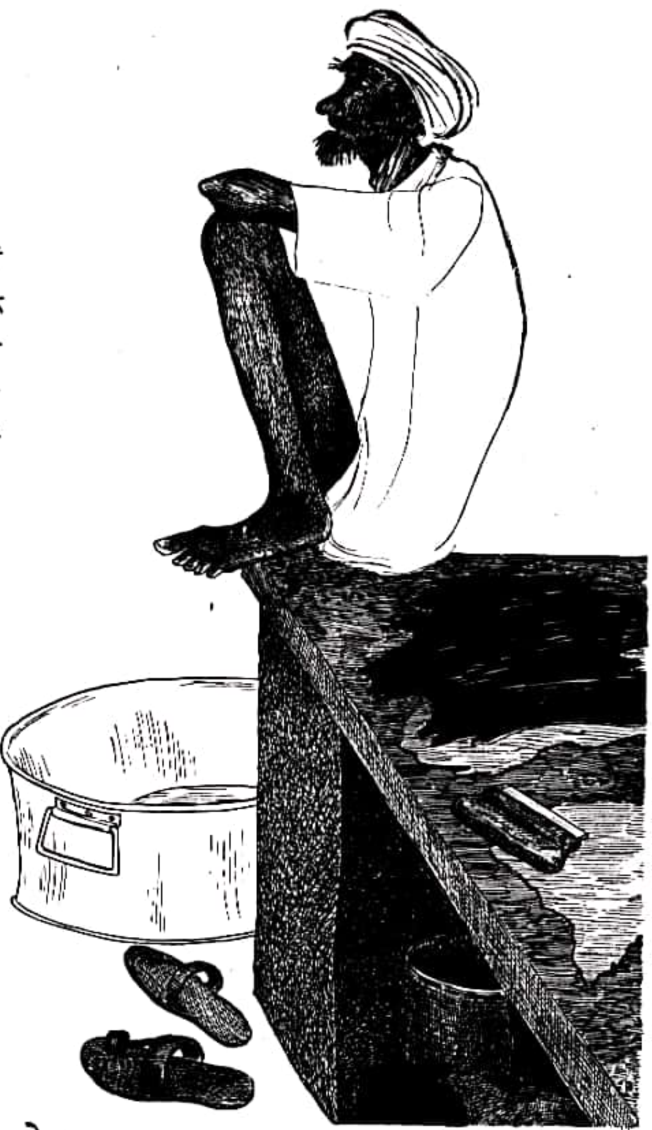

काका

अभ्यास के प्रश्न

1. चमड़े के इस छोटे कारखाने में, बड़े की तुलना में, कम उत्पादन क्यों होता है? कारण सहित समझाओ।
2. छोटे कारखाने में कितने प्रकार के मज़दूर हैं? वे क्या काम करते हैं?
3. चमड़े का काम करने वाले मज़दूरों को क्या परेशानियां होती हैं?
4. पृष्ठ 209 पर बने चित्र-3 एवं पृष्ठ 215 में क्या दिखाया गया है? क्या इन दोनों में एक ही प्रकार का काम हो रहा है? इन में क्या अन्तर है?
5. पृष्ठ 208 पर बने चित्र में कई ड्रम दिखाई देते हैं। क्या ये यंत्र छोटे कारखाने में हैं? इससे उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है?
7. मोहल्ले वालों की परेशानी का क्या कारण है? तुम्हारी राय में इस समस्या का क्या हल होना चाहिए समझाओ।
8. कई छोटे कारखाने धीरे-धीरे बंद हो रहे है। क्या यह बात सही है? कारण सहित समझाओ।

6. भारत में कपड़ा उद्योग का इतिहास

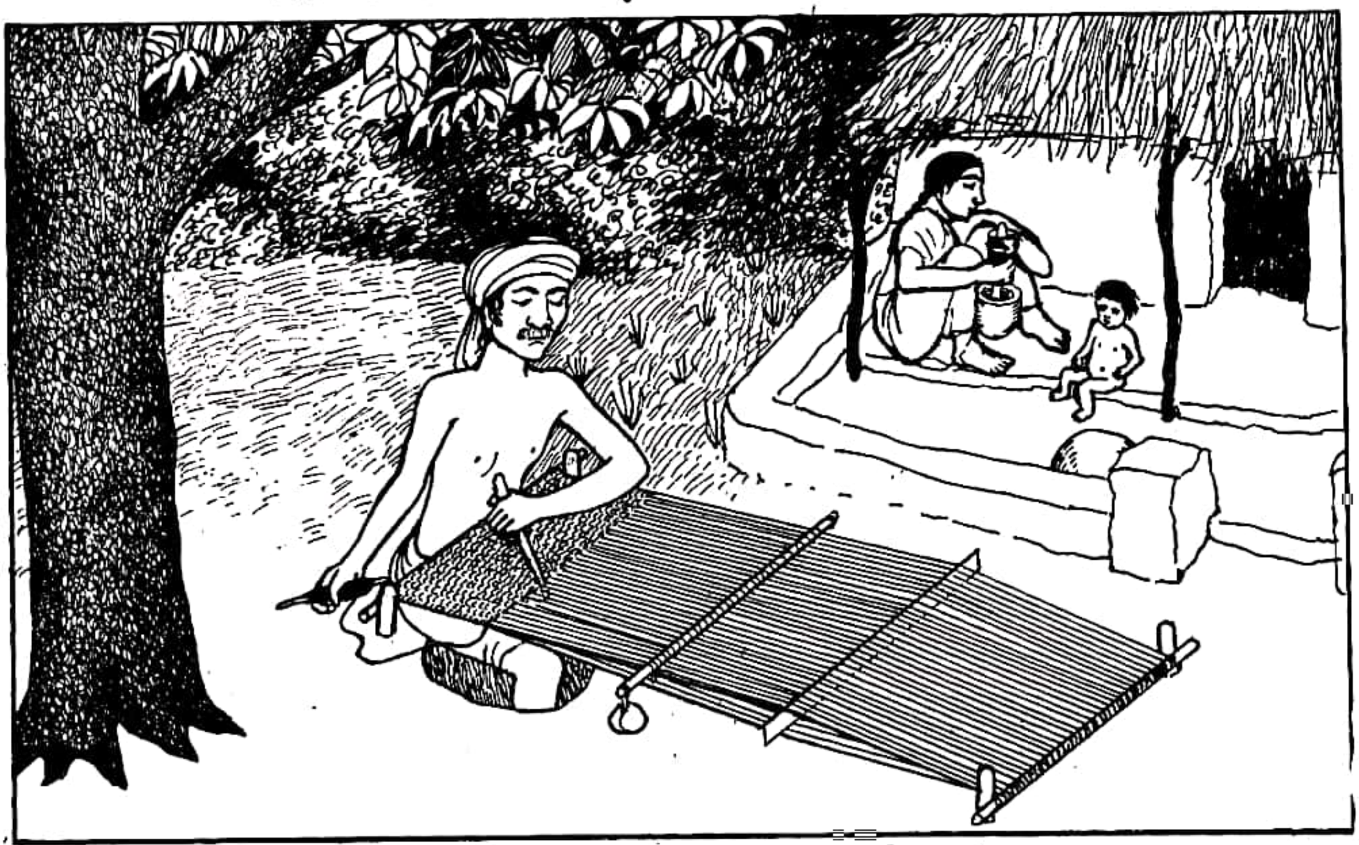

तुमने चीज़ों के उत्पादन के अलग-अलग तरीके देखे - कहीं कारीगर अपने घर पर अपने औज़ारों से चीज़ें बनाता है और उन्हें खुद बेचता है, कहीं वह दलालों के लिए काम करता है, तो कहीं और कारखानों में मज़दूरी द्वारा उत्पादन किया जाता है। इस पाठ में हम कपड़े उद्योग के उदाहरण से समझेंगे कि उत्पादन करने के तरीकों में बदलाव भी आते हैं और कुछ पुराने तरीके भी बने रहते हैं।

भारत में बहुत पुराने समय से बुनकर कपड़ा बुनते आए हैं। कपड़ा बनाने का सारा काम बुनकर के घर पर उसके परिवार के लोग मिल कर करते थे। वे रूई धुनकते, पोनी बनाते और अपनी तकली या चरखे पर सूत कातते थे। रूई तो बुनकर किसानों से खरीद लेता था। बुनकर अपने करघे पर सूत से कपड़ा बुन लेता था। बुने हुए कपड़े को रंग में डाल कर रंगा जाता था। यह काम भी बुनकर के घर पर ही होता था।

बुनकर और उसके परिवार के लोग अपनी सुविधा के अनुसार काम करने का समय तय करते। जब गर्मी तेज़ हो जाती तो सूखी गर्मी में धागा टूटने लगता और काम रोकना पड़ता था। कोई और काम पड़ने पर, जैसे जब बाज़ार जाना पड़े, वे बुनने का काम रोक सकते थे। कपड़ा तैयार हो जाने पर बुनकर उसे शहर के बाज़ार या गांव में लगने वाले हाटों में बेच आता था। जहां भी उसे अच्छी कीमत मिले वहां वह अपना माल बेच कर अपना व परिवार का खर्च चलाता था।

बुनकर के घर पर क्या-क्या काम होता था?

उसे कपास/रुई कैसे मिलती थी?

चरखा, करघा आदि औज़ार किसके थे?

वह अपने द्वारा बनाए गए कपड़े का क्या करता था?

कपड़े की मांग बढ़ी - उत्पादन कैसे बढ़ाएं?

कई बुनकर साधारण लोगों के लिए रोज़ के उपयोग का मोटा कपड़ा बनाते थे। कुछ बुनकर बहुत अच्छे किस्म का कपड़ा बनाने में कुशल हो गए थे। अमीर लोग तरह-तरह के सुन्दर डिज़ाईनों में अच्छे किस्म का कपड़ा चाहने लगे थे। अमीरों को रंगीन, हल्के ज़री वाले कपड़े पसन्द आते थे। भारत के बुनकर इन मांगों को पूरा करते-करते इतने कुशल हो गए कि उनका यश देश-विदेश में फैलने लगा था। चीन, ईरान, अरब, अफ्रीका के अमीर लोग भारतीय कपड़ा खूब पसन्द करते थे। कई व्यापारी यहां का कपड़ा इन दूर देशों में बेच आते थे और खूब मुनाफा कमाते थे।

जब कपड़ों के लिए देश-विदेश में मांग बढ़ी तो बुनकरों के सामने कई समस्याएं आयीं। अब भी कपड़ा बनाने का सब काम बुनकरों के घर पर ही होता था। जब कपड़ा तैयार हो जाए तो उसे बेचने के लिए बाज़ार भी ले जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में पूरी मेहनत करने पर भी वे कपड़े का उत्पादन अधिक नहीं कर पा रहे थे।

अब वे क्या कर सकते थे? क्या तुम कुछ उपाय सुझा सकते हो?

चलो देखते हैं उस समय के बुनकरों ने इस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या-क्या किया।

बुनकरों की बस्तियां और गांव

सन् 1200 के बाद कुछ खास गांव या शहरों में खूब सारे बुनकर आकर इकट्ठे रहने लगे। अब तक तो शहरों में थोड़े बहुत बुनकर ही रहते थे। अब सैकड़ों हज़ारों बुनकरों की बस्तियां कुछ शहरों में बनने लगीं। ऐसे कुछ शहर थे: कांचीपुरम (तमिलनाडु), खम्बात (गुजरात), देवगिरी (महाराष्ट्र), बनारस (उत्तर प्रदेश)।

ऐसे बस्तियों में रहकर बुनकरों को क्या फायदा हुआ होगा?

इन जगहों पर बड़े बाज़ार होते थे जहां चीज़ें बेचने खरीदने में काफी सहूलियत होती थी। अब इन बुनकरों को दूर के बाज़ार व हाट में नहीं जाना पड़ता। अपने ही शहर में आसानी से कपड़ा बेच सकते थे। इस तरह कई शहरों व गांवों में बुनकरों के मोहल्ले बनने लगे।

इससे कपड़े के व्यापारियों को क्या लाभ हुआ होगा ?

कपड़ा बनाने का काम कई भागों में बंटा

दूसरा बदलाव यह हुआ कि अब बुनकरों के घरों में सूत बनना बंद होने लगा। कपड़े की मांग बहुत थी, इस

बुनकरों की बस्ती

लिए बुनकरों के पास बहुत काम था। इस कारण बुनकरों का पूरा परिवार अब बुनने के काम में ही मदद करता।

अब उन्हें सूत कहां से मिलता था? क्या सूत लाने उन्हें गांव-गांव भटकना पड़ता था? नहीं। सूत की इस बढ़ती हुई मांग को देखकर, गांव व शहरों के कई लोगों ने सोचा, क्यों न हम और काम छोड़कर केवल सूत ही कातें? ऐसे लोग खेती-बाड़ी या दूसरे उद्योग धंधे छोड़-छाड़ कर केवल सूत कातने का काम करने लगे। ये लोग भी बुनकर मोहल्लों के आस-पास आकर बस गए थे। ये लोग बाज़ार से रुई खरीदते थे और अपने चरखे पर कात कर बुनकरों को बेचते थे।

शुरू में सूत कातने वाले खुद रुई की सफाई, धुनाई करते थे। मगर धीरे-धीरे इन कामों को करने वाले भी अलग हो गए। कोई अपने यंत्र से रुई साफ करता तो कोई धुनकी या तांत से उसे धुनकता। ये लोग पिंजारे और धुनकर कहलाते हैं।

धीरे-धीरे कपड़े बनाने का काम अलग-अलग परिवारों में होने लगा। कपास की सफाई, धुनकना, रंगना, छापना, धुलाई, कलफ लगाना ये सारे काम पहले बुनकर खुद करते थे। अब हर काम के लिए अलग दस्तकार हो गए। इस तरह बुनकरों के शहरों में बसने से कई बदलाव आए।

जब बुनकरों की बस्तियां बन गईं तब :—

बुनकर के घर पर क्या-क्या काम होने लगा?

सूत उसे कहां से मिलता था?

तुमने पिछले पाठों में दस्तकार के काम के बारे में पढ़ा। बुनकर को दस्तकार क्यों कहा जाता है?

बुनकर के परिवार के अलावा कपड़ा बनाने के काम में कौन-कौन लोग लगे थे?

बस्तियों के बसने से बुनकर के काम में क्या मुख्य बदलाव आया?

दादन प्रथा

सन् 1500 के बाद यूरोप के कई देशों से व्यापा भारत के कपड़े खरीदने आने लगे। यूरोप के अला अफ्रीका, अरब, ईरान, चीन, इन्डोनेशिया आदि देशों भी इन कपड़ों की खूब मांग थी। इस तरह कपड़ों की म खूब बढ़ी।

दलाल बुनकर से कपड़ा लेते हुए

दलाल व्यापारी को कपड़ा देते हुए

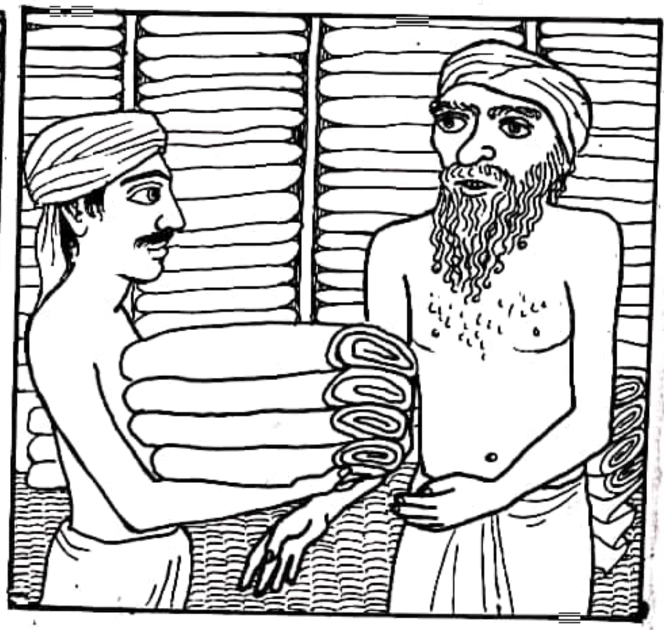

दूर के शहरों में कपड़ा पहुंचाता था व्यापारी। इसलिए व्यापारी को ही पता रहता कि कौन से कपड़े की मांग कहां पर कितनी है। बुनकर को यह सब नहीं पता रहता था। इससे बुनकर के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती। मान लो एक बुनकर ने एक खास तरह का कपड़ा काफी मात्रा में बुन लिया और वह बिका नहीं तो वह तो भूखा मर जायेगा। बुनकर को भला कैसे मालूम पड़ता कि कहां किस चीज़ की मांग है।

व्यापारी कई गांवों और शहरों के बुनकरों से कपड़ा खरीदते और बंदरगाहों में जहाज़ पर लदवाकर दूसरे शहरों में भेज देते। पर एक व्यापारी इतने शहरों में स्वयं जाकर तो कपड़ा इकट्ठा नहीं कर सकता था। इस समस्या का हल कुछ हद तक दादन प्रथा के ज़रिए निकाला।

बुनकरों से कपड़ा खरीदने के लिए व्यापारी कई दलाल रखने लगे थे। व्यापारी दलाल को पैसे देते थे। दलाल इन पैसों से अलग-अलग बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा खरीदते थे। यह कपड़ा खरीदकर वे व्यापारी को देते थे। इस काम के लिए व्यापारी दलाल को अलग से हिस्सा देता था। दलाल जितना अधिक माल व्यापारी के लिए खरीदता, व्यापारी उसे उतने ही अधिक पैसे देता था।

तुमने पिछले पाठों में क्या इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में पढ़ा? किस पाठ में और किस के बारे में?

व्यापारियों के सामने भी समस्या थी। देश विदेश के व्यापारियों के बीच कपड़ा खरीदने की होड़ लगी रहती थी। हर एक व्यापारी चाहता था कि उसे अधिक से अधिक कपड़ा खरीदने व बेचने को मिले। हरेक चाहता था कि किसी प्रकार बुनकर को बांध दे ताकि वह अपना माल दूसरे व्यापारियों को न बेचे, उसे ही बेचे।

व्यापारी का दलाल बुनकरों के पास जाता और कहता, "भाई मुझे इस डिज़ाइन के कपड़े इतने सारे चाहिए। तुम हमसे इतने रुपये एडवांस ले लो। जब कपड़ा बुन जाये तो हमें ही वह कपड़ा देना किसी दूसरे को नहीं। तब हम तुम्हें बकाया पैसा देंगे।"

इसी प्रथा को दादन प्रथा कहते हैं। दादन प्रथा में बुनकर को कपड़ा बुनने के लिए सूत आदि कच्चे माल के पैसे दलाल से पहले ही मिल जाते थे।

व्यापारियों ने अलग-अलग गांवों और शहरों में बसे कारीगरों से कपड़ा खरीदने का क्या प्रबन्ध किया था?

एक तरफ बुनकरों को इससे फायदा भी था। उन्हें अब कपड़ा बुनने से पहले ही उसकी कीमत का कुछ हिस्सा मिल जाता था। इससे वे सूत और अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते थे। साथ ही कपड़ा बेचने के सिरदर्द से भी वे बच सकते थे। उन्हें पहले से पता भी रहता था कि उन्हें किस तरह का कपड़ा बुनना है और कितना बुनना है।

पर दूसरी तरफ अब वे खुद निर्णय नहीं ले सकते थे कि वे क्या बनाएंगे और कितना। अब कपड़ों का डिज़ाईन और उनकी मात्रा व्यापारी ही तय करने लगा। कपड़े की कीमत तय करने में भी व्यापारी का हाथ बढ़ने लगा। चूँकि दलाल और व्यापारी चाहते थे कि उनका मुनाफा कम न हो, वे कोशिश करते कि बुनकर को कम से कम पैसे मिलें।

व्यापारी जहाज़ पर कपड़ा लदवा रहा है

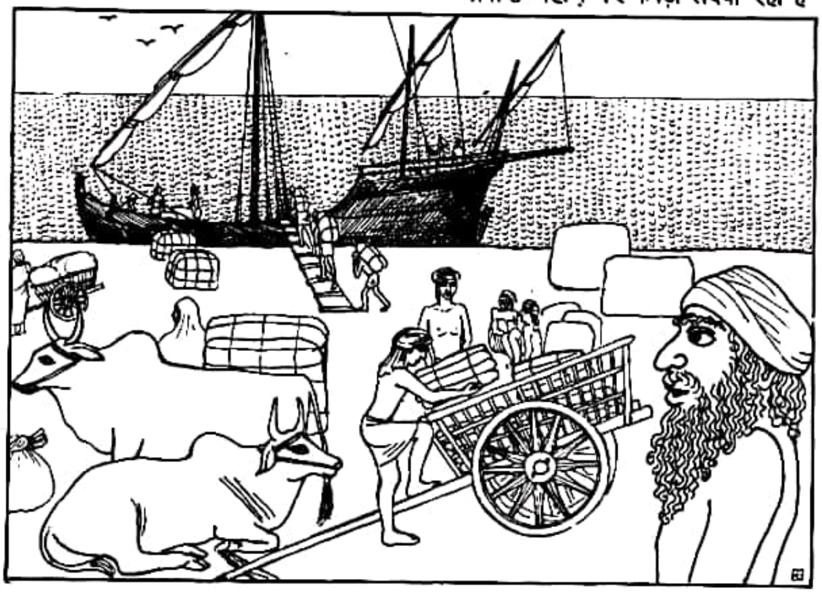

कई जगह, खासकर बंगाल में, उस समय की सरकार की मदद से व्यापारी बुनकरों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। अगर बुनकर अपना बना हुआ कपड़ा किसी दूसरे व्यापारी को बेच देता या निर्धारित समय तक बनाकर नहीं देता तो उसे दंड भी दिया जाता था। इस तरह दादन प्रथा से बुनकरों की आमदनी कम होने लगी थी। सन् 1700 तक आते-आते हम देखते हैं कि बुनकरों की काफी बुरी दशा हो गई थी। उन्हें अपने रोज़ाना के भोजन पानी के लिए भी उधार लेना पड़ रहा था।

दादन प्रथा किस प्रकार शुरू हुई, समझाओ?

बुनकरों के काम के तरीके पर दादन प्रथा के कारण क्या बदलाव आया?

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरो :

दादन प्रथा में :-

1. कपड़ा बुनने से पहले व्यापारी बुनकर को ——— (एडवांस नहीं देता था/देता था)।

2. बुने हुए कपड़े को बुनकर बाज़ार में ——— (किसी को भी बेच सकता था/ केवल एडवांस देने वाले को बेच सकता था)।

3. सूत और अन्य कच्चा माल ——— (व्यापारी देता था/बुनकर खुद खरीदता था)।

4. करघा और अन्य औज़ार ——— (बुनकर के अपने होते थे/व्यापारी के होते थे)।

5. कितना और कैसा कपड़ा बनाता है यह ——— (व्यापारी / बुनकर खुद) तय करता था।

भारत में कपड़ा मिलों की शुरुआत

1725 के लगभग 300 लाख गज़ कपड़ा भारत से बनकर यूरोप जाता था पर आश्चर्य की बात है कि 100 साल बाद सन् 1850 तक आते-आते यह व्यापार नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ?

सन् 1700 और 1800 के बीच जब भारत में दादन प्रथा चल रही थी, यूरोप में कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलें लगना शुरू हो गई थीं। अंग्रेज़ भारत से रूई खरीदकर अपने देश के मिलों में कपड़ा बुनकर दुनिया भर मे बेचते थे। उन्हीं दिनों भारत पर भी अंग्रेज़ो का शासन हो गया था। मिलों में बने कपड़े बहुत सस्ते होते थे, इसलिए भारत में भी बहुत लोग उसी को खरीदने लगे। बुनकरों के कपड़े खरीदने वाले बहुत कम हो गए। इसलिए बुनकरों का धंधा बंद होने लगा।

इतने में भारत के कई सेठों ने सोचा- क्यों न हम भी अंग्रेज़ों की तरह अपने देश में कारखाने लगायें?

कारखाने लगाने के लिए उन्हें क्या-क्या ज़रूरी था?

1. ज़मीन

2.

3.

4.

इन सब के लिए धन की ज़रूरत थी। कोई भी साधारण बुनकर या कारीगर कहां से इतना पैसा जुटा सकता था! इतने पैसे तो बड़े व्यापारियों और साहूकारों के पास ही थे।

बम्बई की सबसे पहली कपड़ा मिल 1854 में सी. एन. डावर ने लगाई थी। सेठ रणछोड़लाल छोटालाल ने सन् 1861 में अहमदाबाद में पहली सूत कातने की मिल लगवाई। मशीनें उसे इंग्लैंड से मंगवानी पड़ीं। मिल लगवाने के लिए उसने कई और सेठों से पैसे उधार मांगकर जुटाये। 1867 में उसी मिल में नई मशीनों से बुनने का काम भी शुरू हुआ।

इसके बाद धीरे-धीरे बम्बई (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात), मद्रास (तमिलनाडु), इन्दौर (मध्यप्रदेश) जैसी जगहों पर कपड़ा मिलें लगने लगीं। इन मिलों में करघों पर काम नहीं होता था। इन में सूत कातने और कपड़ा बुनने की कई मशीनें लगाई गईं। ये मशीनें भाप और बाद में बिजली के इंजन से चलाई जातीं, जिस तरह से यूरोप की मिलों में मशीनें चलती थीं।

मिलों के अन्दर काम

मालिक कपास की मंडियों से खूब सारा कपास खरीदकर अपने गोदाम में भरकर रखता। मिलों में कपास साफ करने, रुई धुनने, उसका सूत बनाने और कपड़ा बुनने की मशीनें थीं। कुछ मज़दूर रुई साफ करने की मशीनों पर काम करते तो कुछ उसे धुनने की मशीनों पर काम करते। कुछ सूत कातने की मशीनों पर तो कुछ कपड़ा बुनने की मशीनों पर काम करते थे।

मशीनों से जब कपड़ा बनने लगा तो बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग और घट गई। इस कारण कई बुनकरों को बुनने का काम ही छोड़ना पड़ा। यही हालत सूत कातने वालों की भी थी। अब यही लोग कपड़ा मिलों में मज़दूर बन कर काम करने लगे। साथ ही कई गरीब किसान जिनका गुज़ारा खेती से नहीं हो पा रहा था, वे भी मिलों में काम करने आए।

मिलों में जो मज़दूर काम करते थे उन्हें मालिक नियमित वेतन देता था। इसके बदले में उन्हें रोज़ नियमित समय पर काम पर आना पड़ता था और जो काम बताया गया उसे करना पड़ता था। अब वे खुद से यह तय नहीं कर सकते थे कि वे कब, कैसे और कितने समय तक काम करेंगे।

मज़दूरों को सुबह से शाम 12-14 घंटे तक काम करना पड़ता था। जब थक जाएं तो अपनी मर्ज़ी से काम रोक भी नहीं सकते थे। उनके काम की देख-रेख के लिए एक सुपरवाइज़र होता था जिसका काम था यह ध्यान रखना कि सब मज़दूर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मशीनें तेज़ रफ्तार से काम करती थीं। मज़दूरों को उनके साथ उनकी गति से काम करना पड़ता था। तभी कम समय में ढेर सारा कपड़ा बन सकता था। आज भी इसी तरह से मिलों में काम होता है। हालांकि अब कानून के अनुसार

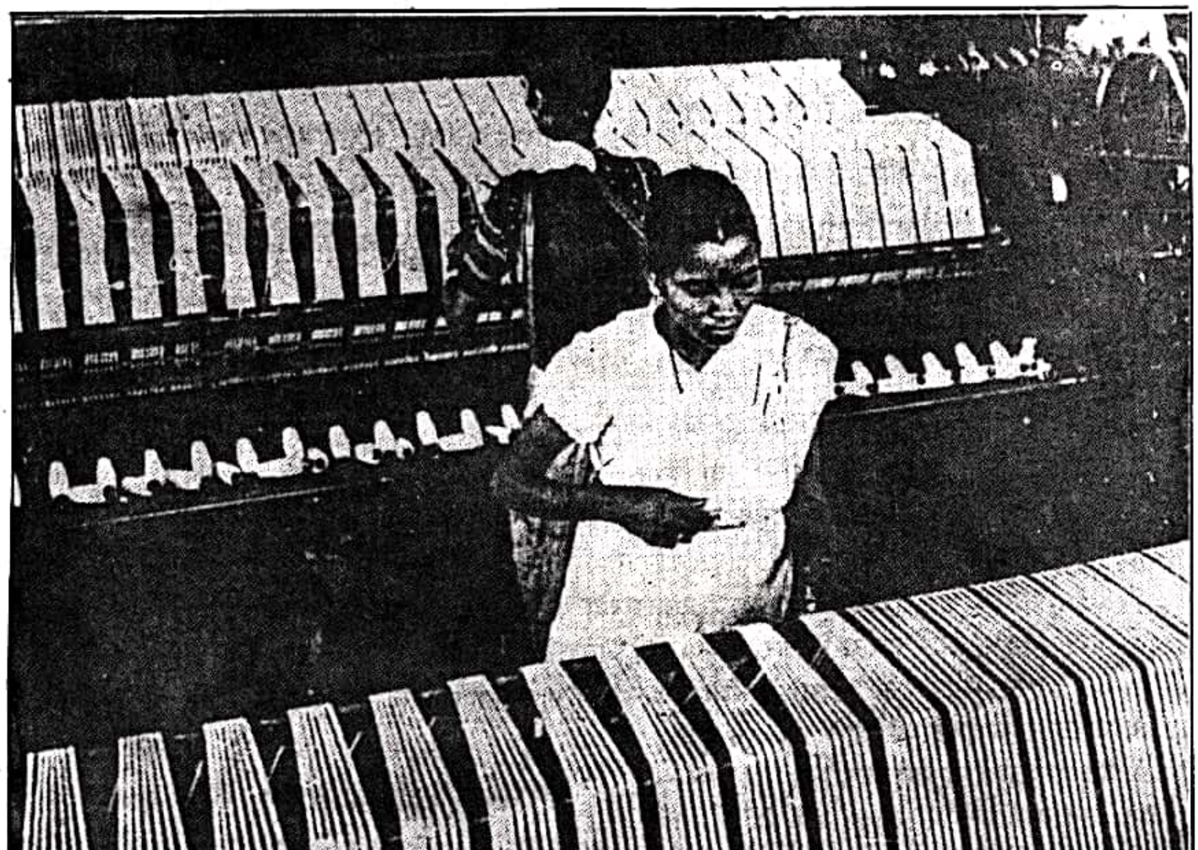

दिन में 8 घंटों से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है। मिलों में बना कपड़ा मिल-मालिकों द्वारा बेचा जाता है। कपड़ों का दाम वे ही तय करते हैं और जो मुनाफा होता है उसे वे ही रखते हैं।

खाली स्थान भरो :-

1. पहले जब कपड़ा करघे पर बनाया जाता था तो करघा कपड़ा बनाने वालों का अपना था। मगर जब मिलों में कपड़ा बनने लगा तो मशीनें ———————— (मालिक/ मज़दूर) की होने लगीं।

2. पहले रूई जैसा कच्चा माल बुनकर खरीदता था जबकि मिलों में कच्चा माल ———————— खरीदता है।

3. पहले ———————— कपड़ा बेचता था जबकि अब ———————— कपड़ा बेचता है।

4. पहले कारीगर का खर्चा कपड़ा बेचने से निकलता था जबकि मिल मज़दूरों का खर्चा ———————— से निकलता है।

उत्पादन करने के अलग-अलग तरीके

तुम ने कपड़ा उद्योग के इतिहास से समझा कि एक ही चीज़ (कपड़े) बनाने के तरीके किस प्रकार बदले। पहले बुनकर घर पर काम करके स्वयं कपड़ा बेचता था। फिर बुनकरों की बस्तियां और शहर बने। फिर दादन प्रथा का चलन हुआ। और फिर कपड़े की मिलें शुरू हुईं।

आज भी अलग-अलग उद्योग अलग-अलग तरह से काम करते हैं। तुम ने इन के कुछ उदाहरण पढ़े। कसेरा- एक स्वतंत्र दस्तकार है। बीड़ी में दादन की सी प्रथा चलती है। चमड़े के छोटे व बड़े कारखानों में तुम ने मज़दूर काम करते हुए देखे। यही नहीं एक ही वस्तु कई तरह से बनाई जाती है। कपड़े की मिलों के बनने के बाद भी, कई जगहों पर बुनकर घर पर भी काम करते हैं। व्यापारी उन से दादन पर कपड़ा बनवाते हैं। या फिर कई बुनकर ही मिल कर अपना माल बेचने का प्रबंध करते हैं। इसी तरह लोहे की चीज़ें लोहार घर पर भी बना रहा है और लोहे की चीज़ें बनाने के कारखाने भी हैं।

अपने आस-पास बन रही चीज़ों के बारे में पता करो। वे कारखाने में बनती हैं या दादन से या स्वतंत्र दस्तकार द्वारा?

इन वस्तुओं के बारे में भी पता करो-मटके, कपड़े, कागज़, किताबें, अखबार, तेल, ईंट, हल-बक्खर, कुर्सी, टेबिल, बीड़ी, माचिस।

अभ्यास के प्रश्न

1. शुरू में बुनकर अपने बनाए कपड़े का क्या करता था?
2. उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनकरों ने क्या किया ?
3. कपड़ा बनाने के काम में क्या-क्या काम होते हैं? इन्हें अलग-अलग लोग क्यों करने लगे?
4. दादन प्रथा किसे कहा जाता था?
5. दादन प्रथा में व्यापारी क्या करता था? दलाल क्या करता था?
6. दादन प्रथा में और स्वतंत्र बुनकर में क्या-क्या अंतर है?
7. सन् 1750 और सन् 1850 के बीच बुनकरों की हालत क्यों बिगड़ गई थी?
8. भारत में कपड़े के कारखाने कब शुरु हुए?
9. इन कारखानों में धन किसने लगाया था?
10. इन कारखानों में मज़दूर कौन थे?
11. कारखानों में काम करने और दादन प्रथा से काम करने में क्या अन्तर हैं?

7. कोर्ट-कचहरी और न्याय

तुमने अपने आसपास कई कोर्ट-कचरी के मामलों के बारे मे सुना होगा। ऐसे एकाध किस्से तुम कक्षा में सुनाओ। कचहरियों में कौन-कौन होते हैं और वे क्या-क्या करते हैं, चर्चा करो। इस पाठ के सारे उप शीर्षक एक बार पढ़ो। क्या तुमने इन शब्दों को पहले कभी सुना है - क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो?

कल्लूराम और परसूराम का झगड़ा

कल्लूराम और परसूराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेढ़ थी। एक दिन परसूराम अपनी मेढ़ बना रहा था। उसने छुपके से मेढ़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परसू ने इस तरह मेढ़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था और मेढ़ एक हाथ खिसक चुकी थी।

जब कल्लू आपने खेत बखरने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका बक्खर बिजली के खम्भे के आगे तक चलता था। लेकिन यह क्या? अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परसू ने मेढ़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काछी और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों-रात मेढ़ खोदकर वापस खिसका दी।

सुबह जब परसू को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहां आ धमका। उसने कल्लू की काफी पिटाई की। उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। इतने में कोटवार भी वहां पर आ गया। लोगों ने बीच-बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में काछी और रेवा कल्लू को पास के शहर हरदा ले गये। कोटवार भी साथ गया। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और पलस्तर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए।

कल्लू की पिटाई

थाने में रपट

थाने में रेवा ने परसू के विरुद्ध रपट लिखवाई। दारोगा ने कोरे कागज़ पर रपट लिखी। यह 'मौके की पहली रपट' (एफ. आई. आर. या फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके दारोगा से कहा- "आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज़ कीजिए, और एक प्रति हमें भी दीजिएगा।" दारोगा ने कहा- "जब थानेदार साहब आयेंगे तभी रजिस्टर में लिख सकते हैं।" तो रेवा, काछी, कल्लू और कोटवार थाने में रुके रहे। थोड़ी देर बाद थानेदार आया। उससे रेवा ने रजिस्टर में रपट दर्ज़ करवाई। कल्लू जाने को तैयार हुआ, पर रेवा ने उसे रोक कर थानेदार से रपट की एक प्रति मांगी। रेवा को पता था कि रपट की प्रति रपट लिखवाने वाले को मिलती है। उसने रपट की एक प्रति ली और फिर सब अपने गांव के लिए निकले।

कल्लू थाने मे रपट लिखवा रहा है

जुर्म की छानबीन

एफ. आई. आर. के आधार पर थानेदार ने दारोगा से छान-बीन करने को कहा। उसी दिन दोपहर को दारोगा कल्लू के गांव पहुंचा। पहले तो उसने कल्लू की चोटें देखीं। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने कल्लू के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने सुबह की मारपीट का विवरण दिया। दारोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी।

वह परसू के पास गया और उसको बताया कि वह उसे "गंभीर चोट पहुंचाने" के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दारोगा उसे अपने साथ हरदा थाने ले गया। वहां उससे पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। थानेदार ने बहुत कहा कि जुर्म कबूल कर लो पर उसने साफ इन्कार कर दिया।

एफ. आई. आर.

थाने में एफ. आई. आर. कोई भी दर्ज़ करा सकता है। यदि पढ़ा-लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर कर के एफ. आई. आर. दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ. आई. आर. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना ज़रूरी है। गवाहों के नाम भी एफ. आई. आर. में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाऊस रजिस्टर में दर्ज़ होना चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ. आई. आर. की एक प्रति निशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार एफ. आई. आर. नहीं दर्ज़ करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज़ करा सकता है- डाक से भी रपट भेजी जा सकती है।

गिरफ्तारी

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय, उसे यह बताना ज़रूरी है कि उसे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि यह उसे नहीं बताया जाता तो उसको यह अधिकार है कि वह यह पूछे और जुर्म बताये जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताये किसी को गिरफ्तार करना गलत है।

पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके, ताकि वह अपने खिलाफ सबूतो को नष्ट न कर सके और वह दूसरा कोई आपराध न कर सके। यानी गिरफ्तारी सज़ा नही है।

पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जायेगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाये। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुना सकता है।

थाने में रपट किस बात की लिखवाई गई?

यदि तुम रपट लिखवाते तो किस तरह लिखवाते? एक रपट लिख कर बताओ।

एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति क्यों लेनी चाहिए – कक्षा मे चर्चा करो।

जुर्म की छानबीन किसने की और किस प्रकार की?

किस को गिरफ्तार किया गया और किस जुर्म के आरोप में?

ज़मानत

थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाये। थानेदार ने परसू को बताया, "तुम्हे किसी की ज़मानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन-जायदाद है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम ही बॉण्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाये तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद ज़ब्त कर ली जायेगी"

परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है। उसने अपने लिए बॉण्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि "कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो।"

पहली पेशी

दूसरे दिन पहली श्रेणी के जुड़िशियल मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी। यह कचहरी हरदा में थी। कचहरी के आसपास काफी लोग थे। काले कोट पहने हुए वकील, कई अभियुक्त, (यानी वे लोग जिनके खिलाफ किसी जुर्म की शिकायत दर्ज़ थी), और दूसरे मामलों की पेशी के लिए आए कई लोग। परसू, कल्लू, काछी, परसू का बेटा रामू, थानेदार और दारोगा भी वहां थे। परसू ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहे थे।

ग़ैर ज़मानती जुर्म

परसू तो ज़मानत पर छूट गया पर सभी जुर्म ज़मानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफतार लोगों को ज़मानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे ग़ैर ज़मानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट को ज़मानत की अर्ज़ी दी जा सकती है। यह फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वह ज़मानत मंजूर करे या इन्कार कर दे।

इस कहानी में परसू का जुर्म ज़मानती था या ग़ैर ज़मानती?

काफी देर के बाद परसू की पेशी की पुकार हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने यह इस मुकदमे की पहली पेशी थी। थानेदार ने परसू के वकील को एफ. आई. आर. और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि परसू पर क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इन सब बातों को जानकर ही परसू का वकील उसका बचाव कर सकता था।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने परसू पर कल्लू को 'गंभीर चोट पहुंचाने' का इल्ज़ाम लगाया। इस जुर्म में सात साल तक की जेल हो सकती है। परसू ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 15 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी।

गवाह और पेशी

परसू ने अपने पक्ष मे कुछ दोस्तों के नाम गवाहों में दिए थे। कल्लू ने जो रपट थाने में लिखवाई थी, उसमें भी कुछ लोगों के नाम गवाहों में लिखवाए थे। दारोगा ने छानबीन के समय कल्लू के दो पड़ोसियों के नाम लिख लिए थे। इन सब को मजिस्ट्रेट से आदेश मिले कि उन्हें मजिस्ट्रेट की कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है।

15 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब हरदा की कचहरी पहुंचे। पहले सरकार की तरफ की एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बात बताई। फिर दोनों तरफ के वकीलों ने उससे और पूछताछ की। एसे दो ही गवाहों की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

इस तरह हर पेशी में एक दो गवाहों के बयान और पूछताछ होती और फिर अगली पेशी की तारीख मिल जाती। इस तरह पेशियां चलती रहीं। परसू को अपने वकील को फीस देनी पड़ती। साथ में हरदा आने-जाने का खर्चा भी था। जिस दिन पेशी होती, उस दिन खेती का नुकसान भी होता। करीब एक साल तक ये पेशियां चलती रहीं। फिर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को चार साल की कैद होगी।

परसू के मामले का मुकदमा किस कचहरी में चला?

पहली पेशी में क्या हुआ?

पुलिस की ओर से वकील क्या कहलाता है?

कचहरी

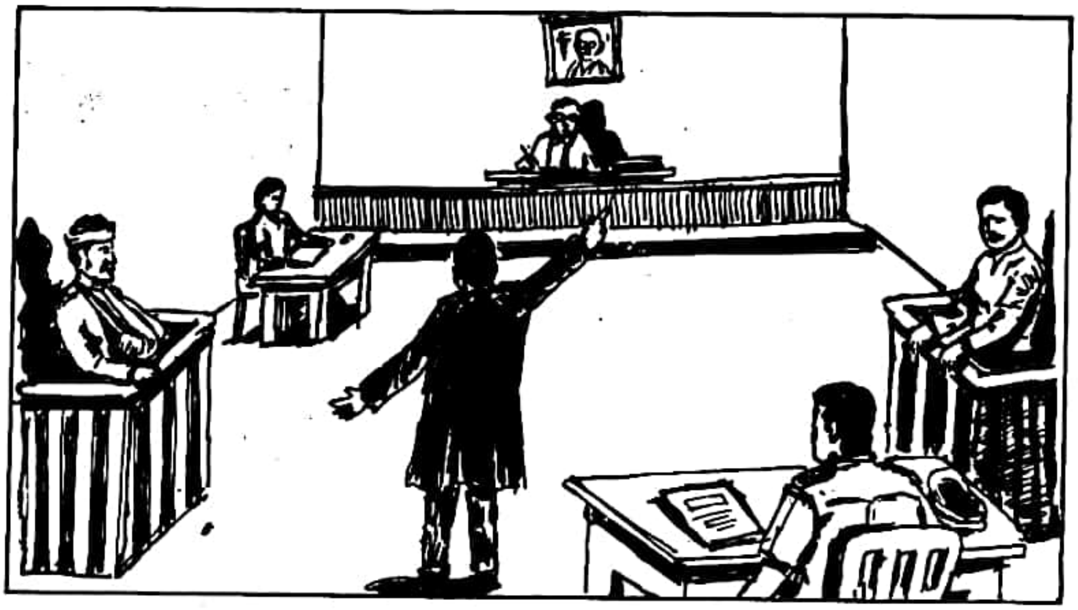

किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों ज़रूरी है - कक्षा में चर्चा करो।

पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में वकील, मजिस्ट्रेट, गवाह और लिपिक को पहचानो।

सेशन्स कोर्ट में अपील

परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया, "सेशन्स कोर्ट में अपील की जा सकती है। सेशन्स जज, हरदा के मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है सेशन्स जज तुम्हें दोषी न ठहराएं या सज़ा कम कर दें।" परसू ने पूछा "सेशन्स कोर्ट कहां है? मुझे अपील करने के लिए क्या करना होगा?" वकील ने कहा- "सेशन्स कोर्ट होशंगाबाद में है। और अपील वगैरह मुझ पर छोड़ दो। बस मेरी फीस देते रहना।" परसू घबरा गया। "होशंगाबाद तो इतनी दूर है। वहां पेशियों में ऐसे जाना पड़े तो हर बार 50 रु. खर्च हो जाएंगे।" वकील ने उसे बताया कि होशंगाबाद में मुकदमा चले तो एकाध बार ही परसू को जाना पड़ेगा। बाकी तो मुकदमे की फाईल से काम चल जाएगा।

तो परसू की ओर से उसके वकील ने होशंगाबाद ज़िले के सेशन्स कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशंस जज ने परसू की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरन्त जेल नहीं जाना पड़ा।

फिर सेशन्स कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को, बाकी पेशी तो वकील ने सम्भाली। दो साल बाद सेशन्स जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सज़ा कुछ कम कर दी।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला —————— जज बदल सकता है।

उच्च न्यायालय

परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा "क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है?" वकील ने बताया, "हर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय होता है। वह प्रदेश की सबसे बड़ी कचहरी है। किसी भी मुकदमें के फैसले जो कि प्रदेश की किसी भी छोटी कचहरी और सेशन्स कोर्ट में दिए गए हों, वहां पर बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाये जाते। वहां पर तो केवल जानकारी की फाईल के आधार पर फैसला होता है। चाहो तो उच्च न्यायालय में भी अपील करें। हो सकता है सज़ा और कम हो जाए।"

परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज़ कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशन्स जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा।

दीवानी और फौजदारी मामले

परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा "इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए?" वकील ने बताया "ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी। इसलिए यह एक फौजदारी मामला है, यानी ऐसा अपराध जिसमें दंड दिया जा सकता है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना- ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमे जुर्म साबित होने पर सज़ा अवश्य मिलेगी। सिर्फ ज़मीन जायदाद के मामलों में सज़ा नहीं होती। ये दीवानी मामले होते हैं।"

"दीवानी मामले क्या होते हैं?" परसू ने पूछा।

वकील ने कहा, "जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, या मज़दूर-मालिक के बीच मज़दूरी को लेकर, या किसी के बीच पैसे के लेन-देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज़ कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेढ़ का झगड़ा था, उसपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इन में सज़ा तो नहीं होती पर जिस भी पक्ष

को नुकसान सहना पड़ा है या जिसकी सम्पत्ति पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है, उसे उस नुकसान का मुआवज़ा दिया जा सकता है या सम्पत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी। इसलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा।"

परसू ने जब कल्लू की मेढ़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था या फौजदारी?

परसू ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी?

इतने सारे न्यायालय, और इतना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। परसू को हाईकोर्ट का फैसला मिलते-मिलते इतने साल लग गए। दीवानी मामलों में तो कभी 10-15 साल भी लग जाते हैं। कई बार नुकसान का भुक्त भोगी बिना मुआवज़ा पाए ही मर जाता है। ऐसे जानें कितने मुकदमें होते हैं।

****

अपने गुरुजी के साथ इस पाठ के आधार पर मुकदमे का एक नाटक करो। कल्लू, परसू, गवाह, मजिस्ट्रेट और कौन-कौन पात्र होंगे? कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ कर सब पात्र चुन लो। वकील और सरकारी वकील को सवाल जवाब ठीक से करने पड़ेंगे। नाटक में मजिस्ट्रेट को अपना फैसला भी सुनाना होगा।

*

सर्वोच्च न्यायालय

परसू की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई। पर पूरे भारत में एक सबसे ऊंची कचहरी भी है। उसे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इस न्यायालय में खास तरह के मामले ही जाते हैं। तो न्यायालयों या कचहरियों का ढांचा इस प्रकार है :–

- सर्वोच्च न्यायालय
  - उच्च न्यायालय
    - सेशन्स कोर्ट
      - जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कचहरी (फौजदारी मामलों के लिए)
    - ज़िला कोर्ट
      - सिविल जज की कचहरी (दीवानी मामलों के लिए)

अभ्यास के प्रश्न

1. एफ. आई आर. कहां और कब दर्ज़ किया जाता है?
2. गिरफतारी और सज़ा में क्या अंतर है?
3. ज़मानत मिलने से क्या होता है?
4. ज़मानत किस प्रकार दी जाती है?
5. इस मुकदमे में पहली पेशी से लेकर उच्च न्यायालय के फैसले तक क्या हुआ? दस वाक्यों में लिखो।
6. न्यायालय में बहुत लंबे समय तक केस चलने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने विचार लिखो।
7. यदि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति के बंटवारे पर झगड़ा हो कि किसका कितना हिस्सा है तो इस मामले को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
8. फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अन्तर है?
9. क्या उच्च न्यायालय का दिया गया फैसला ज़िला अदालत या सेशन्स अदालत बदल सकती हैं?
10. सेशन्स अदालत के फैसले से यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है?
11. खाली स्थान भरो–

    इस तरह कचहरियां 4 स्तर की होती हैं। फौजदारी मामलों के लिए पहले स्तर की कचहरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। इस का फैसला ———— में बदला जा सकता है। इस कचहरी का फैसला ———— में, जिसका फैसला ———— में ही बदला जा सकता है।

८. पैसा एवं बिन पैसों का लेन देन

लेन देन का सिलसिला चला आ रहा है। इसके कई तरीके और रीति रिवाज़ हैं। तुम कोई एक उदाहरण दो जहां लेन-देन बिना पैसों के होता है?

ज्वार के बदले आम

बिन पैसों के लेन देन, अपने समाज से कुछ उदाहरण

तुम्हारे यहां ज़्यादातर चीज़ों का लेन देन पैसे से ही होता होगा। पर कुछ ऐसी वस्तुएं भी होंगी जिन का लेन-देन पैसों के बिना होता है। जैसे कि इस चित्र मे देख सकते हो, मोहन कुछ ज्वार लेकर धीरज काका के पास आम खरीदने पहुंचा। काका ने ज्वार की दो बराबर ढेरियां बनाईं। एक ढेरी को तराजू पर रखा और उतने ही आम तौल दिए। आम लेकर मोहन घर आ गया और काका ने दोनों ज्वार की ढेरियां रख लीं। इस प्रकार अनाज के माध्यम से लेन देन हुआ। यहां हिसाब था - 'अनाज से आधा'। और भी कई तरह के हिसाब चलते हैं - जैसे "अनाज बराबर," या "लाभ काट बराबर"।

गांव के लोहार से बक्खर का फाल जुड़वा कर और पहिए पर लोहे की चादर चढ़वा कर लोग ले जाते हैं। तब लोहार को पैसे नहीं चुकाते। हर फसल पर बंधा बंधाया अनाज लोहार को देते हैं। कितना देना है- इसका रिवाज़ तय है। इस रिवाज़ के सहारे सालों से लेन-देन चला आ रहा है।

कुम्हार को हाथी के लिए कपड़ा और अनाज दिया जा रहा है

किसके बदले कितना दिया जाएगा, इस बात के रिवाज़ का एक और उदाहरण पढ़ो। बिलासपुर के आदिवासियों के यहां शादी में हाथी पूजा होती है। पूजा के लिए यह हाथी मटकों और सकारों (बड़े दियों) से बनाया जाता है। चित्र में देखो यह प्यारा सा हाथी कैसे बना है।

कुम्हार पूजा का हाथी बना कर तैयार कर चुका है। उसे बदले में क्या मिलेगा? अनाज और कपड़ा। पर कितना मिलेगा?

हाथी की पीठ में छेद होता है। शादी वाले घर के लोग हाथी की पीठ वाले घड़े में जितना धान आए उतना भर देते हैं। और हाथी को पूरी तरह एक नए कपड़े से ढंक देते हैं। यह धान और कपड़ा कुम्हार की मेहनत का भुगतान है। जितना लंबा चौड़ा हाथी उतना लंबा चौड़ा कपड़ा। भुगतान इतना होगा- यह एक रिवाज़ से तय हुआ है।

क्या तुमने लेन देन के ऐसे नियम सुने हैं? क्या कभी इस तरह अनाज के बदले कोई चीज़ खरीदी है? या मेहनत के बदले अनाज लिया है? चर्चा करो।

किस हिसाब से ऐसा लेन देन किया? उन उदाहरणों की सूची बनाओ।

बिन पैसों का लेन-देन, दूसरे समाज के उदाहरण

बिना पैसों का लेन देन सिर्फ हमारे समाज में नहीं होता। इसके उदाहरण सभी समाजों में पाये जाते हैं। रूस के उत्तरी-पूर्वी प्रदेश साईबेरिया के कुछ कबीलों और अलास्का के लोगों के बीच में एक अनोखे तरीके से व्यापार होता है। (नीचे दिए गए चित्रों को देखो)

आमतौर से इन लोगों के बीच दुश्मनी रहती है। इसलिए उन्हें डर रहता है कि कहीं मुलाकात हो गई तो झड़प न हो जाए। पर दोनों को एक दूसरे से आवश्यक सामग्री मिल जाती है।

बर्फीली पगडंडी पर एक महिला मटका लेकर आ रही है। मटके में कई चीज़ें भरी हैं।

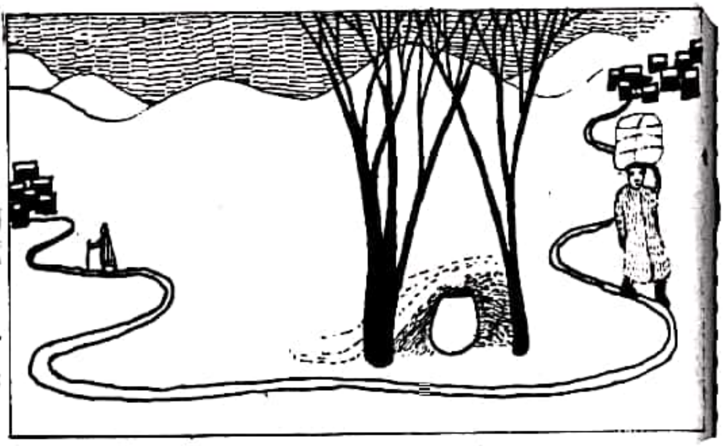

वह निश्चित जगह पर मटका रखकर लौट जाती है - दूसरे गांव से एक आदमी पोटली लेकर आ रहा है।

वह अपनी पोटली रख देता है और मटका लेकर गांव लौट जाता है।

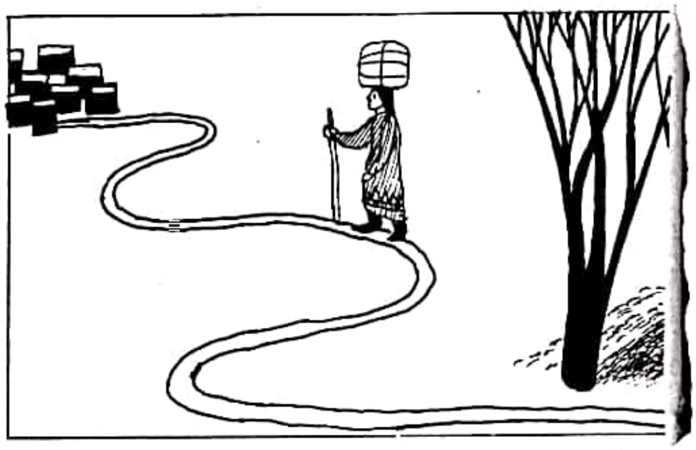

दूसरे दिन पहले गांव की महिला पोटली ले जाती है।

इस तरह इन दोनों गांवों के बीच लेन-देन हो जाता है। हमारा दूसरा उदाहरण है अफ्रीका के गांवों का। पहले उदाहरण में लेन देन दो गाँवों के बीच था। अब हम ऐसे तरीके की बात करेंगे जहां लेन देन कई गांवों के बीच होता है।

एक गांव बसा है नदी के एक तरफ, पहाड़ों की तलहटी में। इन लोगों को शिकार मिल जाता है। वे मांस को धुंआ लगा कर रख लेते हैं। ऐसा मांस यदि बच जाए तो वे नदी के तट पर स्थित एक गांव से मांस के बदले में कुछ शकरकन्द ले आते हैं। यह शकरकन्द ये दूसरे गांव के लोगों ने स्वयं नहीं उगाए। नदी के दूसरे तट पर एक गांव है जहां से इन लोगों ने शकरकन्द लिये। इन गांव वालों को शकरकन्द के बदले में उन्होंने दूसरी चीज़ें दीं जैसे तरबूज़, केला, पपीता आदि। इस तरीके से कई गांवों के बीच लेन देन हो जाता है। जो कुछ भी एक गांव के पास ज़्यादा होता है, वह दूसरे गांव से बदली कर लेते। इस तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे .... कई गांवों के बीच वस्तुओं का लेन-देन हो जाता है।

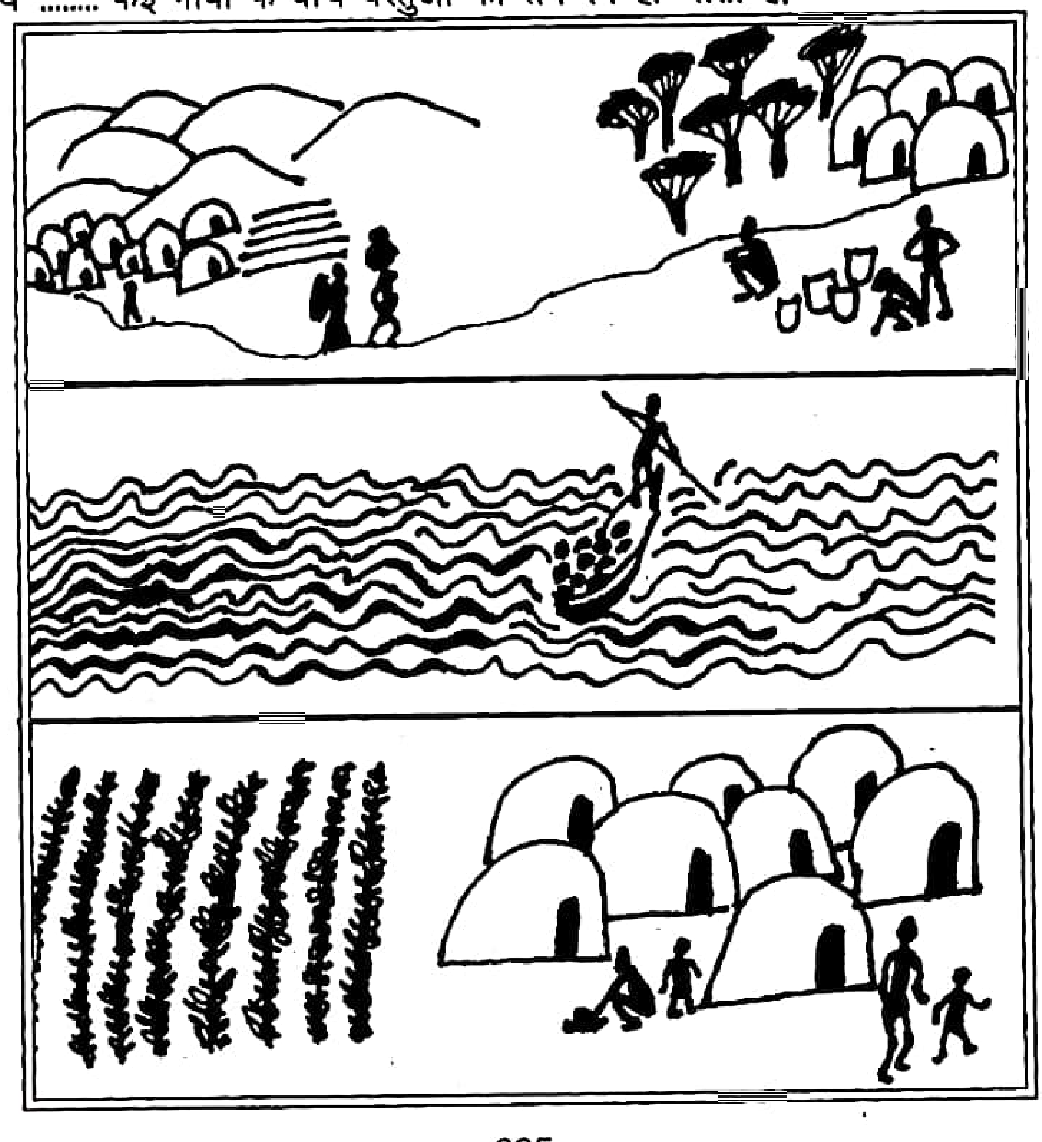

लेन देन की समस्याएं

कितने मांस के बदले में कितना शकरकन्द मिलेगा, कितने शकरकन्द के बदले में कितने केले मिलेंगे- ये बातें तीनों गावों के लोगों ने किसी तरह तय करके लेन देन का एक रिवाज़ बना लिया है। पर, लेन देन का रिवाज़ तय होने से पहले, चीज़ों के मोल को लेकर खींचा तानी हो सकती है। जैसे यहां देखो- एक मटका बेचने वाले और एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है!

बर्तन और कपड़ा बेचने वाले के बीच क्या सौदा तय हुआ होगा? चित्र को पूरा करते हुए उत्तर दो।

पैसे के माध्यम से लेन-देन

कुछ समस्याओं को सुलझाना मुश्किल हो जाता है। नीचे दिए चित्र मे देख सकते हो कि टोकरी भर अनाज और एक गाय को लेकर कैसे लोग उलझ रहे हैं। गाय तो आधे में काटी नहीं जा सकती। कैसे सुलझेगी यह समस्या? .... चलो एक नाटक पढ़कर देखें।

चार व्यक्ति नाटक करते हैं। नाटक के पात्र हैं - रवीन्द्र, गजराज, दिनेश और 'पैसे का दूत'।

नाटक - ''पैसे का दूत आया''

रवीन्द्र एक बकरी खींचता हुआ (झूठमूठ की) दरवाज़े से अन्दर आता है और ज़ोर से कहता है - "गुड़ है? गुड़ है? बकरी के बदले गुड़?" कहकर बैठ जाता है।

तभी गजराज आता है। दरवाज़े से ही कहता है - "अरे दादा! यह बकरी तो मुझे बेच दो।" रवीन्द्र उसके पास जाकर कहता है - "गुड़ है? मुझे बकरी के बदले में गुड़ चाहिए।"

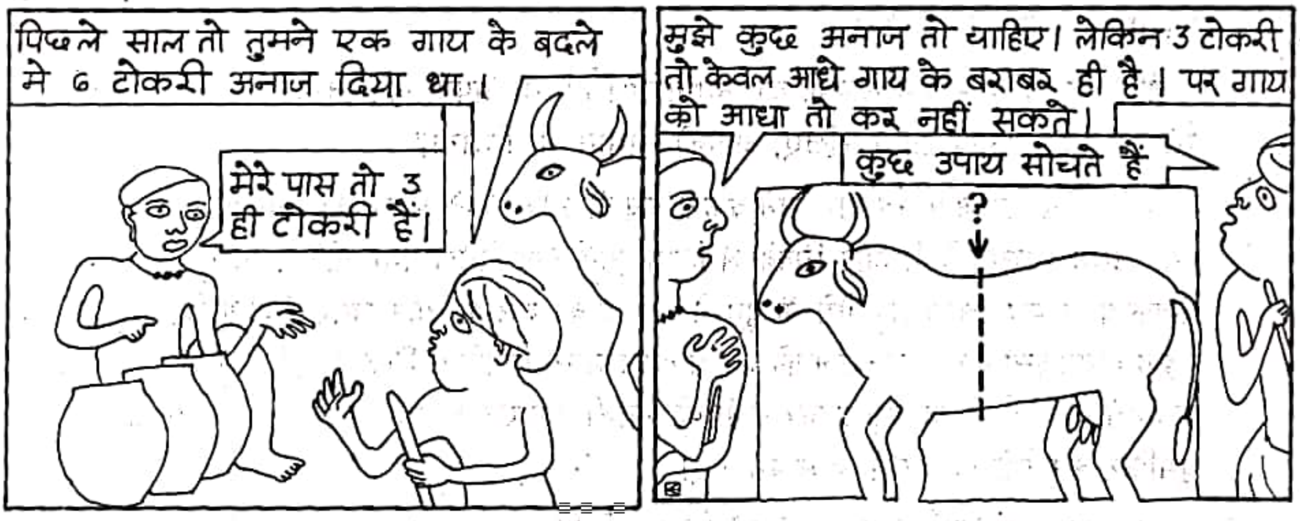

गज़राज - "तुम तो यह बटलोई ले लो। शादी-ब्याह में काम आएगी।"

रवीन्द्र - "नहीं दादा। मोड़ा-मोड़ी की शादी तो हो गई। मैं तो गुड़ ही लूंगा।"

तभी दिनेश आता है और दरवाजे से ही कहता है - "बटलोई है? गुड़ ले जाओ।"

रवीन्द्र उसके पास जाता है। कहता है - "मुझे गुड़ बेच दो और बदले में बकरी ले लो।"

दिनेश ने कहा - "मुझे बकरी नहीं चाहिए, बटलोई चाहिए।"

दिनेश अब गजराज के पास जाता है और कहता है, "मुझे बटलोई बेच दो और गुड़ ले लो।"
गजराज कहता है- "मुझे तो बकरी चाहिए गुड़ नहीं। मैं बकरी के बदले में बटलोई दूंगा।"

	रवीन्द्र	गजराज	दिनेश
खरीदना चाहता है	गुड़	बकरी	बटलोई
बेचना चाहता है	बकरी	बटलोई	गुड़

इस प्रकार हम देखते हैं कि रवीन्द्र, गजराज और दिनेश आपस में सौदा नहीं कर पा रहे हैं, वहां बहुत शोर होता है। कुछ समझ में नहीं आता।

ऊपर दी गई तालिका को देखकर समझाओ कि कोई भी दो व्यक्तियों के बीच सौदा क्यों नहीं हो पा रहा है?

तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है - "रुको। सब शांति से बैठ जाओ।" सब उसके

सामने बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति कहता है - "मैं हूं पैसे का दूत। मेरे साथ कोई भी सौदा कर सकता है। ये हैं मेरे सिक्के।"

तीनों बोलते हैं, - "हम सिक्कों का क्या करेंगे? हमें तो अपनी ज़रूरत का सामान चाहिए। पैसे का दूत - "आप शांति रखिए, आपको सामान भी मिलेगा।"

अब रवीन्द्र उसके पास गया। उसने बकरी बेच दी और सिक्के लेकर बैठ गया। फिर गजराज गया, उसने बटलोई दे दी और सिक्के ले लिए। इसके बाद दिनेश गया और उसने गुड़ बेचकर सिक्के प्राप्त कर लिए। अब पैसे के दूत ने रवीन्द्र को बुलाया और उससे सिक्के लेकर उसे गुड़ दे दिया। इसी प्रकार गजराज को बकरी देकर उससे सिक्के ले लिए और दिनेश को सिक्कों के बदले बटलोई दे दी। इस प्रकार सभी को उनकी ज़रूरत का सामान प्राप्त हो गया। सिक्के घूमफिर कर पैसे के दूत के पास आ गए।

इस तरह हम देखते हैं कि पहले जो सौदा नहीं हो पा रहा था, वह सिक्कों के माध्यम से आसान हो गया। जब लेन-देन करने वालों ने यह मान लिया कि वे लेन-देन किसी माध्यम से करेगे तो बड़ी आसानी हो गई। यही कारण है कि लेन-देन के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। आज कल पैसा वह माध्यम है। लेकिन बहुत पुराने समय में कौड़ियों के माध्यम से या अनाज या सोने आदि के माध्यम से भी लेन-देन हुआ करता था।

बिन पैसे का लेन-देन आज भी होता है, पर पहले कि तुलना में कम हो गया है। पैसे का उपयोग सभी जगह है। इस पैसे के कई रूप हैं - नोट, सिक्के, बैंक का खाता। लेन-देन को सहज और आसान करने के लिए पैसे के नए-नए रूप बनाए जाते हैं। अलगे वर्ष तुम बैंक के काम-काज के बारे में पढ़ोगे कि बैंक के माध्यम से लेन-देन में क्या सहूलियत होती है।

अभ्यास के प्रश्न

1. बिन पैसों के लेन-देन में 'भाव' कैसे तय होता है?
2. पृष्ठ 233 पर बने चित्रों और पृष्ठ 234 पर बने चित्रों की तुलना करते हुए बताओ कि इनमें क्या अंतर है?
3. पैसे के माध्यम से, किस प्रकार लेन-देन में सहूलियत होती है? समझाओ।
4. मान लो कहीं पर लेन-देन का कोई माध्यम नहीं है और लोग किसी चीज़ को लेन-देन का माध्यम बनाना चाहते हैं। किसी ने सुझाव दिया इमली के बीज और दूसरे ने कहा चाँदी के सिक्के। क्या चुना जाना चाहिए? कारण सहित समझाओ।
5. एक मज़दूर परिवार ने कहा- "हम चाहते हैं कि हमें काम के बदले में पैसे की जगह अनाज ही मिले। इससे हमें नुक्सान नहीं होगा।" तुम सोचकर बताओ कि वे बिन पैसे के लेन-देन में सुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं?

9. पढ़ो और समझो

1. पढ़कर सुनाओ

नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ कर सुनाना है। पहले सभी चुपचाप अपने मन में गद्यांश को पढ़ लो। जो शब्द समझ न आए, उनके नीचे लाईन खीं च लो। इन शब्दों का अर्थ गुरुजी से पूछो। फिर कोई एक छात्र गद्यांश को पढ़े और सब ध्यान से सुनें। पढ़ते समय इन बातों पर ध्यान दे: धीरे पढ़े, ज़ोर से और साफ पढ़े। जहां (,) का चिन्ह और (।) का चिन्ह है वहां रुके। जहां उचित हो आवाज़ भी बदले। मानो मोहन ने गुस्से से कहा "भाग जाओ यहां से।" यह पढ़ते समय आवाज़ में गुस्सा दिखना चाहिए।

गद्यांश पढ़ और सुन लेने के बाद सब अपने मन से उसका शीर्षक अपनी कापी में लिख लें। फिर पुस्तक वंद कर के अपने शब्दों में इस गद्यांश का सार भी लिखें।

भोपाल के बड़े तालाब के पास आज भीड़-भाड़ है। रास्तों पर कुछ बैनर लगे हैं। उन पर कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। जैसे, "जब हम दुनिया को ज़िन्दा रखने के लिए रात दिन जुटे रहते हैं, फिर भी लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं?"

"हमने तुम्हें खाने को फल, सब्ज़ी, अनाजं, मछली जैसी कई चीज़ें दी हैं तो तुम हमें ज़हरीला कचरा और गंदगी क्यों दे रहे हो?"

इन बातों को पढ़ते-पढ़ते हो हल्ला बढ़ गया। पूछताछ करने पर पता चला, आज यहां पानी पंचायत हो रही है। इसमें कई नदियां, तालाब, बांध तथा कुएं भाग ले रहे हैं। इतने में ही प्रमुख अतिथि गंगा नदी वहां पहुंच गईं। हम भी अपना समय गंवाए बिना पंचायत में एक ओर बैठ गए।

पंचायत में तालाब के आसपास के पशु-पक्षी भी मौजूद थे। गंगा ने कुर्सी पर विराजते ही रहीम का दोहा, "रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानस चून" पढ़ा और पंचायत की कार्यवाही शुरू की।

भोपाल तालाब ने सबका स्वागत करते हुए पानी पंचायत बुलाने के कारण बताए। तालाब ने कहा कि, "वर्षों पहले मुझे दो-ढाई लाख लोगों की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी देकर भोपाल में बसाया गया था। पर पिछले कुछ वर्षों से मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब मुझे 8-10 लाख लोगों को पानी देने के लिए कहा जा रहा है। क्या यह मेरे लिए संभव है? कहां 2 लाख की आबादी और अब कहां आठ लाख से भी ज्यादा। उस पर भी मेरे अंदर आस-पास की मिट्टी,

कचरा, गंदा पानी, खरपतवार आदि इकट्ठी हो रही है। भला इन सबके रहते मैं कैसे साफ पानी लोगों को दे सकता हूं? पिछले वर्षों में बरसात भी पर्याप्त रूप से नहीं हुई है, इससे हमारी परेशानी और बढ़ गई है। लोग हमारे पानी की बुराई कर रहे हैं। उससे बीमारियां फैल रही हैं। मैंने अपनी पीड़ा आपको इसलिए बताई है कि ताकि आप भी अपनी आपबीती पंचायत के सामने रखें। जिससे हम मिलजुल कर समस्या को समझें और निदान ढूंढें।"

सभी ने ताली बजाकर तालाब की बातों का समर्थन किया। और जोर से नारा लगाया, "दुनिया को जीवन देने वाले पानी को खराब .... किसने किया, किसने किया?"

2. खिचड़ी को सुलझाओ

यहां दो पाठों की बातें मिल गई हैं। दोनों को अलग करके अपनी कापी में लिख लो। ये अंश किन पाठों से लिए गए हैं?

भारत में भहुत पुराने समय से बुनकर कपड़ा बुनते आए हैं। दिन भर बैठे एकटक काम करने से बहुत से बीड़ी बनाने वालों को तरह-तरह की बीमारियां होती है। तम्बाकू के साथ काम करने से सिर भारी होने लगता है। कपड़ा बनाने का सारा काम बुनकर के घर पर उसके परिवार के लोग मिल कर करते थे। आखें दुखने लगती है। वे रूई धुनकते, पोनी बनाते और अपनी तकली या चरखे पर सूत कातते थे। सांस लेने में तकलीफ भी होती है। रूई तो बुनकर किसानों से खरीद लेता था। फेफड़ों की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर भी अधिक होता है। बुने हुए कपड़े को रंग में डाल कर रंगा जाता था।

3. शब्द बनाओ

शब्द बनाने हैं। नीचे दिये गये अक्षरों से कम से कम 15 शब्द बनाने हैं — स ख ल च न ट म र य ड क श ड़। किसी भी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे, ु ू ि ी ा ो ौ ं। एक ही शब्द में अक्षरों का बार-बार उपयोग कर सकते हैं जैसे टमाटर, मामा। शब्द बनाते जाओ और अपनी कापी में लिख लो। चमड़े के कारखानों से संबंधित कम से कम पांच शब्द होने चाहिए। इन पांचों शब्दों के साथ-साथ एक-एक वाक्य बनाओ। उदाहरण: खाल - मेरे मामा ने चमड़े के कारखाने में खाल पहुंचाने का ठेका लिया है।

4. सुलझाओ पहेली

तुम्हें पहेलियों को हल करना है। सारे शब्द कानून से संबंधित हैं। ज़रूरत हो तो "कोर्ट कचहरी और न्याय" पाठ फिर से पढ़ना।

1. पुलिया का या बह गया
थाने पर ज़रूर मिलेंगे।

2 कील के आगे टांगो
काले-कोट धारी बन जाये।

3. गवार का र गायब
इस व्यक्ति ने दिए सबूत।

4. विद्यालय में विद्या नहीं
यहां फैसला होता है।

5. दीवार के र पर झगड़ा हुआ
पर मामला थाने में नहीं गया।

6. चमत्कार से तुक सोचो
तुम भी अपने हक समझो।

7. फरशी फर हो गयी
जब कोर्ट की तारीक आई।

8. बया के घोंसले में न जाओ
कचहरी में बात कहनी पड़ेगी

पहली पंक्ति बताती है कि हमें पहले शब्द का क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिये, पुलिया का 'या' बह गया तो रह गया 'पुलि'। दूसरी पंक्ति बताती है कि हमें ऐसा शब्द बनाना है, जिसका अर्थ उसी पंक्ति में है। 'पुलि' के साथ ऐसा शब्द बनाओ जिसका अर्थ 'थाने पर जरूर मिलेंगे' हो। तुरंत दिमाग में आता है 'पुलिस'।

5. इस रपट को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो-

"नाले में मिले विषाक्त पानी से 55 पशु मरे"। (गुना के सोहनलाल जैन द्वारा नई दुनिया 8 मई, 1988 में छपी रपट के आधार पर)

गुना 7 मई। चौपेट नाले का विषाक्त पानी पीने से 55 पशुओं के मरने की बात ज़िला प्रशासन ने स्वीकार की है। मृत पशुओं के पालकों को मुआवज़ा भी दिया जा रहा है। विजयपुर उर्वरक संयंत्र एक बड़ा कारखाना है, जहां रसायनिक खाद तैयार होती है। यह विषाक्त पानी इस कारखाने से आया। इस कारखाने की जांच की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि विजयपुर संयंत्र से निकलने वाला शोधित जल इस नाले में बहाया जाता है। जिन गांवों से होकर यह नाला बहता है उन गांवों की पंचायतों के सरपंचों ने डोंडी पिटवाकर ग्रामीणों से कहा है कि वे चौपेट नाले के पानी का उपयोग न करें। सरपंचों की राय में विजयपुर कारखाने का ज़हरीला पानी ही नाले में छोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल ने भी कारखाने के प्रबंधकों के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

1. चौपेट नाले के विषाक्त पानी से कैसी दुर्घटना हुई?
2. इस दुर्घटना के शिकार लोगों को क्या राहत मिली?
3. कौन सी सरकारी संस्था ने जांच का भार लिया?
4. क्या इस कारखाने से फैला प्रदूषण, चमड़े के कारखाने के प्रदूषण के समान है? समझाओ।

10. देश और प्रान्त

तुम यह तो जानते ही हो कि हम मध्यप्रदेश में रहते हैं और मध्यप्रदेश भारत का एक प्रान्त है। नक्शे में तुम्हें यह साफ दिख रहा होगा। एक ही जगह पर रहते हुए हम लोग प्रान्त में भी रहते हैं और भारत में भी। यह इसलिए कि मध्यप्रदेश भारत का एक भाग है। इसका मतलब यह है कि हर जगह जो मध्यप्रदेश में है वो भारत में भी होगी। लेकिन भारत तो मध्यप्रदेश से बहुत बड़ा है और उसके बहुत सारे हिस्से मध्यप्रदेश के बाहर हैं। जिस तरह से मध्यप्रदेश एक प्रान्त है भारत के बाकी हिस्से भी प्रान्तों में बंटे हुए हैं।

अगले पृष्ठ के नक्शे में इन प्रान्तों को पहचानकर उनके नाम लिख दो। गुरुजी से कहो भारत का नक्शा कक्षा में टांग दें तो तुम्हें प्रान्त पहचानने में आसनी होगी।

इन प्रान्तों के गांवों और शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे क्या तुम अनुमान लगा सकते हो! इसके बारे में गुरुजी से चर्चा करो।

नक्शे में भारत से लगे हुए दो देश, पाकिस्तान और नेपाल भी दिखाये गये हैं।

इनमें से कौन-सी जगहें भारत में हैं, कौन सी मध्यप्रदेश में और कौन सी दूसरे प्रान्त या दूसरे देश में हैं- तालिका में भरो–

क्र. जगह का नाम	मध्यप्रदेश में	दूसरे प्रान्त में	भारत में	दूसरे देश में
1. काठमाण्डू				
2. उदयपुर				
3. कराची				
4. भोपाल				
5. जबलपुर				
6. विजयवाड़ा				
7. इस्लामाबाद				
8. इटारसी				
9. दिल्ली				
10. भुसावल				
11. लाहौर				
12. कपिलवस्तु				
13. कलकत्ता				
14. डिब्रूगढ़				
15. कानपुर				

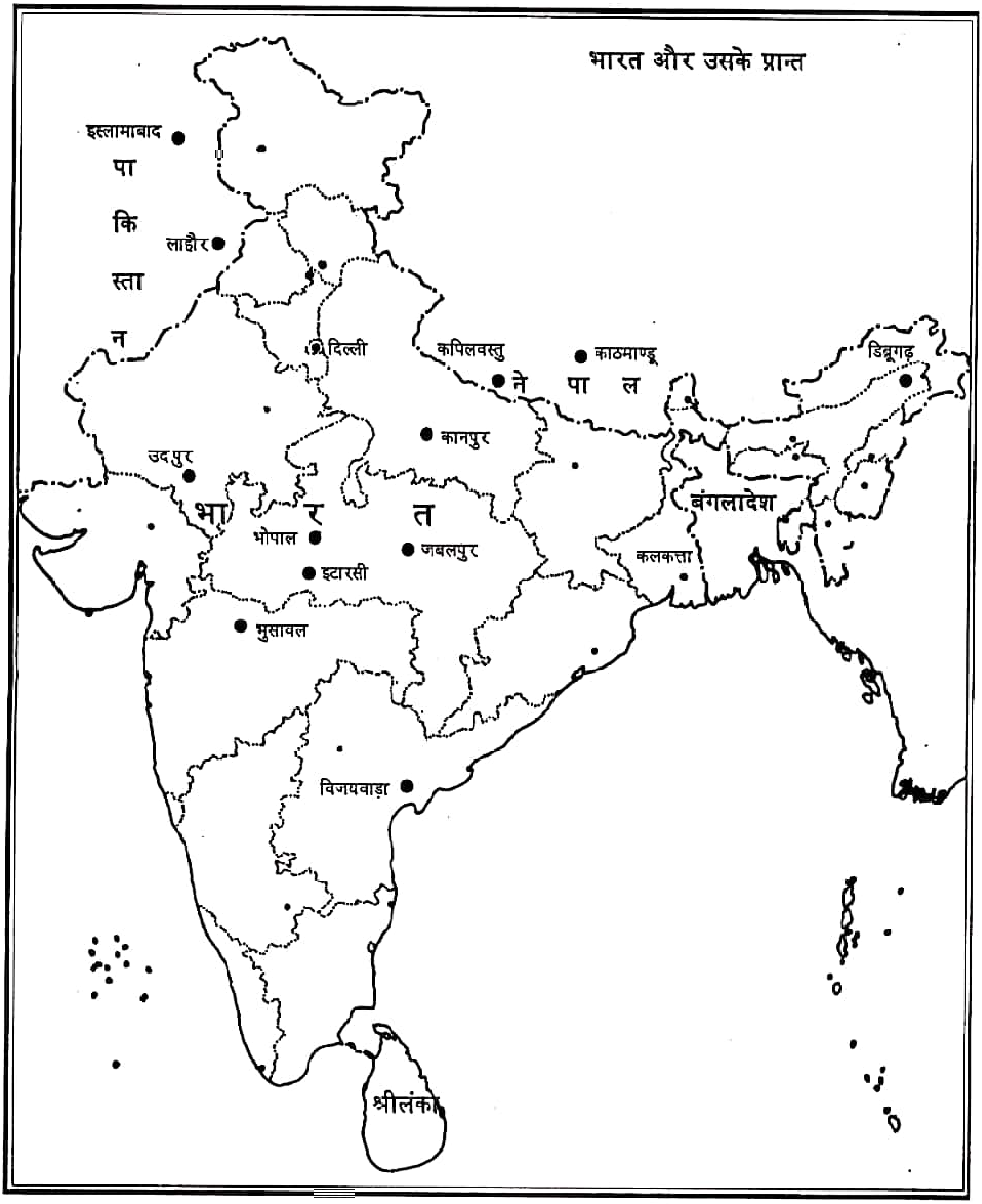

भारत और उसके प्रान्त
इस्लामाबाद
पा
कि
स्ता
न
लाहौर
दिल्ली
कपिलवस्तु
काठमाण्डू
ने
पा
ल
डिब्रूगढ़
कानपुर
उदयपुर
भा
र
त
बंगलादेश
भोपाल
जबलपुर
इटारसी
कलकत्ता
भुसावल
विजयवाड़ा
श्रीलंका

भारत की कौन सी जगहें मध्यप्रदेश में नहीं हैं ?

तालिका देख कर बताओ कौन सी जगहें दूसरे देश में है ?

एक नये दोस्त से मिलो

राकेश एक लड़का है जिसके पिताजी रेलवे में काम करते हैं और उनकी बदली होती रहती है। वे कुछ साल एक जगह पर रहते हैं और फिर उनकी बदली हो जाती है और वे दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह राकेश उनके साथ कई जगहों पर रह चुका है। सन् 1974 में वह इटारसी में था, सन् 1981 में वह विजयवाड़ा गया और सन् 1984 में भुसावल पहुंच गया।

राकेश कितने साल मध्यप्रदेश में रहा और वे कौन-कौन से साल थे?

अब देखें तुम अपने नये दोस्त के बारे में क्या-क्या जान गये हो।

बताओ नीचे लिखे कथन सही हैं या गलत-

सन 1981 में राकेश भारत में रहता था।

सन 1982 में राकेश मध्यप्रदेश में रहता था।

सन 1974 से 1984 के बीच राकेश कई प्रान्तों में घूमा।

सन 1984 में राकेश महाराष्ट्र गया।

क्या तुम पीछे दिये गये नक्शे में राकेश की यात्रा का पथ लकीर से खींच कर बता सकते हो?

11. राज्य की सरकार

राजस्थान राज्य में रहने वाले लोगों को किन सरकारों के कानून मानते होते है?

क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बना कानून हिमाचल प्रदेश में लागू होता है?

क्या भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून हिमाचल प्रदेश में लागू होता होगा?

क्या तमिलनाडु सरकार पंजाब के लिए कानून बना सकती है?

क्या भारत सरकार का कानून भोपाल में लागू होगा?

नीचे दिए गए नक्शे में केन्द्र सरकार का कानून कहां लागू होगा - पीले रंग से भरो। मध्य प्रदेश सरकार का कानून कहां लागू होगा वहां नीले रंग की बिंदियां भरो।

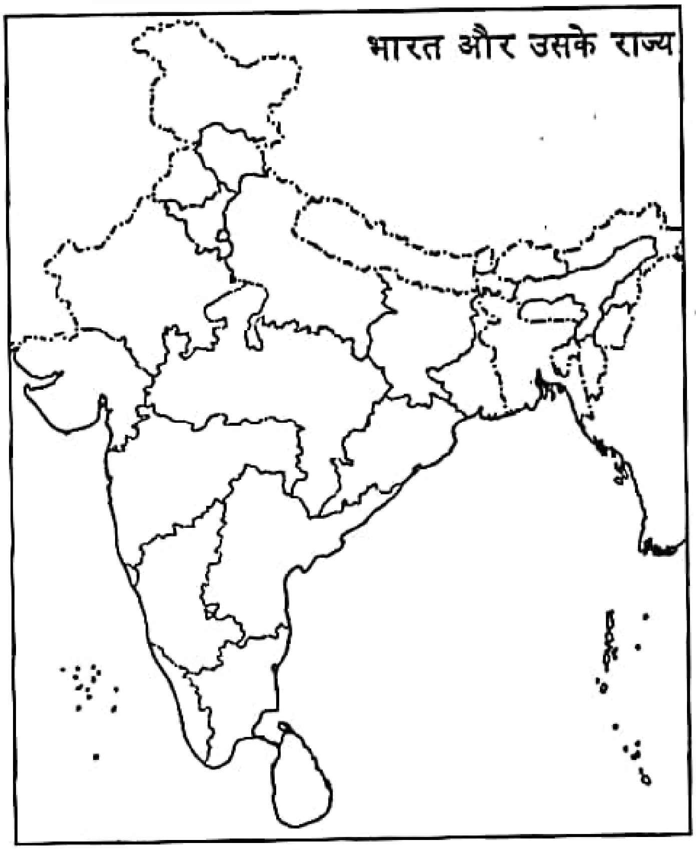

अपने देश में सभी लोगों के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे एक नियम या कानून है कि बिना इजाज़त अपने पास बन्दूक रखना मना है। या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी नहीं हो सकती है। ये नियम कायदे ऐसे ही किसी की मर्ज़ी से नहीं बन गए। लोगों ने अपनी एक सरकार को चुना जिसने ये नियम कायदे बनाए। इस तरह के बहुत सारे नियम कायदे अपने देश की सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम कायदों को कानून भी कहा जाता है।

कानून बनाना सरकार का एक मुख्य काम है। इसके अलावा सरकार कानून को लागू भी करती है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या नहीं मानता है तो उसके बारे में फैसला करना व उसे सज़ा देना भी सरकार का काम है। यानी सरकार निम्न तीन काम करती है- कानून बनाना, कानून लागू करना और न्याय करना।

हमारे देश भारत में दो प्रकार की सरकारें हैं - केन्द्र सरकार और राज्य सरकार। केन्द्र सरकार के अलावा हर राज्य की अलग सरकार भी हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य की सरकार भी कानून बनाती है और लागू करती है। यदि कोई कानून तोड़ता है तो निर्णय लेकर उसे दण्ड भी देती है। इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य की सरकार व भारत की केन्द्र सरकार दोनों के कानून लागू होते हैं। इसी तरह सभी राज्यों में रहने वाले लोगों के ऊपर उनके राज्य की सरकार और भारत सरकार दोनों के कानून लागू होते हैं। हम इस पाठ में राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे और अगली कक्षा में भारत की केन्द्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे।

राज्य की विधान सभा कैसे बनती है?

राज्य सरकार में जो लोग कानून बनाते हैं, उन्हें विधायक या विधानसभा सदस्य कहते हैं। कानून या नियम के लिए एक और शब्द है–"विधि" या "विधान"। इसी से विधायक, विधानसभा और विधेयक शब्द बनते हैं।

विधायक अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तुम तो जानते हो कि पंचायत के सदस्य भी लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस चुनाव के लिए पंचायत क्षेत्रों को वार्डों में बांटा जाता है। विधायक या विधानसभा सदस्य के चुनाव के लिए पूरे राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन क्षेत्रों को विधानसभा चुनाव क्षेत्र कहा जाता है।

पंचायत के एक वार्ड में तो केवल 100-200 लोग रहते हैं। एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग एक लाख लोग रहते हैं। एक लाख लोग बहुत होते हैं। वे कई गांवों और कस्बों में रहते हैं। हां, बड़े-बड़े शहर कई मीलों में फैले होते हैं और उन में कई लाख लोग रहते हैं। इसलिए एक शहर में (जैसे भोपाल, इन्दौर आदि) एक से अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र होते हैं। हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है।

विधानसभा के चुनाव अलग-अलग पार्टियां लड़ती हैं। ये पार्टियां हर चुनाव क्षेत्र से अपना 'उम्मीदवार' खड़ा करती हैं। उम्मीदवार या चुनाव प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है और जिसे 'वोट' दिए जाते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकता है। पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा, स्वतंत्र रूप से भी कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है।

तुम जितनी पार्टियों के नाम जानते हो, उन्हें लिखो।

विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई जुर्म साबित किया गया हो या वह दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। हर चुनाव क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को सब से अधिक वोट मिलें, वह उस क्षेत्र का विधायक माना जाता है।

पर वोट कौन डाल सकता है? वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला। हां, वोट डालने से पहले, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची (वोट डालने वालों की एक सूची) में दर्ज कराना पड़ता है।

तुम्हारे क्षेत्र का विधायक कौन है? वह किस पार्टी का है?

गुरुजी से पूछो कि यह चुनाव किस तरह से होता है?

यदि तुम्हें पिछले विधानसभा के चुनाव के बारे में कुछ याद हो तो लिखो।

राज्य का मंत्रिमण्डल

जिस पार्टी के सदस्य आधे से अधिक चुनाव क्षेत्रों से विधायक चुने जाते हैं, उस पार्टी का नेता या मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। यानी यदि किसी राज्य को 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है तो जिस भी पार्टी के 100 से अधिक विधायक बनें, उस पार्टी के नेता को राज्यपाल सरकार बनाने को कहता है। यह नेता मुख्यमंत्री बनता है और विधानसभा के अन्य सदस्यों में से (अक्सर अपनी पार्टी में से ही) अन्य मंत्री चुनता है। मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल मिलकर राज्य की सरकार कहलाते हैं, इसलिए जिस पार्टी का मंत्रिमण्डल बनता है, उस पार्टी की सरकार बनी कहलाती है।

तुम्हारे राज्य (मध्य प्रदेश) की सरकार किस पार्टी की है?

इन राज्यों की सरकारें किस पार्टी की हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, बिहार, आंध्रप्रदेश।

सरकार का काम

जब विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तो उन्हें विधान सभा की बैठकों में भाग लेना पड़ता है। ये बैठकें साल में 2 या 3 बार होती हैं।

विधानसभा में तरह-तरह के विषयों पर चर्चा होती है– कृषि पर, शिक्षा पर, पंचायतों पर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं पर। कुछ विधायक सवाल पूछते हैं तो संबंधित मंत्री जवाब देते हैं। कुछ विषयों पर कानून बनाये जाते हैं। कानून बनने से पहले उस विषय पर एक 'बिल' या 'विधेयक' (यानी कानून का प्रस्ताव) विधानसभा में पेश किया जाता है। उस पर खूब बहस व चर्चा होती है। ज़रूरी हो तो कुछ मुद्दों पर विधेयक बदला जाता है। विधानसभा में उपस्थित विधायकों में से आधे से अधिक विधायक जब किसी विधेयक के पक्ष में हों तभी वह विधेयक कानून बन सकता है। विधानसभा में पारित होकर विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल राज्य में केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही विधेयक कानून बनता है और लागू होता है।

इन कानूनों को लागू करना राज्य के मंत्रिमंडल का काम है। बोलचाल की भाषा में मंत्रिमंडल को ही सरकार कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधान सभा भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मंत्री भी भोपाल में ही काम करते हैं। जिस जगह राज्य की विधान सभा होती है और मंत्रिमंडल काम करता है, उस जगह को राज्य की राजधानी कहा जाता है।

भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों कहा जाता है? भारत का नक्शा देखो और बताओ कि हर राज्य की विधानसभा व मंत्रिमंडल कहां काम करते हैं?

उम्मीदवार, विधायक मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल–क्या तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गईं? अगर कठिनाई हो रही हो तो गुरुजी से कहो कक्षा में बच्चों के बीच चुनाव का नाटक बना कर कराएं व समझाएं कि सरकार कैसे बनती है।

राज्य में विधानसभा में बने कानून व नीतियों को लागू करने के लिए राज्य सरकार कई लाख सरकारी कर्मचारी नियुक्त करती है–डॉक्टर, तहसीलदार, विकास खण्ड अधिकारी, पुलिस, पटवारी आदि। इन सबको राज्य सरकार तनख्वाह देती है। उन्हें राज्य मंत्रिमंडल के आदेशों का पालन करना होता है।

तुमने देखा कि सरकार क्या है, कानून कैसे बनता है, और मंत्रिमंडल कैसे बनता है। चलो इन बातों को और अच्छी तरह समझने के लिए एक विधायक की कहानी पढ़ें।

एक विधायक की कहानी

कौशलपुर एक काल्पनिक जगह है। इस कहानी में पार्टी और लोग भी काल्पनिक हैं। लेकिन विधायक चुनने का तरीका, नियम तय करने के तरीके, जो इस कहानी में बताए गए हैं, वे सब सही हैं।

कौशलपुर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पांच पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रत्याशी या उम्मीदवार तय कर लिये हैं। सब से ताकतवर पार्टियां हैं मध्य भारत दल और महाकौशल संघ। मध्य भारत दल से चुनाव लड़ रहे हैं, विलास भाई और महाकौशल संघ से रामप्रसादजी। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। कौशलपुर क्षेत्र से चुनाव के लिए कुल 8 उम्मीदवार या प्रत्याशी हैं–5 पार्टियों के और तीन निर्दलीय।

प्रचार

चुनाव 25 सितम्बर को होने वाले हैं। 15-20 दिन पहले ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया– लाउड-स्पीकर, जीप, तांगे, आमसभाएं। हर पार्टी के सदस्य आश्वासन देते हैं। कोई कहता है, "हम महंगाई कम करेंगे" तो कोई कहता है "हम ज़मीन दिलवाएंगे" और तीसरा कहता है, "हम मज़दूरी बढ़वाएंगे।" उम्मीदवार दूसरी पार्टी के सदस्यों की आलोचना भी करते हैं। 24 तारीख तक यह शोरगुल रहा और फिर सब शान्त हो गया।

सोचो कि यह नियम क्यों है कि चुनाव से एक दिन पहले प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए।

कौशलपुर में वोट डले

25 तारीख को सुबह वोट डलना शुरू हुए और शाम तक डलते रहे। चुनाव केन्द्रों के सामने लोगों की लम्बी कतारें थीं। बड़े-बूढ़े, औरतें, आदमी सभी वहां थे। एक व्यक्ति दरवाज़े पर बैठा था। उसके पास लम्बी सूचियां थीं। वोट देने वाले उसके पास पहले जाते। जिस का नाम उस सूची में न होता उसे वह लौटा देता। सूची मे जिसका नाम होता उसके नाखून पर एक खास स्याही से निशान लगाया जाता। वह हस्ताक्षर करके मतपत्र लेता और फिर परदे के पीछे जाता। मतपत्र पर अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवार के चिन्ह के सामने मुहर लगाता। फिर मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डाल देता।

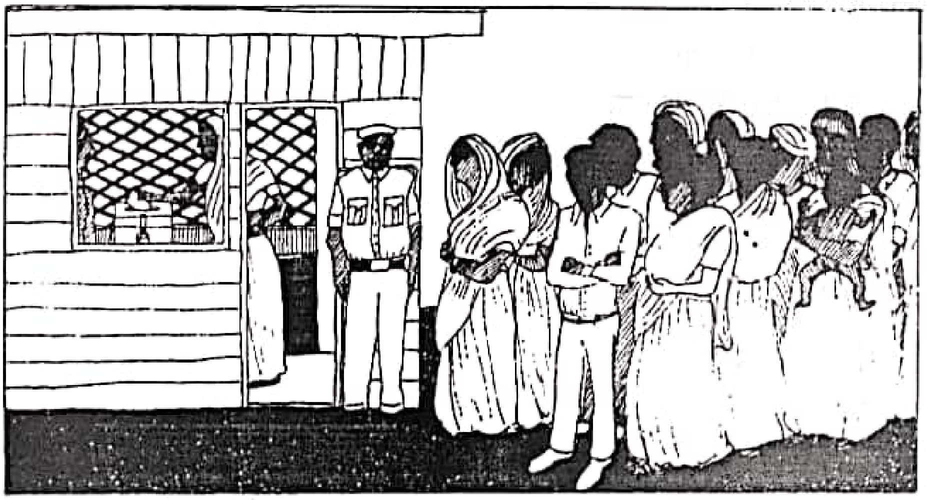

बीच में एक व्यक्ति से उस अधिकारी की खूब लड़ाई हुई। अधिकारी कह रहा था, "तुम तो अपना वोट डाल चुके हो, फिर से क्यों आए हो?" वोट डालने वाला बार-बार अपने नाखून दिखाता "जब मेरे नाखून पर निशान ही नहीं तो आप मुझे रोक कैसे सकते हैं? आपने मेरे नाम को सूची में गलती से काटा होगा या कोई फर्जी वोट डाल गया होगा।" अंत में अधिकारी ने उस से वोट एक लिफाफे में रखकर सील बन्द करके देने को कहा। वोट का लिफाफा अधिकारी ने अपने ही पास रख लिया।

सीलबन्द लिफाफे वाले वोटों का क्या होता है– गुरुजी से चर्चा करो।

कौशलपुर में वोट डल ही रहे थे कि पास के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से खबर आई कि कई सारे लोगों ने लाठी लेकर 2 केन्द्रों पर धावा बोला। अधिकारियों को पीटा गया और मतपेटी के ताले खुलवाकर उसमें फर्जी वोट डाले गए। अधिकारियों से फिर ज़बरदस्ती वोट पेटियां सील करवाईं गईं। जो पुलिस वहां थी उसे भी पीट दिया गया।

इस घटना की जांच की गई। इन दो केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा में फिर से चुनाव कराने के आदेश दिए गए।

अगले दिन कौशलपुर क्षेत्र के वोटों की गिनती शुरू हुई। शाम तक चुनाव के परिणाम आने लगे। कौशलपुर की सभी वोट पेटियों की जब गिनती खत्म हुई तो पता चला कि रामप्रसाद जी को 42,803 वोट मिले और विलास भाई को 28,156। बाकी 6 प्रत्याशियों को 5 हज़ार से भी कम वोट मिले।

बताओ कौशलपुर का विधायक कौन बना? वह किस पार्टी का था?

मंत्रिमंडल किसका बना

जब हर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम घोषित हो गए तो पता चला कि कुल 320 विधानसभा क्षेत्रे में से 192 क्षेत्रों में विलास भाई की पार्टी यानी मध भारत दल के प्रत्याशी जीते हैं, 92 महाकौशल संघ और बाकी 35 विधायक अन्य पार्टी के हैं, या निर्दल हैं। कुल 319 सदस्य विधानसभा में पहुंचे क्योंकि क्षेत्र में चुनाव तो रद्द हो गये थे।

बताओ मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री किस पार्टी के बने?

हालांकि रामप्रसाद जी कौशलपुर क्षेत्र से विजयी हुए, उनकी पार्टी का मंत्रिमंडल नहीं बना। वे विपक्षी दल के हो गए। एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव रद्द कराया गया था, वह 3 महीने बाद फिर से हुआ।

5 सालों में विधानसभा की कई बैठकें हुईं। इन बैठकों में राज्य से संबंधित कई बातों पर चर्चा और बहस होती और कई मसले तय किए जाते। जैसे-किसी चीज़ पर कितना बिक्री कर लगेगा? माचिस पर अधिक या तेल पर? खेती की ज़मीन पर भी कर लगेगा या नहीं? पंचायतें किस प्रकार से बनाई जाएंगी? और ऐसे ही कई मसले।

इन बैठकों में कई विधायक सरकार से प्रश्न पूछते और संबंधित मंत्री जवाब देते। कोई पूछता "महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?" तो वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ता। यदि पूछा जाता "प्रदेश में कितनी प्राथमिक शालाओं की छतें नहीं हैं? आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं?" तो शिक्षामंत्री उत्तर देते। कुछ विधायक जवाबों से संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ संतुष्ट नहीं होते।

सोचो, मंत्री विधायकों से ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं?

न्यूनतम मज़दूरी का कानून बना

एक दिन श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मज़दूरी का बिल पेश किया। पहले सब विधायकों को बिल की प्रतियां बांटी गईं। श्रम मंत्री ने बिल को संक्षेप में समझाते हुए कहा, "पिछले कुछ सालों में उत्पादन काफी बढ़ा है। महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन मज़दूरों की मज़दूरी इतनी नहीं बढ़ पाई है जितना कि और लोगों की आमदनी बढ़ी है। कई मज़दूर संगठनों ने अपने मालिकों के साथ ये मसले भी उठाए हैं। हड़तालें भी हुई हैं। हड़तालों से उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। पर मज़दूरों की मांगें भी कुछ हद तक जायज़ हैं। सरकार को जनहित में सोचना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यह बिल पेश कर रहे हैं जिसमें उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी 37 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रतिदिन की जा रही है और खेतीहर मज़दूरों की 28 रुपए से 35 रुपए। आप सब को बिल की एक-एक प्रति दी गई है। अब लोग उसे ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद हर बिन्दु पर चर्चा होगी।"

इस चित्र में श्रम मंत्री को पहचानो।

सब लोगों के सामने मेज़ पर रखे हुए कागज़ क्या हैं? मेज़ पर रखे कागज़ों के अलावा और क्या-क्या रखा है? इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती होगी?

सब विधायकों ने बिल पढ़ा। फिर बहस शुरू हुई। कोई बिल के पक्ष में बोलता तो कोई उसके विरुद्ध। महाकौशल संघ के रामप्रसादजी अधिकांश मामलों में कुछ न बोलते थे। पर आज वे खड़े हो गए। बोले:

→

कई विधायक रामप्रसाद जी की बातों से प्रभावित हुए। दूसरों ने कहा:

एक और विधायक श्री आकाशमल जी ने कहा: →

चर्चा और बहस खूब हुई। जब मत पूछे गए कि क्या इस बिल को पास कर देना चाहिए तो उपस्थित 273 लोगों में से 200 के हाथ उठ गए। बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए पेश किया गया। राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से विधान सभा में न्यूनतम मज़दूरी का कानून बना।

क्या तुम्हें लगता है कि यह कानून मज़दूरों और मालिकों की राय के अनुसार बना है? विधान सभा की चर्चा में उनकी राय कैसे पहुंची?

कानून कैसे लागू होगा

गज़ेट नाम की किताब में छपकर यह कानून जिलाधीश जैसे सरकारी कर्मचारियों के पास पहुंचा। अब यह देखना उनकी ज़िम्मेदारी हो गई कि हर मज़दूर को उतनी मज़दूरी मिलती है जितनी विधानसभा में तय की गई है। यदि किसी जगह कम मज़दूरी मिलती तो वहां के मज़दूर उस क्षेत्र के विधायक से बात करते। उस जिले के जिलाधीश को भी ज्ञापन देते। विधायक विधान सभा में सवाल पूछते। जिलाधीश अपनी तरफ से जांच करवाता। इस तरह न्यूनतम मज़दूरी का कानून लागू करने का दबाव बनता।

अभ्यास के प्रश्न

1. तुम्हारे ऊपर किनके बने नियम व कानून लागू होते हैं?
   मध्य प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, होशंगाबाद नगरपालिका, भारत की केन्द्र सरकार।
2. इन लोगों के बारे में दो-दो वाक्य लिखो–
   क) मतदाता
   ख) उम्मीदवार
   ग) पार्टी सदस्य
   घ) विधायक
3. क्या सभी लोग जो पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, विधायक के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं?
4. पंच और विधायक के चुनाव में क्या अन्तर है?
5. वोट डालने से किसे रोका जा सकता है?
6. विधायकों का काम क्या है?
7. मुख्यमंत्री कैसे बनता है?
8. मंत्रिमंडल कैसे बनता है?
9. मंत्रिमंडल का क्या काम है? मंत्री और विधायक में क्या अन्तर होता है?
10. विधानसभा में आज खेती की भूमि पर कर समाप्त करने का विधेयक पेश किया गया। 272 विधायक उपस्थित थे। जब विधायकों से पूछा गया कि कितने विधायक इसे कानून बनाने के पक्ष में हैं तो उन में से 106 विधायकों के हाथ उठे। क्या यह विधेयक कानून बना? कारण सहित उत्तर दो।
11. यदि तुम्हारे क्षेत्र में सूखा पड़ा है, तो तुम्हारे यहां के विधायक को इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना होगा?
12. सरकारी कर्मचारी और मंत्री में क्या अन्तर होता है?
13. विधायक की कहानी में न्यूनतम मज़दूरी का कानून किस प्रकार से बना? इस बारे में जो बहस हुई, उसकी मुख्य बातें बताओ।
14. राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना दे जो केन्द्र सरकार को बिल्कुल गलत लगता हो इसके लिए कौन-सी व्यवस्था की गई है?